उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

सोलहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

2019-2020

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

दिनांक **31.03.2020** को तुलन पत्र

एवं

दिनांक **01.04.2019** से दिनांक **31.03.2020** तक की अवधि का लाभ एवं हानि विवरण

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, **14**-अशोक मार्ग, लखनऊ–**226 001**

निदेशक मण्डल

(दिनाँक 31 मार्च, 2020)

अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा)

श्री अरविन्द कुमार

निदेशक

- श्री सेन्थिल पाण्डियन सी॰, प्रबन्ध निदेशक
- श्री एम॰ देवराज, प्रबंध निदेशक, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं निदेशक
- श्री रवि प्रकाश दुबे, निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
- श्री राम स्वारथ, निदेशक (एस॰एल॰डी॰सी॰)
- श्री बिभु प्रसाद महापात्रा, निदेशक (वित्त)
- श्री राकेश कुमार सिंह, निदेशक (परिचालन)
- श्री विनोद कुमार खरे, निदेशक (कार्मिक एवं प्रबंधन)
- श्री नील रतन कुमार, निदेशक
- श्रीमती देबजनि चक्रबोर्ती, नामित निदेशक (आर॰ई॰सी॰)
- श्री संजय गुप्ता, निदेशक (पावर ग्रिड)

कम्पनी सचिव

श्री ऋषि टण्डन

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
मुख्यालय : 4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स
एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन
14 अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

अनुक्रमणिका

क्र॰सं॰	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1 - 17
2.	निदेशक मण्डल प्रतिवेदन के अनुलग्नक	18 - 67
3.	तुलन–पत्र	68
4.	लाभ एवं हानि का विवरण	69 - 70
5.	समता परिवर्तन विवरण	71
6.	रोकड़ प्रवाह विवरण	72 - 73
7.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (नोट संख्या–1)	74 - 80
8.	नोट्स (2-28)	81 - 99
9.	लेखों पर टिप्पणियाँ (नोट संख्या–29)	100 - 107
10.	तुलनपत्र के आंकड़ों हेतु पुनर्स्थापन की अनुसूची	108 - 109
11.	स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	110 - 127
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	128 - 130
13.	सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	131 - 136

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

आपके निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन एवं क्रिया कलापों पर 16वीं वार्षिक प्रतिवेदन, सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखा विवरणों की समीक्षाधीन अवधि की समीक्षा प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है।

प्रस्तावना :–

उ॰प्र॰ सरकार की अधिसूचना सं॰ 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के द्वारा उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ से उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ का उद्गम हुआ। अन्तरण योजना के अन्तर्गत पारेषण गतिविधियाँ जिसमें सम्पत्तियों, दायित्वों एवं संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2007 की प्रभावी तिथि से उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ को अंतरित कर दी गई। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार, उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

वित्तीय निष्पादन :–

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
ऊर्जा के पारेषण से राजस्व	3,492.74	2,359.88
अन्य आय	331.59	170.32
योग (अ)	**3,824.33**	**2,530.20**
व्यय		
परिचालन व्यय :		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	460.19	420.80
कर्मचारी लागत	385.00	272.84
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	67.46	58.56
योग (ब)	**912.65**	**752.20**

अवक्षयण, ब्याज एवं प्रावधान के पूर्व परिचालन लाभ/(हानि) स=(अ–ब)	**2,911.68**	**1,778.00**
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,090.06	1,029.08
अवक्षयण	1,240.08	1,078.44
अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	2.99	–
योग (द)	**2,333.13**	**2,107.52**
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**578.55**	**(329.52)**
अस्थगित कर	226.66	–
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	**351.89**	**(329.52)**

पूंजी संरचना :–

कम्पनी के अधिकृत पूंजी ₹ 2,00,00,00,00,000/– (₹ बीस हजार करोड़ मात्र) जो ₹ 1000 प्रति के 20,00,00,000/– (बीस करोड़) समता अंशों में विभाजित है।

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1,46,47,270 की संख्या में समता अंश उ०प्र० सरकार को ₹ 1000 प्रति अंश के मूल्य पर निर्गत किये थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी की समता अंशपूंजी ₹ 1,35,95,33,98,000 से बढ़कर ₹ 1,50,60,06,68,000 हो गयी है जिसमें ₹ 1000 प्रति के 15,06,00,668 के समता अंश सम्मिलित है।

धारा 134 (3)(बी) के अनुरूप निदेशक मण्डल की बैठकों से सम्बन्धित सूचनाएं :–

कम्पनी द्वारा बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने एवं बुलाने से सम्बन्धित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है एवं तदनुसार, वर्ष के दौरान 4(चार) बोर्ड मीटिंग की गयी तथा किन्हीं दो बोर्ड की साभाओं के मध्य 120 दिनो से अधिक का अन्तराल नहीं था।

I. 27 जून, 2019

II. 09 सितम्बर, 2019

III. 09 दिसम्बर, 2019

IV. 21 जनवरी, 2020

दो बैठकों के मध्य के अंतराल के निर्धारण में बोर्ड की बैठको से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम, 2013 और सचिवीय मानक–1 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

बोर्ड की कार्य प्रणाली

निदेशक मण्डल ने हमारे हितधारकों के प्रति निगमित दायित्व की पूर्ति करने के लिये निगमित अभिशासन प्रथाओं एवं दिशा निर्देशों का अनुसरण किया है। ये दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बोर्ड के पास क्रिया कलापों की समीक्षा व मूल्यांकन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यान्वयन का आवश्यक अधिकार एवं प्रक्रियायें होंगी। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये अनेकों समितियां भी गठित की हैं।

सामान्यतया निदेशक मण्डल की बैठके कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आहूत की जाती हैं। बोर्ड बैठक की तिथियां काफी पहले निश्चित कर ली जाती हैं तथा बोर्ड के सदस्यों को सूचित कर दी जाती है जिससे वे तदनुसार अपने कार्यक्रमों की योजना बना सकें। एजेन्डा व एजेन्डा पर टिप्पणियां निर्धारित एजेन्डा प्रारूप में निदेशको को पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित कर दी जाती हैं। बैठक में सार्थक व केन्द्रित विचार विमर्श में सहायता करने के लिये एजेन्डा में सभी महत्वपूर्ण सूचनायें शामिल की जाती हैं। कुछ परिस्थितियों में एजेन्डा को बैठक में अध्यक्ष की आज्ञा से भी शामिल किया जाता है, सिवाय उन मदों को जो मूल्य संवेदनशील प्रकृति के हैं। एजेन्डे की मदें विभिन्न वैधानिक व गैर वैधानिक मामलों से सम्बन्धित बोर्ड की बैठकों तथा अन्य बैठकों के लिए विचार विमर्श एवं उपयुक्त निर्णय लेने हेतु विस्तृत एवं सूचनात्मक है। कभी–कभी कुछ अत्यावश्यक मुद्दों के समाधान हेतु कुछ व्यवसायिक संव्यवहार परिचालन के माध्यम से संकल्प पारित करके किये जाते हैं। आपकी कम्पनी ने बोर्ड बैठक व साधारण बैठक के सम्बन्ध में भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया, द्वारा निर्गत लागू सचिवीय मानकों के पालन करने का पूर्ण प्रयास किया है।

सभी वैधानिक, महत्वपूर्ण व आवश्यक सूचना बोर्ड के सम्मुख रखी जाती है। बोर्ड के सदस्यों के पास कम्पनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच होती है। कभी कभी बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किये जा रहे मदों पर अतिरिक्त सूचना देने के लिये प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बोर्ड बैठक में आमंत्रित किया जाता है। बोर्ड के सम्मुख कम्पनी के विभिन्न कार्यात्मक व परिचालन क्षेत्र जैसे वित्तीय विशिष्टताएं, प्रमुख परियोजनायें व उनकी प्रगति, परिचालन आदि का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त, बैठक के बाद यथाशीघ्र तैयार किये जाते हैं व तत्पश्चात सभी निदेशकों को इस पर उनकी टिप्पणी हेतु प्रसारित किया जाता है। निदेशकों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर हेतु अध्यक्ष को अग्रसारित किया जाता है। संगत कार्यवृत्त सम्बन्धित विभाग/समूह को कार्यान्वयन हेतु तथा सभी निदेशकों को टिप्पणी हेतु प्रसारित किये जाते हैं। बोर्ड के निर्णयों पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ए॰टी॰आर॰) प्राप्त किया जाता है तथा समीक्षा हेतु अगली बोर्ड बैठक में रखा जाता है।

<u>निदेशको के उत्तरदायित्व का विवरण</u> :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(सी) एवं 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते है कि:–

(अ) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, सिवाय कुछ मामलों मे, जो कि विद्युत (प्रदाय) (वार्षिक लेखे) नियम 1985 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप हैं जिनपर तद्नुसार लेखांकन नीतियाँ निर्धारित करते हुये उनका लेखों पर टिप्पणियों में समुचित प्रकटन देते हुये अनुपालन किया गया है।

(ब) निदेशकगण द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है सिवाय उन विचलनों के जिनका अलग से उल्लेख किया गया है तथा निर्णय एवं अनुमान निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह उचित एवं विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के क्रियाकलापों तथा समीक्षाधीन कथित वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की यथार्थ एवं उचित स्थिति परिलक्षित हो।

विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना सं॰ एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम 2019 के परिशिष्ट–I में दी गई पद्धति के अनुसार अवक्षयण भारित किया गया है। कथित विनियम दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि हेतु प्रभावी है। अवक्षयण सीधी रेखा पद्धति पर मूल लागत के 10% बचे मूल्य के साथ निर्धारित दरों से भारित किया गया है (सिवाय अस्थाई निर्माण जैसे लकड़ी की संरचना के मामले में, जहां अवक्षयण की दर 100% है तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी उपकरण व साफ्टवेयर के मामले में, जहां अवक्षयण योग्य मूल्य 100% व बचा हुआ मूल्य शून्य है)। वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के परिवर्धनों/घटाव पर अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह से उस माह तक जिसमें परिसम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोग में लायी गई है/बेची गयी है, भारित किया गया है।

(स) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है। अग्रेतर अंशधारकों को सूचित करना है कि विभिन्न कमियां जो प्रबन्धन द्वारा पायी गई तथा वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ द्वारा इंगित की गई, उन्हें संज्ञान में लिया जायेगा तथा आवश्यकता हुई तो उसका लेखांकन अग्रेतर वर्षों में कर लिया जायेगा।

(द) निदेशको द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे सतत व्यापार आधार पर तैयार किये गये हैं।

(य) समस्त प्रभावी विधियों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशकगण द्वारा समुचित प्रणाली तैयार की गई है तथा कथित प्रणाली यथोचित एवं प्रभावशाली रूप से क्रियाशील थी।

<u>स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा</u> :–

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने से सम्बन्धित धारा 149 के प्रावधान कम्पनी पर लागू है। कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

<u>निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान व कर्तव्यों के निर्वाह से सम्बन्धित कम्पनी की नीतियाँ</u> :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से नामांकन व पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धित धारा 178(2),(3) एवं (4) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही है अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत प्रावधानित अर्हताएँ, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य सम्बन्धित मामले सहित नियुक्ति एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी कोई नीति कम्पनी द्वारा तैयार नही की गई है।

सम्प्रेक्षकों तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में दिये गये प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी :–

सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ एण्ड ए॰जी॰ तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिबन्ध निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा स्पष्टीकरण/टिप्पणी क्रमशः इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I, II एवं III के रूप में प्रस्तुत किये गये है तथा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारण्टी व विनियोगों का विवरण :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से धारा 186 में नियत ऋण, गारण्टी व विनियोगों के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नही हैं।

सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण :–

चूँकि कम्पनी के नित्य क्रियाकलापों के दौरान ऐसे कोई भी समव्यवहार नहीं किये गये जो कि निष्पक्ष आधार पर न हों अतएव धारा 188 के आलोक में सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं हेतु प्रावधान कम्पनी पर लागू नही हैं।

परिचालन प्रदर्शन

अ. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के पास एक विशाल विद्युत पारेषण नेटवर्क है। वर्ष 2019–20 के दौरान निगम के पास 765केवी से 132केवी तक के विभिन्न वोल्टेज स्तरों के 575 सबस्टेशन थे और कुल परिवर्तन क्षमता 1,22,130 एमवीए थी। यह बिजली के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाने वाली राज्य की पूरी लंबाई और चौड़ाई में फैली लाइनों की 44,045 सर्किट किलोमीटर की दूरी तय करती है। वर्ष 2019–20 के दौरान पारेषण प्रणाली द्वारा 21,632 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया गया। इतने बड़े नेटवर्क के संचालन और रखरखाव हेतु काफी प्रयास और सतर्क निगरानी की आवश्यकता होती है।

ब. अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन में कमी वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार, उपलब्ध पारेषण क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए, यूपीपीटीसीएल ने प्राथमिकता के आधार पर 33 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तरों पर कैपेसिटर बैंकों की स्थापना शुरू की है। वर्ष 2019–20 में 2450 एमवीएआर कैपेसिटर स्थापित किये गये।

स. वर्ष 2021–22 के दौरान नवंबर–2021 तक, 02 नग 400केवी उप–केन्द्रों, 04 नग 220 केवी उप–केन्द्रों और 04 नग 132 केवी उप–केन्द्रों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है और 01 नग 400 केवी उप–केन्द्रों, 10 नग 220 केवी उप–केन्द्रों, 58 नग 132 केवी उप–केन्द्रों पर क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 765 केवी के 426 सर्किट किमी, 400 केवी के 242 सर्किट किमी, 220 केवी के 268 सर्किट किमी, 132 केवी के 653 सर्किट किमी लाइनों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। 80 एमवीएआर कैपेसिटर बैंकों को 33 केवी स्तर पर ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

भौतिक उपलब्धियां :–

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित पारेषण कार्य पूर्ण किये गये है :–

अ. <u>लाइनें</u> :–

क्रम संख्या	वोल्टेज क्षमता (के॰वी॰)	वित्तीय वर्ष **2019–20** में कुल लाइन–लम्बाई निर्माण (सर्किट किमी)	दिनांक **31.03.2020** को कुल लाइन–लम्बाई (सर्किट किमी)
1	765 के॰वी॰	शून्य	1058.37
2	400 के॰वी॰	170.31	6242.38
3	220 के॰वी॰	1085.52	12985.12
4	132 के॰वी॰	2079.84	23731.90
	योग	**3335.67**	**44017.77**

ब. (i) <u>उप केन्द्र</u> :–

वोल्टेज क्षमता	नये संस्थापित		क्षमता वृद्धि		दिनांक **31.03.2020** को कुल परिवर्तक क्षमता (एम॰वी॰ए॰)
	उप केन्द्रों की संख्या	क्षमता (एम॰वी॰ए॰)	उप केन्द्रों की संख्या	क्षमता (एम॰वी॰ए॰)	
765 के॰वी॰	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6000
400 के॰वी॰	01	1000	08	1920	20820
220 के॰वी॰	08	1420	48	3970	44900
132 के॰वी॰	12	603	61	1806	50410
योग	**21**	**3023**	**117**	**7696**	**122130**

ब. **(ii)** <u>कैपिसिटर्स (वित्तीय वर्ष **2019-20** के दौरान)</u> :–

1. 132 के॰वी॰ – 40 एम॰वी॰ए॰आर॰
2. 33 के॰वी॰ – 2410 एम॰वी॰ए॰आर॰

ब. **(iii)** <u>बे (ऊर्जीकृत) (वित्तीय वर्ष **2019-20** के दौरान)</u> :–

1. 220 के॰वी॰ – 21 नग
2. 132 के॰वी॰ – 26 नग
3. 33 के॰वी॰ – 158 नग

<u>संस्थापित एवं परिचालित **400** के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची</u> :–

1. 400 के॰वी॰– सेक्टर 148, नोएडा

<u>संस्थापित एवं परिचालित **220** के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची</u> :–

1. 220 के॰वी॰ गोला
2. 220 के॰वी॰ अमेठी

3. 220 के॰वी॰ दही चौकी, उन्नाव
4. 220 के॰वी॰ बाटेनिकल गार्डेन, सेक्टर 38ए, नोएडा
5. 220 के॰वी॰ राजा का तालाब
6. 220 के॰वी॰ परतापुर, जागृतिविहार
7. 220 के॰वी॰ प्रताप विहार
8. 220 के॰वी॰ फूलबाग

संस्थापित एवं परिचालित 132 के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची :–

1. 132 के॰वी॰ कबरई
2. 132 के॰वी॰ बांसडीह
3. 132 के॰वी॰ नरखी
4. 132 के॰वी॰ हनुमान सेतु, लखनऊ
5. 132 के॰वी॰ अकराबाद, अलीगढ़
6. 132 के॰वी॰ लम्भुआ
7. 132 के॰वी॰ सोंख रोड
8. 132 के॰वी॰ कलवारी
9. 132 के॰वी॰, बघरा
10. 132 के॰वी॰ हसनगंज
11. 132 के॰वी॰ रुधौली
12. 132 के॰वी॰ फतेहपुर सीकरी

संचालन की स्थिरता

पिछले कुछ गत वर्षों के दौरान पारेषण तंत्र का काफी विस्तार किया गया है। इसलिए, कम से कम दोषों के साथ विश्वसनीय संचालन के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम को नियमित आधार पर लाइनों और उप–केन्द्रों के सुरक्षात्मक और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप निम्न प्रमुख कदम उठाए गए :

- ट्रांसमिशन लाइनों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ परावर्तक की क्षमता ने पुराने उपकेन्द्रों पर मौजूदा बस बार को अतिभारित कर दिया है। इसलिए, विभिन्न उपकेन्द्रों पर 220 केवी, 132 केवी और 33 केवी वोल्टेज स्तर के मौजूदा बस बारों को सुदृण किया गया।
- अन्य उपलब्ध लाइनों को समकालिक तरीके से संचालित करने की व्यवस्था की गई। इससे पारेषण नेटवर्क की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई और साथ ही पारेषण हानियों में कमी आई।
- पारेषण लाइनों की गश्त, गलियारा निकासी का उचित रखरखाव, जम्पर कसना, विसंवाहको की सफाई और दोषपूर्ण विसंवाहको, टूटे हुए ग्राउंड तारों और लापता टावर सदस्यों को बदलना, ट्रांसमिशन लाइनों विसंवाहको की सफाई।

- ढीले जोड़ों का पता लगाने के लिए पारेषण लाइनों और स्विच यार्ड की थर्मोविजन स्कैनिंग। कंडक्टर या उपकरण की विफलता से बचाने हेतु अधिक ताप वाले समस्त जोड़ो को शटडाउन प्राप्त होने के बाद तुरंत ध्यान दिया जाता है।
- परावर्तक के स्वास्थ्य की निगरानी और किसी भी समस्या का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर विद्युत परावर्तक के तेल की जांच। विद्युत परावर्तक का रखरखाव जिसमें तेल का निस्पंदन, तेल रिसाव की जांच, शीतलन प्रणाली का रखरखाव आदि शामिल है। स्विचयार्ड अर्थिंग की निगरानी।
- स्विचगियर्स एवं आइसोलेटर्स तथा सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण और रखरखाव।

<u>उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी)</u>

उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) की स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। तदनुसार, यूपीएसएलडीसी यूपी राज्य में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन के लिए शीर्ष निकाय है। इसके कार्यों में बिजली का सारणीयन और प्रेषण, ग्रिड संचालन की निगरानी, ऊर्जा लेखांकन, अंतःराज्यीय ग्रिड का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, वास्तविक समय आपूर्ति सूचीयन द्वारा ग्रिड संचालन आदि शामिल हैं। यूपीएसएलडीसी प्रशासनिक/ग्रिड सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार मांग प्रबंधन भी कर रहा है। एसएलडीसी केन्द्रीय और राज्य नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आदेशित है। ग्रिड संचालन केंद्र और राज्य आयोग द्वारा जारी ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाता है। उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग ने अधिनियम के तहत कई अन्य विनियम बनाए हैं और एसएलडीसी उसी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। एसएलडीसी की मुख्य रूप से गतिविधियां निम्नवत हैं:

- **वास्तविक समय ग्रिड संचालन :** ग्रिड सुरक्षा के हित में, यह आवश्यक है कि सूचीकृत मांग और वास्तविक निकासी के बीच का अंतर हर समय न्यूनतम हो, पारेषण लाइनों की अतिभारिता से बचा जाए, सभी उपकेन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों पर निर्दिष्ट सीमा तक वोल्टेज को बनाए रखा जाए, बिजली का प्रेषण इस तरह से किया जाए कि बिजली उत्पादन की लागत न्यूनतम हो। एसएलडीसी और एएलडीसी (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र) में बिजली प्रणाली के मापदंडों की सतत निगरानी से मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखा जाता है। एसएलडीसी के अन्तर्गत चार एएलएसडीसी सारनाथ, मुरादाबाद, पनकी और मोदीपुरम में स्थित हैं। बैक अप एसएलडीसी भी मोदीपुरम में स्थित है। संकुलता प्रबंधन और प्रतिक्रियात्मक बिजली प्रबंधन बिजली व्यवस्था के संचालन के अन्य पहलू हैं जिन्हें ग्रिड के सुरक्षित संचालन के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। एसएलडीसी उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी), उत्पादन केन्द्रों, यूपी की बिजली वितरण कंपनियों और पारेषण प्रणाली प्राधिकरणों के समन्वय से ग्रिड मापदंडों की 24 x 7 निगरानी द्वारा सुरक्षित ग्रिड संचालन सुनिश्चित करता है। ग्रामीण, बुंदेलखंड और तहसील स्तर पर अधिसूचित घंटे के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली की रोस्टरिंग लागू की गई है। जब भी ग्रिड से निश्चित सीमा से निकासी अधिक हो जाती है तो आपातकालीन रोस्टरिंग की भी आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन अठारह घंटे, बुंदेलखंड क्षेत्र में बीस घंटे, तहसील स्तर पर साढ़े इक्कीस घंटे बिजली आपूर्ति

सुनिश्चित की गई है। वितरण कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (टी) की सिफारिश के आधार पर नियत फीडरों और समयावधि के लिए छूट मुक्त बिजली सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय वर्ष–2019–20 के दौरान 21632 मेगावाट और 120378 मिलियन ईकाई की अधिकतम मांग बिना किसी नेटवर्क बाधा के पूरी की गई।

- सीईआरसी विनियमन के अनुसार एनआरएलडीसी को ग्रिड सुरक्षा के हित में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एसएलडीसी को निर्देश जारी करने को आदेशित है। ग्रिड कोड के अनुपालन में एनआरएलडीसी के निर्देशों के अनुसार जब भी आवश्यक हो आपातकालीन रोस्टरिंग की जाती है। वर्ष के दौरान आपातकालीन रोस्टरिंग को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। वास्तविक समय संचालन के लिए एससीएडीए उपकेन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों के वास्तविक समय के समक प्रगहण करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। मार्च 2021 में सीईआरटी के साईबर सुरक्षा दिशा निर्देशों और ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और नवंबर, 21 तक सीईआरटी के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।
- एसएलडीसी रखरखाव के लिए नवीन घटको को ऊजीकृत करने और पारेषण घटकों/उत्पादक इकाइयों को बंद करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान एसएलडीसी ने लगभग 292 नए घटकों को ऊजीकृत करने की सुविधा प्रदान की।
- एसएलडीसी अल्पकालीन निर्बाध अभिगम के लिए केन्द्रीय अभिकरण है, 2019–20 के दौरान 50 नए ग्राहकों को अल्पकालीन निर्बाध अभिगम की अनुमति दी गई है। एसएलडीसी राज्य ग्रिड पर प्रसारित बिजली के ऊर्जा लेखांकन के लिए भी उत्तरदायी है, यह ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मार्च 2020 माह के दौरान 460 ऊर्जा लेखे निर्गत किए गए और वर्ष 2019–20 में लगभग 4500 ऊर्जा लेखे निर्गत किए गए।

1. <u>नियोजन व वाणिज्यिक गतिविधियाँ :–</u>

<u>(अ)नियोजन गतिविधियाँ:–</u>

(i) एक तकनीकी–आर्थिक अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली विकसित करना।

(ii) विकसित प्रणाली में विभिन्न भार और उत्पादन के परिदृश्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए।

(iii) डिस्काम/यूपीपीसीएल/एसएलडीसी से मुख्य निविष्ट आंकड़ों अर्थात् भार, मांग, उत्पादन योजना का संग्रहण और तदनुसार भार प्रवाह अध्ययन।

(iv) सीईए पारेषण योजना मानदंड–2013 के अनुसार योजना और अनुमोदन (आमतौर पर 5 साल की सीमा के लिए), जिसे यूपीपीटीसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा अपनाया गया है।

(v) आयात आवश्यकताओं के अनुरूप कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी) सुनिश्चित करना।

(vi) प्रमुख कार्यों के लिए सीईए, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) का अनुमोदन प्राप्त करना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए 05 वर्षीय पारेषण योजना, डिस्काम की आगामी उत्पादन और मांग पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसे उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। राज्य आयोग ने अपने आदेश दिनांक 15.10.2020 में इसी पर विचार किया हैः

वित्तीय वर्ष	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
अनुमानित अधिकतम मांग (मेवा॰)	26,500	28,000	30,000	31,500
पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	6393*	6525	3529	3041
पारेषण हानियां (%)	3.33%	3.27%	3.22%	3.18%

*टैरिफ आदेश दिनांक 29.06.2021 में पुनरीक्षित ₹ 5123.22 करोड़।

इसके अलावा यूपीईआरसी एमवाईटी विनियम, 2019 के अनुसार सभी परियोजनाओं की पूर्व निवेश मंजूरी, जिनकी लागत ₹ 20 करोड़ से अधिक है, यूपीईआरसी से तिमाही आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 व आगे से लिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली से चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही के लिए यूपीईआरसी द्वारा दी गई निवेश मंजूरी की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र॰ सं॰	विवरण	वि.व॰ 2020–21				वि.व॰ 2021–22
		प्रथम व द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	योग	प्रथम त्रैमास
1	टीडब्ल्यूसी द्वारा विचारित कुल पूंजीगत व्यय	814.68	545.86	218.95	1,579.49	681.53
2	20 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय	294.56	225.07	60.03	579.66	24.51
3	माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत व्यय	283.65	210.89	60.03	554.57	24.51

ब) <u>वाणिज्यिक गतिविधियां</u>:

(i) बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2019 के अनुसार यूटिलिटी को 5 साल के लिए अपनी व्यवसाय योजना और पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप याचिका जिसके लिए सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखें उपलब्ध हैं, पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर चालू वर्ष के लिए वार्षिक सम्पादन की समीक्षा (एपीआर) याचिका और अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका फाइल करनी होगी।

(ii) टीबीयू इकाई द्वारा डिस्कॉम और निर्बाध अभिगम उपभोक्ता के लिए पारेषण शुल्क मासिक बीजक जारी करने का नियमित अनुश्रवण।

<u>निर्गत टैरिफ आदेश</u>

यूपीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से हमारी याचिका के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर को अनुमोदन दिया है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप ट्रांसमिशन टैरिफ

विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2019–20 के लिये एआरआर (₹ करोड़ में)	3,082.50
संभाली गई ऊर्जा (मेवा॰)	1,16,731.81
वि॰व॰ 2019–20 से सम्बन्धित परिचालनों से राजस्व	2,214.57
शुद्ध अन्तर (₹ करोड़ में)	867.93
पारेषण शुल्क (₹/के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2641

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप पर 867.93 करोड़ रुपये के शुद्ध अंतर की वसूली की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त यूपीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर/टैरिफ को भी निम्नानुसार अनुमोदित किया है:–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पारेषण शुल्क

विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2019–20 के लिये एआरआर (₹ करोड़ में)	2,720.50
सम्भाली गई ऊर्जा (एमयू)	1,12,360.21
पारेषण शुल्क (₹/के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2421

2. <u>भविष्य के वर्षों हेतु पारेषण की भावी योजना :</u>

वित्तीय वर्ष 2021–22 (नवंबर, 2021 तक) के दौरान नवंबर, 2021 तक स्थापित राज्याभ्यांतर नेटवर्क के माध्यम से निम्नानुसार अधिकतम मांग 24795 मेगावाट थी :–

वोल्टेज स्तर (के॰वी॰)	**132 केवी**	**220 केवी**	**400 केवी**	**765 केवी**	**योग**
उपकेन्द्रों की संख्या (नग)	447	137	32	5	621
पारेषण क्षमता (एमवीए)	56,652	49,440	30,510	13,000	1,49,602
पारेषण लाइनें (सर्किट किमी)	25,833	13,723	7,390	2,146	49,092

राज्य में भविष्य के वर्षों के लिए अपेक्षित अधिकतम मांग, जैसा कि यूपीईआरसी द्वारा माना गया है, नीचे दी गई है:–

वि॰व॰	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
अपेक्षित अधिकतम मांग (मेवा॰)	26,500	28,000	30,000	31,500

आगामी वर्षों की मांग को पूरा करने के लिए नियोजित उपकेन्द्रों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार हैः

वोल्टेज स्तर (केवी में)	उपकेन्द्रों की संख्या		
	वि.व. 2022–23	वि.व. 2023–24	वि.व. 2024–25
765	2	2	–
400	2	1	3
220	14	12	16
132	17	17	10
योग	35	32	29

* मांग परिदृश्य के अनुसार पुनरीक्षण के दौरान अस्थायी योजना परिवर्तित हो सकती है।

3. <u>प्रगति और उपलब्धियां (वित्तीय वर्ष 2019–20)</u>:–

वित्तीय वर्ष 2019–20 में यूपीपीटीसीएल ने 21 नग नए उपकेन्द्र (01 नग 400 केवी, 08 नग 220 केवी और 12 नग 132 केवी उपकेन्द्र सहित), 3336 सर्किट किमी लाइन और 7696 एमवीए परिवर्तन क्षमता वृद्धि जोड़े गए।

परिचालन उपलब्धियों का सारांश निम्नांकित हैः–

वि.व. 2019–20	
परिवर्तक क्षमता (एमवीए)	1,36,180
पूरी की गई अधिकतम मांग (एमडब्ल्यू)	21,632
टीटीसी (एमडब्ल्यू)	13,900 (10,000 मेगावाट आंतरिक उत्पादन पर)
ऊर्जा घटक	0.941
पारेषण हानियां	3.43%
पारेषण प्रणाली उपलब्धता	99.47%

<u>वित्तीय गतिविधियाँ :–</u>

<u>मण्डल द्वारा संचय में अन्तरित करने हेतु प्रस्तावित की गई धनराशि, यदि कोई हो :–</u>

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 351.89 करोड़ और समीक्षाधीन वर्ष तक ₹ 805.77 करोड़ की संचित हानियां रही, अतः किसी भी संचय में धनराशि अन्तरित किया जाना प्रस्तावित नही है।

<u>धनराशि, जो कि लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिये संस्तुत की गई, यदि कोई हो :–</u>

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 351.89 करोड़ और समीक्षाधीन वर्ष तक ₹ 805.77 करोड़ की संचित हानियां रही, अतः समीक्षाधीन वर्ष हेतु निदेशकगणों ने लाभांश के लिये कोई धनराशि संस्तुत नही की है।

तुलन पत्र से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा प्रतिवेदन की तिथि के मध्य हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों :–

सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा कारपोरेट लेखा कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार तुलनपत्र से सम्बन्धित कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं घटित नही हुये हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन तथा व्यय :–

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सपठित नियम 8(3) कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 की आवश्यकतानुसार सूचनाएं इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–IV में वर्णित हैं।

कम्पनी के जोखिम प्रबन्धन नीति के विकास तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी विवरण :–

कम्पनी में जोखिम प्रबन्धन नीति निर्धारित नहीं है क्यूंकि कम्पनी के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले तत्वों की मौजूदगी न्यूनतम है।

कम्पनी द्वारा निगमीय समाजिक दायित्व उपक्रम अन्तर्गत विकसित तथा क्रियान्वित नीतियों का विवरण :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के प्राविधानानुसार कम्पनी द्वारा सी॰एस॰आर॰ नीति अंगीकृत की गई है, (अनुलग्नक–V)। अधिनियम के अन्तर्गत गठित सी॰एस॰आर॰ समिति में निम्नवत् निदेशक शामिल हैं :–

1. प्रबन्ध निदेशक
2. निदेशक (वित्त)
3. निदेशक (परियोजना व वाणिज्य)
4. निदेशक (परिचालन)
5. निदेशक (कार्य एवं परियोजना)

कम्पनी को विगत तीन वित्तीय वर्षों में हानि हुई थी, अतएव कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में सी॰एस॰आर॰ मद में किसी भी धनराशि को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अन्तर्गत निक्षेपों का विवरण :–

वार्षिक लेखे 2019–20 से ली गयी सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जनता से कोई निक्षेप याचित/स्वीकार नहीं किये गये, अतः, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय–V में वर्णित प्राविधानों की अवज्ञा नहीं हुई है।

सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कम्पनी के सापेक्ष पारित आदेशों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई वस्तुगत आदेश नहीं पारित किये गये जिसका कम्पनी के सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव हो।

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण :–

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना निम्नवत् है :–

अध्यक्ष, उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰	–	अध्यक्ष
निदेशक (परिचालन)	–	सदस्य
विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन	–	सदस्य
नामित निदेशक, पावरग्रिड	–	सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता होता है जबकि कम्पनी सचिव समिति की बैठकों का समन्वयक होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथावर्णित निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व सम्प्रेक्षा समिति द्वारा वार्षिक वित्तीय प्रपत्रों, सांविधिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ के प्रतिवेदनों तथा उन पर उत्तरों की समीक्षा करती है तथा उनको निदेशक मण्डल में अनुमोदन के लिए अनुशंसित करती है।

सतर्कता तंत्र :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सतर्कता तन्त्र का उद्देश्य ऐसे तन्त्र का उपयोग करने वालों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना तथा उचित अथवा आपवादिक प्रकरणों में सम्प्रेक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच हेतु प्राविधान करना है। संगठन के अंतर्गत सतर्कता तन्त्र के अस्तित्व का उचित सम्प्रेषण कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल में परिवर्तन :–

समीक्षाधीन वर्ष में निदेशक मण्डल में विचाराधीन परिवर्तन निम्नवत् रहा :

क्र॰ सं॰	नाम	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ / दौरान पदनाम	अवधि (2019-20)	
			नियुक्ति की तिथि / पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति, पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति)
1.	श्री अरविन्द कुमार	अध्यक्ष व नामांकित निदेशक	09.11.2019	नियुक्ति
2.	श्री एम॰ देवराज	नामांकित निदेशक	05.11.2019	नियुक्ति
3.	श्री बिभु प्रसाद महापात्रा	पूर्णकालिक निदेशक	16.12.2019	नियुक्ति
4.	श्री राकेश कुमार सिंह	पूर्णकालिक निदेशक	15.07.2019	नियुक्ति
5.	श्री विनोद कुमार खरे	पूर्णकालिक निदेशक	16.09.2019	नियुक्ति
6.	श्री संजय गुप्ता	नामांकित निदेशक	10.02.2020	नियुक्ति
7.	श्री आलोक कुमार	अध्यक्ष व नामांकित निदेशक	09.11.2019	समाप्ति
8.	श्रीमती अपर्णा उपाध्यायुला	नामांकित निदेशक	05.11.2019	समाप्ति

9.	श्री सुमन गुछ	पूर्णकालिक निदेशक	28.10.2019	समाप्ति
10.	श्री सुधांशु द्विवेदी	पूर्णकालिक निदेशक	30.06.2019	समाप्ति
11.	श्री चन्द्र मोहन	पूर्णकालिक निदेशक	29.06.2019	समाप्ति
12.	श्री बृजेश कुमार खरे	पूर्णकालिक निदेशक	30.06.2019	समाप्ति
13.	श्रीमती मंजू शंकर	नामांकित निदेशक	31.12.2019	समाप्ति
14.	श्री राकेश कुमार सिंह	नामांकित निदेशक	30.06.2019	समाप्ति

निदेशक मण्डल निदेशकों द्वारा कम्पनी के साथ उनके एसोसिएशन के दौरान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिये आभार व्यक्त करता है।

सांविधिक सम्प्रेक्षक :–

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स आर॰एम॰ लाल एण्ड कं॰, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को कम्पनी में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये सांविधिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण किया गया। सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

लागत सम्प्रेक्षक :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित लागत अभिलेखों का अनुरक्षण कम्पनी का दायित्व है। लागत लेखे एवं अभिलेख कम्पनी मुख्यालय पर बनाए एवं अनुरक्षित किए गये है।

निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स के॰बी॰ सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स, 10/287, इंदिरानगर, लखनऊ–उ॰प्र॰ 226016 को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये लागत सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। लागत सम्प्रेक्षक ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जिसकी फार्म लागत अंकेक्षण शाखा सी॰आर॰ए॰–2, में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दाखिल किया गया।

सचिवीय सम्प्रेक्षक :–

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 सपठित कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में, कम्पनी के बोर्ड ने मे॰ दिलीप दीक्षित एण्ड कं॰, कम्पनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये सचिवीय सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन, टिप्पणियों पर प्रबन्धन के स्पष्टीकरण सहित इस प्रतिवेदन का भाग है।

कर्मचारियों का विवरण :–

कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, निगम में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भी भाग हेतु नियुक्त नहीं था जिसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 1.20 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा ₹ 8.5 लाख प्रतिमाह से अधिक वेतन आहरित किया हो।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 से सम्बन्धित प्रकटीकरण :–

कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और कार्य अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। कम्पनी ने तद्नुसार पूर्वोक्त अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कोई भी प्रकरण प्रत्यावेदित नहीं किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण :–

कम्पनी में वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान है व उसके अग्रेतर सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय भी किये जा रहे हैं।

सहायक कम्पनियां :–

वर्ष 2019–20 में कोई भी कम्पनी उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ की सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी कम्पनी नही बनी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखों की समीक्षा :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की प्रतिवेदन पर उत्तर भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

औद्योगिक सम्बन्ध :–

समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

मानव संसाधन विकास :–

आपकी कम्पनी का मानना है कि, वर्तमान परिवर्तनशील परिदृश्य में, उभरती हुई व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन आवश्यकता एवं कौशल स्थिति का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तद्नुसार, प्रबंधन लगातार स्थिति की सतत निगरानी करता है तथा सेवानिवृत्ति के कारण कमी के साथ–साथ नवीन कौशल की आवश्यकता के कारण हुई कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण नीतियाँ रखता है।

वार्षिक विवरण का उद्धरण :–

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) सपठित धारा 92 (3) के संदर्भ में वार्षिक विवरणी उद्धरण को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–VI के रूप में संलग्न किया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति, वार्षिक विवरणी उद्धरण सहित, को कम्पनी के रजिस्ट्रार के यहॉ दाखिल करने के उपरान्त कम्पनी की वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा। उद्धरण कम्पनी के वेब पते डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीपीटीसीएल.ओआरजी पर उपलब्ध होगा।

अभिस्वीकृति :–

निदेशक मण्डल विभिन्न केन्द्रीय व राजकीय सरकारी विभागों, उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग, सी॰ई॰आर॰सी॰, केन्द्रीय ऊर्जा उपयोगिताओं, पी॰एफ॰सी॰, आर॰ई॰सी॰, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये सहयोग तथा सतत समर्थन का

आभार व्यक्त करती है। उपरोक्त के अलावा, निगम, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰, एम॰वी॰वी॰एन॰एल॰, डी॰वी॰वी॰एन॰एल॰, पी॰यू॰वी॰वी॰एन॰एल॰, और पी॰वी॰वी॰एन॰एल॰ और केस्को का सहयोग और समर्थन करता है। निदेशक मण्डल ठेकेदारों, विक्रेताओं व सलाहकारों के परियोजनाओं को समय से पूर्ण किये जाने के प्रयास में उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मण्डल सांविधिक सम्प्रेक्षकों, लागत सम्प्रेक्षको, सचिवीय सम्प्रेक्षक और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कार्यालय द्वारा दिये गये सहयोग की भी गहन सराहना करता हैं। निदेशकगण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये योगदान की प्रशंसा करते हैं जो आपकी कम्पनी को उस मंच तक ले गये हैं जहॉ यह आज खड़ी है और विश्वास करते हैं कि उनकी सतत निष्ठा आपकी कम्पनी को भारत में विद्युत पारेषण गतिविधियों में निकट भविष्य में एक और जयपत्र प्राप्त करने में सक्षम होगी।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

—ह॰—	—ह॰—
(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं॰—07338796	डीआईएन नं॰—07979258

दिनांक : 05.01.2022
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ के दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर संवैधानिक सम्प्रेक्षको के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सेवा में, **सदस्यगण,** **उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,** **शक्ति भवन,** **लखनऊ।** **एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन** **मर्यादित अभिमत :** हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (''एकल वित्तीय विवरणों'') जिसमें चार पारेषण परिक्षेत्रों (''परिक्षेत्रों'') के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और लाभ, अन्य व्यापक आय सहित, इसके हानि, इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
लिए समता में परिवर्तन को अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।	
परिमित अभिमत का आधार : हम अनुलग्नक 'I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।	कोई टिप्पणी नहीं
हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आइ॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे एकल वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले : सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' के अलावा इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी सम्प्रेक्षा में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
विषय का महत्व अनुच्छेद : जैसा कि विश्व स्तर पर और भारत में कोविड–19 के प्रकोप के कारण, टिप्पणी–29 ''लेखो पर टिप्पणियाँ'' के अनुच्छेद 24 में बताया गया है, कंपनी के प्रबंधन ने व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है और यह मानता है कि प्रभाव स्वरूप अल्पकालिक होने की संभावना है। प्रबंधन को कंपनी के सतत व्यवसाय के रूप में जारी रखने और अपनी देनदारियों, जब वे देय होती है, को पूरा करने की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है। इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें : कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाए सम्मिलित हैं किन्तु एकल वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन को इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।	
एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उपर्युक्त अभिज्ञात अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा में प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है। जब हम उपरोक्त अभिज्ञात प्रतिवेदन को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारित लोगों से संप्रेषित करने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करेगें।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व : अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन एकल वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, रोकड़ प्रवाह एवं समता में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन; ऐसे अनुमान एवं	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो; हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।	
एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
ऐसे शासन प्रभारित लोग कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व : हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।	
एस.ए. के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :– ● एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी सम्प्रेक्षा प्रकिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं
● ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
• प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या दशाओ से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रकटन समेत एकल वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्व मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में; एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में ।	
हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।	कोई टिप्पणी नहीं
हम नियंत्रण प्रभारियों को विवरण प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।	कोई टिप्पणी नहीं
नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन में इन मामलों को सम्मिलित करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवदेन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।	कोई टिप्पणी नहीं
अन्य मामले : कम्पनी के एकल वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र (एल॰सी॰:100, 250), लखनऊ परिक्षेत्र (एल॰सी॰:	कोई टिप्पणी नहीं।

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
300, 400 और 450), मेरठ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 500, 600) और आगरा परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 700, 800) में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एंव प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।	
अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन : 1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III(ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
3. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, और अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर सूचित करते है कि : अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं	कोई टिप्पणी नहीं।

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।	
ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों तथा परिक्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों जहाँ हमारे द्वारा यात्रा व सम्प्रेक्षा नहीं की गई से मेल खाते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सपठित निर्गत संगत नियम का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में सरकारी कम्पनी होने के नाते अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।	कोई टिप्पणी नहीं।
व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार– i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी। iii. कोई राशि नहीं थी जिसे निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह०–	–ह०–	–ह०–	–ह०–
एस०के० अवस्थी	**ए०के० गुप्ता**	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी० गुरूप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक–I

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

ऐसी जांचें जो हमनें उपयुक्त मानी है के आधार पर तथा हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं किः

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
1.	कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अर्न्तगत अधिसूचित अधोलिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया हैः	
अ.	व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), अन्य चालू आस्तियां (टिप्पणी–10) और अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी–17) को चालू आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका नकदीकरण एवं निस्तारण गत वित्तीय वर्षों से लम्बित है तथा पर्याप्त जानकारी के आभाव में वसूली/निपटान के लिए बकाया शेष राशि वर्ष की समाप्ति के बाद, बारह महीनों के अन्दर उन्हें गैर–वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के कारण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानक 1 के साथ असंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित मौजूदा चालू आस्तियाँ/देनदारियाँ अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ अवमूल्यित है।	ऐसी सभी दायित्व/संपत्तियाँ को जिन्हें बारह महीने की अवधि के भीतर निपटाने/प्राप्त करने की आशा है, को चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, इंड एएस 1 के अनुसार, परिसंपत्तियों/देनदारियों को उनकी प्रकृति के आधार पर चालू/गैर–चालू में वर्गीकृत की जानी है। चूंकि प्राप्य बिल, देयबिल, रहतियां आदि जैसी परिचालन वस्तुएं एक सामान्य परिचालन चक्र का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है, भले ही उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूल किए जाने की आशा न हो। इसलिए, वित्तीय विवरणों में किए गए दायित्वों/संपत्तियों का चालू/गैर चालू में वर्गीकरण इंड–एएस 1 के अनुरूप है।
ब.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्ष के दौरान वृद्धि में टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखीय नीति संख्या 2 (II) (बी) के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक अतिरिक्त लागत पर एक निश्चित प्रतिशत पर अधिष्ठान लागत शामिल है। ऐसी अधिष्ठान लागत सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण तथा/अथवा स्थापना पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य न होने की सीमा तक भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और	चूंकि कंपनी बिजली की आपूर्ति में लगी हुई है, इसलिए इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 (4) (डी) के अनुसार बिजली अधिनियम 2003 (इसके सपठित अन्तर्गत अधिसूचित नियमों और विनियम) के प्रावधानों का पालन करना होगा। अग्रेतर, विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार, कर्मचारियों की लागत जो पूंजीगत कार्यों के लिए प्रभार्य हैं, उन्हें यथामूल्य आधार पर आवंटित किया जाएगा (अर्थात पूंजीकरण योग्य

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
उपकरण के साथ असंगत है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों, ह्रास तथा लाभ का अधिमूल्यन तथा अधिष्ठान लागत का अवमूल्यन किया गया है।	कार्यो का परियोजना अवधि में उचित पूंजीगत कार्यों पर प्रतिशत के रूप में आवंटन)। तदनुसार, परियोजना पर कर्मचारियों की लागत अवधि के दौरान उचित पूंजीगत व्यय के निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित की गई है जो कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसलिए, स्थाई संपत्तियों, ह्रास और लाभ का कोई अधिमूल्यन या कर्मचारी लागत का कोई अवमूल्यन नहीं है।
स. सामग्री का भण्डार – पूंजीगत कार्य (टिप्पणी–7 (अ)) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंश के रूप में वर्गीकृत तथा भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त, मापित और उद्घाटित नहीं किया गया है।	कम्पनी के वित्तीय विवरणों के टिप्पणी–7 (अ) में सामग्री का भण्डार–पूंजीगत कार्य क्रय की हुई सामग्री है तथा प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों के निर्गतनार्थ रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करने वाले न तो अतिरिक्त पुर्जे हैं और न ही अतिरिक्त उपकरण और न ही मरम्मत उपकरण। भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार इन मदों को भण्डार के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।
द. टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या–2 (VI)(एफ) द्वारा आवरित बीमा और अन्य दावों की मान्यता, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज, कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज और आय के अन्य मद को नकद आधार पर शामिल किया गया है। यह वित्तीय विवरणों भारतीय लेखांकन मानक 1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।	ऐसा कोई इंड–एएस नहीं है जो विशेष रूप से इन लेनदेनों पर लागू होता है। इस प्रकार, प्रबंधन ने इन विशिष्ट लेनदेनों के लिए लेखांकन नीति को विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जो भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 10 के अनुरूप है।
य. कर्मचारी लाभ का लेखांकन : जी॰पी॰एफ॰ योजना से आवरित कर्मचारियों के उपादान दायित्व का बीमांकक मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया गया है (संदर्भ टिप्पणी 21 का नितल टिप्पणी 1)। यह भारतीय लेखांकन मानक–19 के साथ असंगत है।	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीपीएफ योजना के तहत आच्छादित कर्मचारियों के संबंध में पेंशन और उपादान की देयता उ॰प्र॰ सरकार द्वारा वहन की गई है और अंतिम दायित्व कोषागार, उ॰प्र॰ सरकार द्वारा निर्वहन किया जाना है, उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ की देयता का उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा सम्पादित बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर अंशदान पर निश्चित प्रतिशत तक बचाव किया गया है और तदनुसार, वेतन और मंहगाई भत्ता का एक निश्चित प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है।
र. कंपनी द्वारा सम्पत्ति के क्षरण का आकलन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक–36 की सम्पत्ति के क्षरण के साथ असंगत है।	चूंकि, संपत्ति के क्षरण के आकलन के लिए परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, जिसकी विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	लेखा नियम, 1985 के तहत अनुमति नहीं है, मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। इसे कंपनी की लेखा नीति में भी उचित रूप से दर्शाया गया है।
ल. वित्तीय परिसंपत्तियाँ– व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰), प्राप्य (टिप्पणी– 10) को भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है (अनुच्छेद 2) (XII) टिप्पणी –1 ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ'' देखें) और भारतीय लेखांकन मानक 107 वित्तीय साधनों में आवश्यक उचित प्रकटीकरण इसके लिए नहीं किया गया है। (टिप्पणी–29 का अनुच्छेद 3 ''लेखों पर टिप्पणियाँ'' देखें)	विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार, सभी परिसंपत्तियों, देनदारियों, व्यय और राजस्व को उस राशि पर दर्ज किया जाना आवश्यक है जिस पर लेनदेन हुआ था और प्रतिस्थापन लागत, वर्तमान लागत आदि पर उन्हें बताने के लिए समायोजन की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, उपरोक्त में से किसी को भी उचित मूल्य पर मापना, विद्युत अधिनियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 1 (4) (डी) के साथ भी असंगत होगा।
2. स्वामित्व/भूमि के स्वामित्व, भूमि अधिकार और भवनों के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए स्वामित्व के साथ–साथ अवशेषों की सटीकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।	विभिन्न आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच के लिए यूपी राज्य भर में फैले खण्डों/ उप–खण्डों में भूमि का स्वामित्व/शीर्षक, भूमि अधिकार और भवन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। वे बहुत पुराने और भारी होने के कारण लेखापरीक्षकों को नमूना आधार पर उपलब्ध कराए गए थे।
3. अचल संपत्तियों के ऊर्जीकरण/पूंजीकरण की तिथि के संबंध में आवश्यक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, हम पूंजीकृत ऋण लागत की राशि और उस पर लगाए गए ह्रास की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	अचल संपत्तियों के ऊर्जीकरण/ पूंजीकरण की तिथि के संबंध में सूचना जैसी कि परिक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई और पूंजीकृत ऋण लागत की राशि की गणना का आधार निर्माण के दौरान ब्याज की प्रत्येक कार्यवार इकाईवार ऋण वार गणना (आईडीसी) के साथ सम्प्रेक्षा दल के समक्ष रखा गया था। अग्रेतर, यह देखते हुए कि पूंजीकरण और ह्रास को खण्ड स्तर पर लेखांकित किया गया है जो पहले से ही आंतरिक और साथ ही शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दायरे में शामिल है, और यह कि सभी 190 इकाइयों के पूंजीकरण /ह्रास से संबंधित दस्तावेज मुख्यालय में उपलब्ध नहीं है, इन्हें समीक्षा के लिए नमूना आधार पर उपलब्ध कराया गया था।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	इसके अलावा, वार्षिक खातों में दिखाई देने वाले पूंजीकरण और ह्रास को मात्र सभी क्षेत्रों के खातों के आधार पर संकलित किया गया है, जिनकी पहले ही सीएजी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की जा चुकी है, जो मुख्यालय में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की भी नियुक्ति करता है।
4. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनी 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को हस्तांतरित की है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।	मामले को यूपी सरकार के उच्चाधिकारियों से उठाया जा रहा है और उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण के विरूद्ध प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में शीर्ष अधिकारियों के अंतिम निर्णय के आधार पर आवश्यक लेखांकन किया जाएगा, जो अभी भी प्रतीक्षित है। भूमि हस्तानान्तरण के विरुद्ध राशि की वसूली के प्रयास नियमित रूप से किये जा रहे हैं। इसका प्रकटन वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों में किया गया है।
5. कंपनी ने ताजमहल, ईस्ट गेट रोड पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।	132केवी उपकेन्द्र ताज 1965 में ऊर्जीकृत किया गया था। 132केवी उपकेन्द्र ताज पर उपलब्ध 11.38 एकड़ भूमि में से 5.9 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को मुफ्त यूपी सरकार के आदेश संख्या 117/2015/1892/41–2015–92 य/15 दि. 11.08.2015 के अनुपालन में दिनांक 25.07.2016 को आहूत निदेशक मंडल द्वारा 49वीं बैठक में प्रदान किये गये अनुमोदन पर दी गई थी। चूंकि जमीन मुफ्त दी गई थी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया था। इसका प्रकटन वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों में किया गया है।
6. कंपनी ने 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नींबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर की अपनी भूमि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।	म॰वि॰वि॰नि॰लि॰ से अब तक कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, इसका प्रकटन वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों में किया गया है।
7. ₹ 252.90 करोड़ की राशि के अंतर इकाई अंतरण, (टिप्पणी–10 और 29 के अनुच्छेद 18 देखें) समाधान	समाधान में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सम्पूर्ण कंपनी के आईयूटी

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।	लेनदेन के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी नई प्रणाली वित्तीय वर्ष 2017–18 से शुरू की गई है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से कोई असमाधानित लेनदेन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, पहले की अवधि से संबंधित शेष राशि को समाधानित करने के प्रयासों में, ₹ 35,748 करोड़ के नाम आईयूटी अवशेष और ₹ 35,748 करोड़ के जमा आईयूटी अवशेष (कुल ₹ 71,496 करोड़) राशि का अब तक मिलान, निष्प्रभावीकरण और निस्तारण किया गया है। पिछली अवधियों से संबंधित अवशेषों के अग्रेतर समाधान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
8. उभयनिष्ठ व्यय (उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा प्रभारित) की राशि ₹ 10.13 करोड़ (टिप्पणी–21 देखें) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के अधीन है, जिसे कंपनी द्वारा नहीं काटा गया है।	उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा प्रभारित सर्वनिष्ठ व्यय सभी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों की ओर से उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा किए गए सर्वनिष्ठ व्यय का बंटवारा है और इसमें उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा आय के रूप में माना जाने वाला कोई लाभ तत्व नहीं है। चूंकि आयकर अधिनियम ''आय'' के संबंध में रोपित आयकर मांगता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुनाफा, लाभ, अनुवृद्धि, मूल्यवर्धन आदि शामिल हैं, किसी भी लाभ तत्व के अभाव में, एक प्राप्ति को आय के रूप में नहीं अपितु प्रतिपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसलिए, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इसे आयकर के अधीन नहीं होना चाहिए। प्रतिपूर्ति पर कर लगाने के लिए किसी विशेष प्रावधान के अभाव में कोई कर नहीं काटा गया। हालांकि, प्रबंधन ने मामले पर कानूनी राय मांगी है और यदि आवश्यक हुआ तो, आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा,
9. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (टिप्पणी–3), व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰) और कर्मचारियों और अन्य से प्राप्तियां (टिप्पणी–10), पूंजी के लिए देयता/ओ॰ एंड एम॰ आपूर्तिकर्ता/कार्य, आपूर्तिकर्ताओं से जमाए, डिस्कॉम्स, विद्युतीकरण कार्य, पीएसडीएफ, अंतर कम्पनी अवशेष (टिप्पणी–17) पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
10. यह देखा गया कि पक्षवार सहायक बहीखातों का रखरखाव और खातों की प्राथमिक पुस्तकों यानी रोकड़ बही और अनुभागीय जर्नल के साथ इसका मिलान उचित और प्रभावी नहीं है।	अभिलेखों का रख रखाव इकाई स्तर पर किया जाता है।
11. टिप्पणी– 29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के अनुछेच्द 6 में प्रकट समभाव्य दायित्व के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त अभिलेखीय लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्रदान नहीं किए गए।	परिक्षेत्रवार विवरण जैसा कि शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित है प्रदान किया गया है।
12. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी–1 के अनुच्छेद 2(II)(सी) और लेखों पर टिप्पणियां (टिप्पणी–29 के अनुच्छेद 16(बी)) में जमा कार्य के लिए प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को आयगत आय (गैर टैरिफ आय) के रूप में माना गया है और दूसरी ओर इसे पूंजी संचय में जमा करके पूंजी प्राप्ति के रूप में भी माना गया है। सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, जब प्राप्ति और संबंधित खर्चों को आयगत प्रक्रति के रूप में माना गया है, तो इसे फिर से पूंजी प्रक्रति के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए, पूंजी संचय और पूंजीगत व्यय दोनों को ₹ 44.40 करोड़ से अधिमूल्यित है।	कंपनी की लेखा नीति के अनुसार जमा कार्यों के विरुद्ध प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को केवल आयगत आय (गैर टैरिफ आय) माना गया है। इसलिए, पूंजी संचय या पूंजीगत व्यय का कोई अवमूल्यन नहीं है।
13. परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसीः 100, 250), लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 300, 400, और 450), मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 500, 600) और आगरा परिक्षेत्र (एलसीः 700, 800) के 31 मार्च, 2020 के तल पर परिक्षेत्र सम्प्रेक्षक ने सम्प्रेक्षा अभिमत व्यक्त की है और इन्हें कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचारित किया गया है। वर्तमान प्रचलन के अनुसार, परिक्षेत्रो के वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।	कंपनी के लेखा परीक्षक के कर्तव्यों को कंपनी अधिनियम की धारा 143 (2) से (5) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें अन्य कर्तव्यों के अलावा, लेखा परीक्षक को एक राय व्यक्त करनी होती है यदि 'वित्तीय विवरण' कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में एक 'सत्य और यथार्थ' दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जबकि शाखा लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों को अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसके लिए शाखा लेखा परीक्षक को उसके द्वारा जांच की गई शाखा के 'लेखों' पर एक रिपोर्ट तैयार करने और कंपनी के लेखा परीक्षक को भेजने की आवश्यकता होती है, जो अपनी रिपोर्ट में इस तरह से व्यवहार करें जैसा वह आवश्यक समझता है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
14. परिक्षेत्रों की लेखापरीक्षा अंकेक्षणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उन्हें छोड़कर जिन्हें अंकेक्षण में कहीं और उचित रूप से निपटाया गया है :	अधिनियम में न तो शाखा लेखा परीक्षकों को वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता है, न ही अधिनियम के अनुसार शाखा स्तर पर वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिक्षेत्र के वित्तीय विवरण तैयार न करना अर्हता प्राप्त अभिमत का आधार नहीं होना चाहिए।
I) प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसीः 100 और 250) अ. अनुपयोगी संयंत्र और मशीनरी, वाहन, फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण और लाइन केबल नेटवर्क का क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों द्वारा कोई पहचान नहीं की जाती है। इसलिए, ऐसी अनुपयोगी और अप्रचलित संपत्तियों के लिए क्षेत्र/इकाइयों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	परिक्षेत्रीय कार्यालय ने सूचित किया है कि इकाइयों को आवश्यक निर्देश पहले ही निर्गत किये जा चुके हैं।
ब. सामग्री भण्डार में एजी–16 से लाई गई संपत्तियों का अपलिखित मूल्य शामिल है और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य एजी –14 में पुरानी परित्यक्त परियोजनाओं पर काम की लागत शामिल है जिन्हें अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है। एजी–14 और एजी–16 शीर्ष के अंतर्गत पड़ी ऐसी परिसम्पत्तियों/सामग्री के वसूली योग्य मूल्य में प्रत्याशित कमी का लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न पदधारियों से प्राप्त भौतिक रूप से सत्यापित रहतियाँ/सामग्री भण्डार का मूल्यांकन और खातों के साथ मिलान नहीं किया गया है। संपूर्ण विवरण और जानकारी के अभाव में, हम तल पर पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा निर्धारित नहीं कर सके।	विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखे नियम,1985 के अनुसार त्यागी, रद्द की गई परिसम्पत्तियेां की लागत उन पर मूल्य ह्रास सहित को स्थाई परिसम्पत्तियेां के आधार से वापस लिया जाता है तथा एक अलग खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम सपठित केन्द्रीय विद्युत अधिनियम के प्रावधानों व इनके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों व विनियमों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीति के अनुसार इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
स. भण्डार सामग्री एजी–22 में ''भण्डार सामग्री आधिक्य/कमी लंबित जांच'' शामिल है जो समाधान और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के लिए पुराने लंबित पड़े हैं।	परिक्षेत्रीय कार्यालय ने सूचित किया है कि इकाइयों को पूर्ण विवरण/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देश पहले ही निर्गत किये जा चुके हैं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
द. दैनिक नकद/बैंक अवशेष नहीं निकाला गया इसलिए किसी विशेष तिथि पर नकदी/बैंक की शेष राशि रोकड़ पंजिका से उपलब्ध नहीं है।	परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के भाग VI में वर्णित नियमों के अनुसार रोकड़ बही मासिक आधार पर बनायी जाती है। हालांकि दैनिक आधार पर रोकड़/बैंक अवशेष निकाले जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।
य. पहले के वर्षों से संबंधित प्रविष्टियाँ अभी भी विभिन्न इकाइयों के बैंक समाधान विवरणों में दिखाई दे रही हैं जो असमायोजित पड़ी हैं।	परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि ये प्रविष्टियां पिछले कई वर्षों में बैंक द्वारा काटे गये बैंक व्ययों से सम्बन्धित हैं तथा इन व्ययों को वापस करने हेतु बैंक से पत्राचार प्रक्रियाधीन है।
र. ठेकेदारों आदि के पास पड़ी सामग्री की तुलना में प्रगतिशील कार्य अवशेष, पूर्ण विवरण, पुष्टिकरण, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, की तैयारी के अधीन हैं।	परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि इकाईवार सीडब्ल्यूआईपी तथा ठेकेदारों आदि के पास पड़ी सामग्री का पूर्ण विवरण सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध करा दिया गया है।
ल. सामग्री शीर्ष अन्तर्गत कुछ इकाईयों में भण्डार (पूंजी) और भण्डार (ओ॰ एंड एम॰) में जमा अवशेष और सहलग्नता ह्रास के लिए प्रावधान शीर्ष अन्तर्गत के नामे शेष सुधार और परिणामी समायोजन के लिए लंबित हैं। शीर्ष के अंतर्गत पुराने अवशेष–धारित आय और बयाना राशि आदि, पुष्टि और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।	परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्ण विवरण तैयार करने तथा समाधान हेतु इकाइयों को निर्देश निर्गत किये गये हैं।
व. लोकेशन कोड 106 ई॰एफ॰यू॰ नैनी में संरचना के लिए कार्यशाला उचित सामग्री के लिए लेखा कोड एजी 22.710 अन्तर्गत ₹ 2,20,05,776.97 तथा अवशिष्ट सामग्री से सम्बन्धित लेखा कोड एजी 22.770 अन्तर्गत ₹ 1,35,64,921.70 का नामे अवशेष पूर्ण सामग्री लेखांकन तथा समायोजन के अधीन है। इसके अलावा, भण्डार सामग्री (एजी–22.60 और 22.61) कुल ₹ 10,43,67,648.53 के मूल्यांकन के संबंध में पूर्ण और पारदर्शी विवरण हमें सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।	परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन व 2 एस पंजिका की प्रति के साथ मूल्यांकन विवरण सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध करा दिया गया था।
श. इकाई संख्या 106 में लेखाकोड–22.770 अन्तर्गत 06/2019 के अवशिष्ट बिक्री पर दर मूल्यांकित स्टील	हस्तगत आगामी लेखों में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन		उत्तर
	जिंक ड्रॉस, जिंकैश एवं जिंक ओल्ड की अवशिष्ट सामग्री सम्मिलित है जैसाकि नीति संख्या (V)(ब) जो बताता है कि स्टील अवशिष्ट वसूली मूल्य पर तथा स्टील के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट जैसा एवं जब बिक्री के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है के प्रतिकूल है।	
ष.	लोकेशन कोड 251 वाली इकाई के मामले में फ्लैक्सी स्थायी जमा के सम्बन्ध में न तो बैंक अवशेष प्रमाणपत्र और न ही बैंक विवरण में उपलब्ध कराया गया अतएव इकाई में किये गये वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक लेन–देनों पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।	परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि ईकाई संख्या–251 द्वारा बैंक से फ्लेक्सी अवशेष का पुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अनेकों पत्राचार किये गये हैं किन्तु यह बैंक द्वारा नहीं प्रदान किया गया। सुधारात्मक कार्यवाही के रूप में इकाई द्वारा खाता दूसरे बैंक में स्थानान्तरित कर दिया गया है व हस्तगत आगामी लेखों में अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
II)	**लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 300, 400, और 450)**	
अ.	अनुपयोगी मदों का विवरण स्क्रैप सामग्री और भण्डार से संबंधित खातों का पता लगाने के लिए आवश्यक है (एजी कोड– 22, धनराशि ₹ 325.53 करोड़ सामग्री में शामिल (टिप्पणी–7))। चूंकि, अनुपयोगी मदों का विवरण मूल्य सहित लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका, इसलिए परिमत की मात्रा का निर्धारण संभव नहीं है।	परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि इकाइयों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।
ब.	प्रगतिशील खाते में पूंजीगत व्यय का आयुवार विश्लेषण (एजी कोड– 14, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में शामिल ₹ 623.8 करोड़ (टिप्पणी–3) जेड॰ए॰ओ॰ कार्यालय में सहजता उपलब्ध नहीं है। इस कारण से पूंजीगत व्यय के गैर पूंजीकरण के साथ पुरानी प्रविष्टियाँ निर्धारण योग्य नहीं है।	चल रहे विशिष्ट कार्यों का कार्यवार/योजनावार विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा हेतु इकाई स्तर पर उपलब्ध है। परिक्षेत्रीय कार्यालय ने सूचित किया है कि संगत अवधि के दौरान विवरण व आयुवार विश्लेषण के अभाव में कोई पूंजीकरण लम्बित नहीं है।
III)	**मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 500 और 600)**	
अ.	कुछ इकाइयों के बैंक समाधान विवरण में पुरानी बकाया प्रविष्टियां हैं जिनमें अप्रचलित चेक निर्गत किन्तु प्रस्तुत न किये गये अन्य जमाए शामिल हैं।	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
ब. अनुपयोगी/धीमी गति से चलने वाले/नान–मूविंग भण्डार की पहचान करने और उन्हें अलग करने की कोई प्रणाली नहीं है। ऐसे भण्डार अन्य भण्डार के साथ मिश्रित होते हैं और सामान्य भण्डार के रूप में मूल्यांकित किये गये है।	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
15. पूरी जानकारी के अभाव में, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 14 तक और इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–II में आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय पर हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह०–	–ह०–	–ह०–	–ह०–
एस०के० अवस्थी	**ए०के० गुप्ता**	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी० गुरूप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक–II

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
1. अ) कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	दिनांक 01.04.2007 से अब तक प्रारम्भिक अवशेष (लेखों के अनुसार) के साथ वर्षवार समेकित परिसम्पत्ति पंजिका सभी सम्बन्धित परिक्षेत्रों द्वारा तैयार किये जा चुके है। तथापि, मात्रात्मक विवरण एवं स्थायी सम्पत्तियों का अवस्थिति सम्मिलित करते हुए पूर्ण विवरण दर्शाते हुए स्थायी परिसम्पत्ति पंजिका का रख रखाव एवं अद्यतन किया जाना प्रक्रियाधीन है। सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।
ब) कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बंध कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही।	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।
स) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं या नहीं।	लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा के लिये अचल सम्पत्तियों के स्वामित्व विलेख इकाइयों में उपलब्ध हैं।
2. भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है। आगरा परिक्षेत्र को छोड़कर सभी परिक्षेत्रों के सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध नही करायी गयी है। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप व्यवहारित किया गया है।	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।
3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के	कोई टिप्पणी नहीं।

<table>
<tr><th>सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>अन्तर्गत आवश्यक पंजिका में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iii) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।</td><td></td></tr>
<tr><td>4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानानुसार कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति नहीं प्रदान की है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iv) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>5. कंपनी द्वारा जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया गया है, अस्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य संबंधित प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराए गए है।</td><td>वित्तीय वर्ष 2019–20 की लागत लेखा परीक्षा पूर्ण कर ली गई है तथा प्रतिवेदन 18.08.2021 को हस्ताक्षरित कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>7. अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित दयों को छोडकर कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और किसी भी अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है :–
<table>
<tr><th>अधिनियम का नाम</th><th>देयको की प्रकृति</th><th>धनराशि (₹)</th><th>अवधि जिससे धनराशि सम्बन्धित है (वि.व.)</th></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर–टीडीएस*</td><td>परिमाणित नहीं</td><td>2019-20</td></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर–टीडीएस (कार्मिक)</td><td>319.00</td><td>2012-13</td></tr>
<tr><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर–टीडीएस (कार्मिक)</td><td>6,500.00</td><td>2016-17</td></tr>
</table>
</td><td>सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।</td></tr>
</table>

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन				उत्तर
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर–टीडीएस (ठेकेदार)	31,129.79	2015-16	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर–टीडीएस (ठेकेदार)	34,256.00	2006-07	
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	1,48,089.50	2017-18	
भविष्य निधि	सामान्य भविष्य निधि और उस पर ब्याज	1,18,99,48,665.00	2019-20, 2018-19 और पूर्व वर्ष	
भविष्य निधि	अंशदायी भविष्य निधि और उस पर ब्याज	20,27,95,266.00	2019-20, 2018-19 और पूर्व वर्ष	

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, माल और सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपयुक्त प्राधिकारियो का कोई अन्य वैधानिक देयताएं, सिवाय निम्नलिखित बकाये को छोडकर बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किये गये है:

अधिनियम का नाम	बकाये की प्रकृति	धनराशि (₹)	अवधि जिससे राशि सम्बन्धित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	टिप्पणी, यदि कोई
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,73,045	2011-12	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,42,678	2012-13	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	47,75,873	2014-15	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	

सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन						उत्तर
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	46,91,721	2015-16	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी		
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर टीडीएस	3,32,270	2018-19	टीडीएस वार्ड, आयकर विभाग		
श्रम उपकर	श्रम उपकर	2,60,00,000	2015-16	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	विघुत उपकेन्द्र, परिकल्पना मंडल शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा देखा जा रहा है।	
8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार की उधार या ऋणों की अदायगी अथवा ऋण पत्र धारकों को देय राशि में चूक नहीं की है।						कोई टिप्पणी नहीं।
9. उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी गयी। कंपनी ने सावधि ऋणों के माध्यम से धन जुटाया है और उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए उन्हें उठाया गया था।						कोई टिप्पणी नहीं।
10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।						कोई टिप्पणी नहीं।
11. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं॰ जी॰एस॰आर॰ 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।						कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
12. कंपनी चिट फंड या निधि/म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है, इसलिए आदेश का खण्ड 3(xii) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
13. हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 जहाँ भी लागू है के अनुपालन में हैं, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण भारतीय लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
14. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र में परिवर्तित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
15. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
16. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई.ए. के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह.–	–ह.–	–ह.–	–ह.–
एस.के. अवस्थी	**ए.के. गुप्ता**	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी. गुरूप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर	प्रबन्धन के उत्तर
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	आई॰टी॰ प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है। सेक्शनल जर्नल्स अन्तर्गत एस॰जे॰1, एस॰जे॰2, एस॰जे॰3 और एस॰जे॰4 तथा रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है, लेकिन बहीखातों/उप बहीखातों का रखरखाव नहीं किया जाता है।	टैली प्रचालन में है और ईआरपी कार्यान्वयन के अधीन है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/छूट/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय आरोपण के बारे में बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना/ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र लेखापरीक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—	—ह॰—	—ह॰—	—ह॰—
एस॰के॰ अवस्थी	**ए॰के॰ गुप्ता**	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी॰ गुरूप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वैधानिक सम्प्रेक्षकों/शाखा सम्प्रेक्षकों के लिए अधिनियम की धारा 143(5) के अन्तर्गत उपनिर्देश –

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कारपोरेशन के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं।

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा कि क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वि॰व॰ 2019-20 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.560% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ ने वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.434% की है जो कि तुलना में कम तथा राज्य आयोग द्वारा वि॰व॰ 2019-20 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार उदित हुए कुल व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—	—ह॰—	—ह॰—	—ह॰—
एस॰के॰ अवस्थी	**ए॰के॰ गुप्ता**	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी॰ गुरूप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक–IV

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियय 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के वाक्य (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी सम्प्रेक्षा के साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणो का सम्प्रेक्षण किया है।

निर्देश	उत्तर
आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व कम्पनी का प्रबन्धन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश लेख टिप्पणी में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चत करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर (दिशानिर्देश लेख) तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हुए माने गये है तथा आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू सीमा तक दोनों ही आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा दोनो ही भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत किये गये हैं। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।	
हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्यसाधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु	

निर्देश	उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय प्रपत्रों की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।	
वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं प्रबन्धकीय कमियों, नियंत्रण के लंघन तथा आपसी साँठ–गाँठ की सम्भावनाओं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण ऐसा सम्भव है कि त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण सारभूत मिथ्याकथन विद्यमान हों जिनका पता न लग पाया हो। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आंकलन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियो या कार्यप्रणालियों के अनुपालन की कोटि/श्रेणी विकृत कर सकता है।	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	उत्तर
अभिमत हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2020 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह०—	—ह०—	—ह०—	—ह०—
एस०के० अवस्थी	**ए०के० गुप्ता**	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी० गुरूप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबन्धन के उत्तर

सी०ए०जी० की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 27 मई, 2021 के माध्यम से किया गया होना इंगित है। मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय	कोई टिप्पणी नहीं।

सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :	
अ. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ **व्यय** **कर्मचारी लाभ व्यय (नोट–21) :** **₹ 385.00 करोड़** 1. उपरोक्त में 01.08.2016 से 31.12.2016 की अवधि का ₹ 24.41 करोड़[1] 7वें वेतन आयोग का अवशेष सम्मिलित है जिसके लिये लेखा पुस्तकों में पूर्व वर्षों में दायित्व/प्रावधान पहले ही सृजित किया जा चुका है। विद्यमान प्रावधान को समायोजित करने के बजाय, कम्पनी ने भुगतान करते समय इसे कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में चालू वर्ष में प्रभारित किया। इसका परिणाम कर्मचारी लाभ व्यय व अन्य चालू दायित्व प्रत्येक का ₹ 24.41 करोड़ से अधिकथन रहा। परिणामतया, वर्ष का लाभ इस धनराशि से कम दर्शाया गया है।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों में 7वें वेतन आयोग के बकाया के लिये सृजित दायित्व का समायोजन करके पूर्वावधि व्यय के माध्यम से अनुपालन पहले ही किया जा चुका है।
ब. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ **गैर चालू परिसम्पत्तियाँ** **प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (नोट–3) :** **₹ 7837.75 करोड़** 2. कम्पनी ने इंड एएस 23 (उधार की लागत) के प्रावधान के अतिक्रमण में उधार देने वाली एजेन्सी को 2016–17 में भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज के भुगतान में देरी के कारण ₹ 4.88 करोड़ दण्डनीय ब्याज को लाभ हानि खाते में प्रभारित करने के बजाय प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में दर्ज किया।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों में प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में दर्ज दण्डनीय ब्याज (सीडब्ल्यूआईपी) को प्रतिलोमित करके पूर्वावधि व्यय के माध्यम से अनुपालन पहले ही किया जा चुका है।

सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
इस प्रकार, दण्डनीय ब्याज के पूंजीकरण के कारण, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य व अन्य समता प्रत्येक ₹ 4.88 करोड़ से अधिकथित हैं। वर्ष 2016–17, 2017–18 व 2018–19 के लेखों में टिप्पणी के बावजूद, प्रबन्धन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।	
स. अन्य टिप्पणियाँ	
3. व्यापारिक प्राप्य के अन्तर्गत, कम्पनी ने अतिरिक्त राज्य उपभोक्ताओं (मध्य प्रदेश व हिमांचल प्रदेश) से वर्ष 2010–11 से 2015–16 से सम्बन्धित ₹ 19.62 करोड़ की धनराशि का असंरक्षित प्राप्य दर्ज किया है। ये प्राप्य 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा इन पक्षों के विरुद्ध अवशेषों की पुष्टि भी कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी, किन्तु इन प्राप्यों के विरुद्ध अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिये लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	प्रकरण एनआरपीसी स्तर पर विचाराधीन है तथा विचार विमर्श के परिणाम के अनुसार प्राप्य धनराशि की वसूली योग्यता अन्तिम होगी। अतः अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान, यदि आवश्यक हो, विचार विमर्श के परिणाम के अनुसार हस्तस्थ आगामी लेखों में किया जायेगा।

—ह०—	—ह०—	—ह०—	—ह०—
एस०के० अवस्थी	**ए०के० गुप्ता**	**रंजन कुमार श्रीवास्तव**	**पी० गुरुप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–III

31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण व निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2020 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वि॰व॰ 2019–20 के लिये वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की नियत तिथि 31.12.2020 तक बढ़ा दी है जिसके प्रभाव में कंपनी की वार्षिक साधारण सभा 08.12.2020 को आहूत की गई थी। किन्तु कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) सम्प्रेक्षित नहीं थे एवं परिणामतया निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन तैयार नहीं हो पाया तथा इसलिये इस वार्षिक साधारण सभा में ये अंगीकृत नहीं कराये जा सके तथा जिसे अंततः स्थगित कर दिया गया। अग्रेतर, सम्प्रेक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों को 07.11.2020 को आहूत स्थगित वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत किया गया हैं।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक साधारण सभा नियत तिथि से पुर्व बुलाई है, किन्तु सी॰ एण्ड ए॰जी॰ द्वारा लेखों की सम्प्रेक्षा लम्बित होने के कारण, वर्ष के सम्प्रेक्षित लेखे 08.12.2020 को आहूत वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अंगीकृत नहीं किये जा सके। चूँकि सी॰ एण्ड ए॰जी॰ से कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां हाल ही में प्राप्त हुई हैं; इन्हें अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थगित वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के सम्मुख रखा जायेगा। ऐसी ही स्थिति वित्तीय वर्ष 2018–19 की थी जिसमें सी॰ एण्ड ए॰जी॰ से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लेखे 07.11.2020 को आहूत स्थगित वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत किये गये थे। विलम्ब के लिए परिस्थितियाँ कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर थी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान सपठित नियम (5) कम्पनीज़ (लागत एवं सम्प्रेक्षा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से 180 दिनों के भीतर लागत सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक है और इन नियमों के नियम (6) उपनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक लागत सम्प्रेक्षक वित्तीय वर्ष के समापन से 180 दिनों के भीतर, जिस वर्ष से यह सम्बन्धित हो, अपना प्रतिवेदन कम्पनी के निदेशक मण्डल को अग्रसारित करेगा। अग्रेतर, सम्प्रेक्षा के दौरान यह पाया गया है	चूँकि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के सम्प्रेक्षित लेखों में विलम्ब सी॰ एण्ड ए॰जी॰ से लम्बित टिप्पणियों के कारण हुआ; इसलिए लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में भी विलम्ब हुआ। तथापि, लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बोर्ड द्वारा 27.07.2021 को आहूत बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है और पूर्व में ही कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में भी दाखिल कर गया है। विलम्ब के लिए परिस्थितियाँ कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर थी।

कि वित्तीय वर्ष 2018–19 का लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निदेशक मण्डल के सम्मुख विलम्बतम 30.09.2019 तक प्रस्तुत किया जाना था किन्तु इसे वित्तीय वर्ष के समापन से 180 दिनों के भीतर अर्थात 30.09.2019 तक नहीं प्रस्तुत किया गया जो उपरोक्त नियमों के नियम (6) उपनियम (5) के अनुसार आवश्यक था। अतः, इस सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के उपरोक्त प्रावधानों तथा सम्बन्धित नियमों का अनुपालन नही किया गया है।	
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमिय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह०–	–ह०–
(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं०–07338796	डीआईएन सं०–07979258

दिनांक : 05.01.2022
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IV

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अधीन निर्मित कम्पनीज़ (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अधीन प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना

अ. **ऊर्जा का संरक्षण–**

(i) ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव अथवा उठाए गए कदम :–

सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैः–

- सभी उपकेन्द्रो/कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाइट का उपयोग।
- ऊर्जा दक्ष सहायक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने का उपयोग।
- कैपेसिटर बैंक का अनुकूलतम उपयोग और प्रतिक्रियाशील नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए निकट निगरानी।

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम :–

- वर्तमान में 1385 मेगावाट की कुल क्षमता वाले विभिन्न सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही यूपीपीटीसीएल और यूपीपीसीएल के ग्रिड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 24,365 मेगावाट है, जिसमें से सौर ऊर्जा उत्पादन सम्पूर्ण स्थापित क्षमता का केवल 4.9% (1385 मेगावाट) है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजीगत विनियोग – शून्य

ब. **प्रौद्योगिकी आमेलन**

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन की ओर किये गये प्रयास :–

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ।

I. उपकेन्द्रों हेतु :

विद्यमान पारेषण उपकेन्द्र सर्वाधिक ''वायु प्रतिरोधित'' (ए॰आई॰एस॰) प्रकार के हैं। बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण स्थान उपलब्धता में बाधा से उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता मे बाधा आई है। अग्रेतर ए.आई.एस. प्रकार के उपकेन्द्रों का ट्रिपिंग/व्यवधान हेतु प्रवृत्त हैं। इसलिए उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ ने इस समस्या का संभावित समाधान चयन द्वारा सुनिश्चित किया है–

- एच॰वी॰ वर्ग उपकेन्द्रो के लिए उपकेन्द स्वचालन प्रणाली।
- 132 केवी से 400 केवी उपकेन्द्रों के लिए गैस इंसुलेटेड उपकेन्द्र (जी॰आई॰एस॰.) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 नग 400 केवी, 02 नग 220 केवी और 02 नग, 132 केवी जीआईएस उपकेन्द्र चालू किये गये हैं।
- 132 केवी और 220 केवी उपकेन्द्रों के लिए हाइब्रिड स्विचगियर तकनीक। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, 01 नग 220 केवी हाइब्रिड उपकेन्द्र चालू किया गया हैं।

इन उपकेन्द्रों के परिचालन में काफी स्थायित्व है तथा ट्रिपिंग बाधाओं की सम्भावनाएं कम रहती है।

II. <u>पारेषण लाइन हेतु:</u>

स्थायित्व बाधाओं के कारण पारेषण लाइनों की संवाहक ऐम्पेसिटी की अपनी सीमाएं हैं। ओवरहेड पारेषण लाइनों की स्थापना भी निश्चित रूप से ''राइट–आफ–वे'' प्रकरणों को आमन्त्रित करती है। इन प्रकरण के तकनीक के प्रयोग द्वारा समाधान हेतु उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

- उच्च एम्पेसिटी एचटीएलएस (उच्च तापमान कम शिथिलता) संवाहकों को विद्यमान कम एम्पेसिटी संवाहकों से बदलना।
- ईएचवी लाइनों के लिए मोनोपोल डिजाइन।
- कुशल सुरक्षा संकेतन और संचार के लिए आप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्लू)

(iii) आयतित तकनीक के सम्बन्ध में (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के सापेक्ष विगत तीन वर्षो में आयतित)–

(अ) आयातित तकनीक का विस्तृत विवरण;

(ब) आयात का वर्ष;

(स) क्या तकनीक को पूर्णरूपेण आमेलित कर लिया गया है;

(द) यदि पूर्णरूपेण आमेलित नही किया जा सका है, तो कारणों सहित वह क्षेत्र जहाँ आमेलन नही हो सका है; एवं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय – शून्य

(स) <u>तकनीकी आमेलन:</u>

(i)	विदेशी विनिमय मे उपार्जन	शून्य
(ii)	विदेशी विनिमय में व्यय	शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह०–	–ह०–
(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं०–07338796	डीआईएन सं०–07979258

दिनांक : 05.01.2022
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–V

कम्पनी (निगमीय सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुलग्नक के अनुसार सीएसआर नीतियों के सम्बन्ध में प्रकटन

(अधिनियम की धारा 135 तथा कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

निगमीय सामाजिक दायित्व

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

अ. उद्देश्य

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (कम्पनी) के निगमीय सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैः–

- सीएसआर को समाज के सतत् विकास हेतु एक प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिससे कि समाज में वृहद पैमाने पर तथा अपने परिचालन के क्षेत्रों के आस–पास के समुदायों का आर्थिक कल्याण हो तथा जीवन शैली की गुणवत्ता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो।
- कम्पनी के समस्त हितधारकों के समक्ष अच्छी साख तथा सम्मान उद्गमित कराना।

ब. कार्यक्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा भारत वर्ष में कार्यान्वित कराए जा रहे समस्त सी०एस०आर० परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों पर यह नीति लागू होगी।

स. सी०एस०आर० गतिविधियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 सपठित अनुसूची VII (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुपालन में ही कम्पनी द्वारा कार्यान्वयन हेतु सी०एस०आर० गतिविधियाँ चयनित की जाएंगी। निम्नवत् में से सी०एस०आर० गतिविधियों का चयन किया जाएगा :–

- भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छता तथा पीने योग्य शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अभिदान को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य तथा निवारक स्वास्थ्य उपायों एवं स्वच्छता हेतु प्रोत्साहन;
- विशेष शिक्षा को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रोत्साहन तथा बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के बीच रोजगार हेतु व्यवसायिक कौशल में वृद्धि तथा जीविकोपार्जन वृद्धि परियोजनाएँ;
- लैंगिक समानता को प्रोत्साहन, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं तथा अनाथ लोगों के लिए हास्टल एवं घरों की स्थापना, वृद्धाश्रमों की स्थापना, दिवस देखभाल केन्द्र तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु ऐसी अन्य सुविधाएँ तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु असमानताओं को दूर करने के उपाय;

- पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु, परिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण, तथा गंगा नदी के पुनरोद्धार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान को सम्मिलित करते हुए भूमि, वायु एवं जल की गुणवत्ता का रख–रखाव।
- ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों तथा कलाकृतियों के जीर्णोद्धार को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय धरोहर कला एवं संस्कृति का संरक्षण; लोकपुस्तकालयों की स्थापना; पारम्परिक कलाओं एवं हस्तनिर्मित कृतियों का प्रोत्साहन एवं विकास;
- सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लाभ हेतु उपाय करना;
- ग्रामीण क्रीड़ाओं, राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद, ओलम्पिक एवं पैरालम्पिक खेलों के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण;
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के सामजिक–आर्थिक विकास एवं राहत तथा सहायता हेतु स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान;
- केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के अन्तर्गत स्थित प्रोद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स हेतु अंशदान अथवा निधि उपलब्ध कराना;
- ग्रामीण विकास परियोजानाएँ;
- मलिन बस्ती का विकास;
- ऐसे अन्य विषय जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो;
- क्लीन यू॰पी॰ ग्रीन यू॰पी॰ अभियान से सम्बन्धित गतिविधियाँ;
- ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित गतिविधियाँ;
- मुख्य मंत्री (यू॰पी॰) राहत कोष में अंशदान;
- उ॰प्र॰ सरकार द्वारा उद्योग बन्धु के अन्तर्गत चिन्हित गतिविधियाँ;

स्पष्टीकरण –इस बिन्दु हेतु ''मलिन बस्ती'' का तात्पर्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा उस समय लागू किसी विधान के अन्तर्गत अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त घोषित कोई भी क्षेत्र।

द. सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों का कार्यान्वयन

कम्पनी द्वारा स्वयं के परिचालन वाले क्षेत्रों अथवा उ॰प्र॰ के किन्ही भी अन्य क्षेत्रों में वृहद रूप में समाज के उत्थान हेतु सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों (उपरोक्त उपबन्ध 'स' में वर्णित गतिविधियों में से) को सम्पन्न कराया जाना होगा सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों का कार्यान्वयन सम्बन्धित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों/उद्योग बन्धु उ॰प्र॰ सरकार/कम्पनी के अधिकारियों द्वारा चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु किया जाएगा।

सी॰एस॰आर॰ गतिविधियाँ सम्पादित की जायेंगीः

- कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न हितधारकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु।
- समय–समय पर प्रभावी विधियों द्वारा अनुज्ञेय ऐसे अन्य संगठनों/संस्थानों को अंशदान/दान दिये जाने के माध्यम से ।

य. सी॰एस॰आर॰ से छूट

निम्नवत् कार्यक्रम कम्पनी के सी॰एस॰आर॰ कार्यक्रम का भाग नही होंगेः

- कम्पनी के व्यवसाय में सामान्यतः किये जाने वाले कार्य।
- ऐसी सी॰एस॰आर॰ परियोजना/कार्यक्रम अथवा गतिविधियों जिन से मात्र कम्पनी के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को लाभ प्राप्त हों।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टियों को दिया गया अंशदान अथवा राजनीतिक पार्टियों को अथवा राजनीतिक उद्देश्य को उन्मुख निधियाँ।
- भारतवर्ष के बाहर सम्पादित किए जा रहे कोई भी सी॰एस॰आर॰ परियोजना/कार्यक्रम।

र. सी॰एस॰आर॰ व्यय

कम्पनी द्वारा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कम्पनी के विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सी॰एस॰आर॰ कार्यक्रमों में व्यय किया जाना चाहिए।

सी॰एस॰आर॰ परियोजना/कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से अर्जित किसी भी लाभ को कम्पनी का व्यवसायिक लाभ भाग नहीं होगा।

ल. अनुश्रवण

सी॰एस॰आर॰ समिति सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों की प्रगति तथा व्यथित गतिविधियों पर व्यय की गयी राशि के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगी तथा समय–समय पर निदेशक मण्डल को सूचित करेगी।

श. प्रकटीकरण

कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन में सी॰एस॰आर॰ नियम के अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप पर निर्दिष्ट विवरण सहित सी॰एस॰आर॰ पर वार्षिक रिर्पोट सम्मिलित होनी चाहिए।

सी॰एस॰आर॰ समिति द्वारा संस्तुत तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सी॰एस॰आर॰ नीति को कम्पनी की वेबसाईट पर दर्शाया जाना चाहिए साथ ही इस का निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह॰–	–ह॰–
(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं॰–07338796	डीआईएन सं॰–07979258

दिनांक : 05.01.2022
स्थान : लखनऊ

अनुलग्नक–VI

फार्म नं॰–एमजीटी 9
वार्षिक रिटर्न का उद्धरण
31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कम्पनी (प्रबन्ध एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I– पंजीकरण एवं अन्य विवरण :–

i.	सी॰आई॰एन॰	यू40101यूपी2004एसजीसी028687
ii.	पंजीकरण तिथि	31-05-2004
iii.	कम्पनी का नाम	उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
iv.	कम्पनी का वर्ग/उप वर्ग	राज्य सरकारी कम्पनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा सम्पर्क विवरण	शक्ति भवन, 14–ए, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष संख्या : 0522-2287107
vi.	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार तथा अन्तरण अभिकर्ता का नाम, पता और सम्पर्क विवरण, (यदि है)	लागू नहीं

II– कम्पनी की मुख्य व्यवसायिक क्रियाएं

सभी क्रियांए जो कि कम्पनी के कुल आवर्त का 10%या उससे अधिक की सहभागी है, यहां पर वर्णित की जायेंगी

क्रम संख्या	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का विवरण और नाम	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कम्पनी के कुल आवर्त का %
1	विद्युत पारेषण, राज्य पारेषण उपयोगिता	99691110	100 %

III– सूत्रधारी, सहायक और सहभागी कम्पनियों के विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	सूत्रधारी/सहायक/ सहभागी कम्पनी	अंश धारिता का %	लागू धारा
1	लागू नहीं				

IV– अंशधारिता का स्वरूप (कुल समता के आधार पर समता अंश पूंजी का प्रतिशतवार विवरण)

अंशधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन % में
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशो का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशो का %	
(अ) **प्रमोटर्स**									
(1) **भारतीय**									
(अ) व्यक्ति/एच यू एफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ब) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार	0	113820046	113820046	83.72	0	128467316	128467316	85.30	1.58
(स) निगमित संस्था	0	22132752	22132752	16.28	0	22132752	22132752	14.70	-1.58
(द) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(य) अन्य कोई (निदेशक)	0	600	600	0	0	600	600	0	0
उप–योग (अ)(1)	**0**	**135953398**	**135953398**	**100.00**	**0**	**150600668**	**150600668**	**100.00**	**0**

(2) विदेशी

अ) एन॰आर॰आई॰ व्यक्ति	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
ब) अन्य व्यक्ति	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
स) निगमित संस्था	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
द) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
य) अन्य कोई	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
उपयोग (अ) (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रोमोटर की कुल हिस्सेदारी (अ)=(अ)(1)+(अ)(2)	**0**	**135953398**	**135953398**	**99.9995587**	**0**	**150600668**	**150600668**	**100.00**	**0**

ब. सार्वजनिक अंशधारिता

1. संस्थान

(अ) म्युचुअल फंड	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(ब) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(स) केन्द्र सरकार	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(द) राज्य सरकार	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(य) उद्यम पूंजी कोष	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(र) बीमा कम्पनियां	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(ल) विदेशी संस्थागत विनियोजक	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(व) विदेशी उद्यम पूंजी कोष	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
(श) अन्य (वैकल्पिक निवेश कोष)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
उपयोग (ब)(1):-	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
2. गैर–संस्थान									
(अ) निगमित संस्था									
i) भारतीय	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
ii) प्रवासी	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
(ब) व्यक्तिगत	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
i) व्यक्तिगत अंशधारक द्वारा धारित ₹ 1 लाख की अंकित मूल्य की अंशपूंजी तक	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
ii) व्यक्तिगत अंश धारक द्वारा धारित ₹ 1 लाख से अधिक मूल्य की अंश पूंजी	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
(स) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
(i) प्रवासी भारतीय व्यक्ति : प्रत्यावर्ती एवं अप्रत्यावर्ती	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
(iii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
(iv) आरबीआई द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%
उपयोग (ब)(2):-	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ब) = (ब)(1)+ (ब)(2)	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
स. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित अंश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (अ+ब+स)	**0**	**135953398**	**135953398**	**100%**	**0**	**150600668**	**150600668**	**100%**	**0**

(ii) प्रमोटर्स की अंशधारिता

क्रम सं॰	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता			वर्ष के अन्त में अंशधारिता			वर्ष के दौरान अंशधारिता में परिवर्तन का %
		अंशो की सं॰	कम्पनी के कुल अंशो का %	गिरवी रखे गये अंशो का %	अंशो की सं॰	कम्पनी के कुल अंशो का %	गिरवी रखे गये अंशो का %	
1	उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰	22132752	16.28%	-	22132752	14.70%	-	-1.58%
2	उ॰प्र॰ सरकार	113820046	83.72%	-	128467316	85.30%	-	1.58%
3	सेन्थिल पाण्डियन सी॰	200	0.00%	-	100	0.00%	-	0.00%
4	सुमन गुछ	100	0.00%	-	0	0.00%	-	0.00%
5	राम स्वारथ	100	0.00%	-	100	0.00%	-	0.00%
6	नील रतन कुमार	100	0.00%	-	100	0.00%	-	0.00%
7	ब्रजेश कुमार खरे	100	0.00%	-	0	0.00%	-	0.00%
8	वी॰के॰ खरे	0	0.00%	-	100	0.00%	-	0.00%
9	रवि प्रकाश दुबे	0	0.00%	-	100	0.00%	-	0.00%
10	बिभु प्रसाद महापात्रा	0	0.00%	-	100	0.00%	-	0.00%
	योग	**135952998**	**100.00%**	**-**	**150600168**	**100.00%**	**-**	**0.00%**

(iii) प्रमोटर्स की अंशधारिता में परिवर्तन, (यदि कोई परिवर्तन नही है तो उल्लेख करें)।

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंश धारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के लिए कुल अंशो का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के लिए कुल अंशो का %
1	उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰				
	वर्ष के प्रारम्भ में	22132752	16.28%		
	वर्ष के अन्त में			22132752	14.70%
2	उ॰प्र॰ सरकार				
	वर्ष के प्रारम्भ में	113820046	83.72%		
	जोड: आवंटन के माध्यम से खरीद	14647270			
	वर्ष के अन्त में			128467316	85.30%
3	सेन्थिल पाण्डियन सी॰				
	वर्ष के प्रारम्भ में	200	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
4	सुमन गुछ				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			0	0.00%
5	बिभू प्रसाद महापात्रा				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
6	वी॰के॰ खरे				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
7	सुमन गुछ				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			0	0.00%
8	राम स्वारथ				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%

9	नील रतन कुमार				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
10	ब्रजेश कुमार खरे				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			0	0.00%
11	रवि प्रकाश दूबे				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%

(iv) शीर्ष के 10 अंशधारकों की अंशधारिता (निदेशकों, संस्थापकों तथा जीडीआर और एडीआर धारकों के अलावा)

क्र. सं.	शीर्ष के 10 अंशधारकों में से प्रत्येक के लिए अंशधारिता	वर्ष के प्रारम्भ में अंश धारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के लिए कुल अंशो का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के लिए कुल अंशो का %
1	**वर्ष के प्रारम्भ में**	**0**	**0.00%**		
	वर्ष के अन्त में			**0**	**0.00%**

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों की अंशधारिता :

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंश धारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	निदेशकों और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	अंशों की संख्या	कम्पनी के लिए कुल अंशो का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के लिए कुल अंशो का %
1	सेन्थिल पाण्डियन सी॰				
	वर्ष के प्रारम्भ में	200	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
2	बिभु प्रसाद महापात्रा				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
3	ब्रजेश कुमार खरे				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			0	0.00%
4	वी॰के॰ खरे				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
5	सुमन गुछ				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			0	0.00%
6	राम स्वारथ				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
7	नील रतन कुमार				
	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%
8	रवि प्रकाश दुबे				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%		
	वर्ष के अन्त में			100	0.00%

V. ऋणग्रस्तता (2019-20)

भुगतान हेतु अद्त उपार्जित किन्तु देय नही ब्याज को सम्मिलित करते हुये कम्पनी की ऋणग्रस्तता				
	निक्षेप के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	1,18,30,74,31,774.25	55,65,17,636.00	–	1,18,86,39,49,410.25
ii) देय ब्याज किन्तु भुगतान नहीं	–	–	–	–
iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नही	1,20,98,65,640.00	1,62,53,06,766.00	–	2,83,51,72,406.00
योग (i+ii+iii)	**1,19,51,72,97,414.25**	**2,18,18,24,402.00**	–	**1,21,69,91,21,816.25**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि (मूल+ब्याज)	21,71,14,01,862.00	–	–	21,71,14,01,862.00
कमी (मूल+ब्याज)	10,31,26,93,130.00	55,30,14,524.00	–	10,86,57,07,654.00
शुद्ध परिवर्तन	**11,39,87,08,732.00**	**(55,30,14,524.00)**	–	
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल राशि	1,29,64,03,45,642.00	23,00,21,207.00	–	1,29,87,03,66,849.00
ii) देय ब्याज किन्तु भुगतान नही	–	–	–	–
iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नही	1,27,56,60,504.00	1,39,87,88,671.00	–	2,67,44,49,175.00
योग (i+ii+iii)	**1,30,91,60,06,146.00**	**1,62,88,09,878.00**	–	**1,32,54,48,16,024.00**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(अ) प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण–कालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबन्धक का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण–कालिक निदेशक/प्रबन्धकों के नाम					कुल राशि
	सकल वेतन	रवि प्रकाश दुबे	चन्द्र मोहन	ब्रजेश कुमार खरे	राकेश कुमार सिंह	विनोद कुमार खरे	
1.	(अ) आयकर अधिनियम, 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	39,39,625.00	35,33,679.00	7,72,065.00	20,03,746.00	15,43,834.00	1,17,92,949.00
	(ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	–	–	–	–	–	–
	(स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	–	–	–	–	–	–
2	स्टॉक आप्शन	–	–	–	–	–	–
3	स्वेट इक्विटी	–	–	–	–	–	–
4	कमीशन	–	–	–	–	–	–
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	–	–	–	–	–	–
5	अन्य–अवकाश नकदीकरण	–	–	–	–	–	–
	योग (अ)	**39,39,625.00**	**35,33,679.00**	**7,72,065.00**	**20,03,746.00**	**15,43,834.00**	**1,17,92,949.00**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	**5 जून, 2015** को एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिए छूट					

(ब) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशको के नाम			
1	स्वतंत्र निदेशक				योग
	(अ) बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	–	–	–	–
	(ब) कमीशन	–	–	–	–
	(स) अन्य, कृपया उल्लेख करें (यात्रा)	–	–	–	–
	योग (1)	–	–	–	–
2	अन्य–गैर कार्यकारी निदेशक				–
	(अ) बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	–	–	–	–
	(ब) कमीशन	–	–	–	–
	(स) अन्य, कृपया उल्लेख करें	–	–	–	–
	योग (2)	–	–	–	–
	योग (ब)=(1+2)	–	–	–	–

(स) प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		योग
1	सकल वेतन	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी निदेशक (वित्त)	
	(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	1,39,902.00	–	1,39,902.00
	(ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुलाभ का मूल्य	–	–	–
	(स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	–	–	–
2	स्टाक ऑप्शन	–	–	–
3	स्वेट इक्विटी	–	–	–
4	कमीशन	–	–	–
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	–	–	–
5	अन्य–अनुग्रह और अवकाश नकदीकरण	–	–	–
	योग	**1,39,902.00**	**–**	**1,39,902.00**

VII. दंड/सजा/अपराधों का शमन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगायी गयी दण्ड/ सजा/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/ न्यायालय)	की गई अपील यदि कोई हो (विवरण दीजिए)
अ. **कम्पनी**					
दण्ड			कुछ नहीं		
सजा					
शमन					
(ब) **निदेशक**					
दण्ड			कुछ नहीं		
सजा					
शमन					
(स) **अन्य दोषी अधिकारी**					
दण्ड			कुछ नहीं		
सजा					
शमन					

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

—ह०—
(रंजन कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक–वित्त
डीआईएन सं०– 07338796

—ह०—
(गुरू प्रसाद पोराला)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं०– 07979258

दिनांक : 05.01.2022
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
परिसम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) सम्पत्ति, संयत्र एवं उपस्कर	2	**19,56,948.32**	17,74,637.19
(ब) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3	**7,83,774.89**	7,04,140.38
(स) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	4	**157.50**	207.97
(द) अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	5	**16,655.16**	39,321.42
(य) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	6	**456.30**	359.34
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) वस्तु सूची (भण्डार एवं सामग्री)	7	**1,62,712.53**	1,43,111.17
(ब) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) व्यापारिक प्राप्य	8	**5,60,055.86**	4,21,421.63
(ii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	9	**75,346.53**	97,750.55
(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	10	**40,970.98**	41,126.73
कुल परिसम्पत्तियाँ		**35,97,078.07**	32,22,076.38
समता एवं दायित्व			
समता			
(अ) समता अंशपूँजी	11	**15,06,006.68**	13,59,533.98
(ब) अन्य समता (एस॰ओ॰सी॰ई॰ देखें)		**1,26,711.40**	58,453.51
दायित्व			
1. गैर चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	12	**11,59,335.40**	10,90,170.27
(ii) अन्य वित्तीय दायित्व	13	**2,470.95**	13,987.89
(ब) प्रावधान	14	**28,449.04**	22,270.43
(स) अन्य गैर चालू दायित्व	15	**103.27**	–
2. चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व	16	**1,63,641.81**	1,12,833.07
(ब) अन्य चालू दायित्व	17	**6,08,662.10**	5,63,005.80
(स) प्रावधान	18	**1,697.42**	1,821.43
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
लेखों पर टिप्पणियाँ	29		
टिप्पणियाँ 1 से 29 तक लेखे के अभिन्न अंग है।			
कुल समता एवं दायित्व		**35,97,078.07**	32,22,076.38

—ह॰—
(एस॰के॰ अवस्थी)
उपमहाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(ए॰के॰ गुप्ता)
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(बी॰पी॰ महापात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01368109

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह॰—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह॰—
(सेन्थिल पाण्डियन सी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–08235586

—ह॰—
(आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2019 समाप्त हुए वर्ष के लिए
I	परिचालनों से राजस्व	19	**3,49,809.40**	2,36,436.81
II	अन्य आय	20	**32,623.45**	16,583.38
III	**कुल आय (I+II)**		**3,82,432.85**	2,53,020.19
	व्यय			
	कर्मचारी लाभों पर व्यय	21	**38,500.27**	27,283.61
	वित्तीय लागत	22	**1,09,005.82**	1,02,908.15
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	23	**1,24,008.29**	1,07,844.42
	अन्य व्यय			
	(अ) प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	24	**6,746.33**	5,856.34
	(ब) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	25	**46,018.57**	42,079.74
	(स) अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	26	**298.50**	–
IV	**कुल व्यय**		**3,24,577.78**	2,85,972.26
V	कर से पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)		**57,855.07**	**(32,952.07)**
VI	**कर व्यय :**			
	(अ) चालू कर		**–**	–
	(ब) अस्थगित कर	27	**22,666.27**	**–**
VII	सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि) (V-VI)		**35,188.80**	(32,952.07)
VIII	असतत संचालनों से लाभ / (हानि)		**–**	–
IX	असतत संचालनों पर कर व्यय		**–**	–
X	असतत संचालनों से लाभ / (हानि) (कर के पश्चात) (VIII–IX)		**–**	–
XI	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII+X)		**35,188.80**	(32,952.07)
XII	अन्य व्यापक आय			
	ऐसे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुर्नवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	28	**(1 553.67)**	(227.98)
XIII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII) (अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय)		**33,635.13**	(33,180.05)
XIV	प्रति समता अंश आय (सतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)			
	(1) आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]		**23.93**	(25.92)
	(2) तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]		**23.90**	(25.92)

XV	प्रति समता अंश अर्जित आय (असतत हुए संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)		
(1)	आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]	–	–
(2)	तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]	–	–
XVI	प्रति समता अंश से आय (सतत और असतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)		
(1)	आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]	**23.93**	(25.92)
(2)	तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]	**23.90**	(25.92)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 1		
	लेखों पर टिप्पणियाँ 29		
	टिप्पणी 1 से 29 तक लेखे का अभिन्न अंग है।		

[1] टिप्पणी संख्या 29 का बिन्दु संख्या 10 देखें।

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह॰—
(आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

—ह॰—
(एस॰के॰ अवस्थी)
उपमहाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(ए॰के॰ गुप्ता)
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(बी॰पी॰ महापात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01368109

—ह॰—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह॰—
(सेन्थिल पाण्डियन सी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–08235586

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

समता में परिवर्तन का विवरण

अ. समता अंशपूंजी

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01.04.2019 को अवशेष	वर्ष के दौरान समता अशपूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 को अवशेष
13,59,533.98	**1,46,472.70**	**15,06,006.68**

ब. अन्य समता

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लम्बित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं आधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2019 को अवशेष	46,472.70	1,25,617.68	1,194.38	(1,80,924.18)	934.52	(6,704.90)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	0.00	0.00	0.00	65,158.41	0.00	65,158.41
01.04.2019 को पुर्नस्थापित अवशेष	46,472.70	1,25,617.68	1,194.38	(1,15,765.77)	934.52	58,453.51
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,553.67)	(1,553.67)
लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
धारित आय में अंतरण	0.00	0.00	0.00	35,188.80	0.00	35,188.80
कोई अन्य परिवर्तन	5,121.68	29,403.90	97.18	0.00	0.00	34,622.76
31.03.2020 को अवशेष	51,594.38	1,55,021.58	1,291.56	(80,576.97)	(619.15)	1,26,711.40

—ह०—
(एस०के० अवस्थी)
उपमहाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)

—ह०—
(ए०के० गुप्ता)
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

—ह०—
(बी०पी० महापात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01368109

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह०—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह०—
(सेन्थिल पाण्डियन सी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–08235586

—ह०—
(आर०पी० तिवारी)
साझीदार
स०सं० 071448
फर्म पंजी०सं० 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	**57,855.07**	(32,952.07)
	समायोजन निम्नलिखित के लिए :–		
(अ)	अवक्षयण	**1,24,008.29**	1,07,844.42
(ब)	उपभोक्ता अंशदान से मान्यता प्राप्त आगम	**(10,268.50)**	(8,303.07)
(स)	उपभोक्ता अंशदान से आय	**39,672.40**	38,146.71
(द)	ब्याज और वित्त प्रभार	**1,09,005.82**	1,02,908.15
(य)	पूंजीगत व्यय पर हानि का प्रावधान	**113.00**	–
(र)	उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक लाभ) का प्रावधान	**3,490.08**	1,461.59
(ल)	ब्याज से आय	**(3,210.18)**	(4,087.81)
(व)	ग्रेच्युटी का प्रावधान – सीपीएफ कर्मचारी	**1,010.85**	850.42
(श)	अन्य पूंजीगत कोष	**97.18**	(893.19)
(ष)	अस्थगित आय	**103.27**	–
	कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**3,21,877.28**	2,04,975.15
	समायोजन निम्नलिखित के लिए		
(अ)	वस्तुसूची (भण्डार एवं कलपुर्जो) में कमी / (वृद्धि)	**(19,601.35)**	(13,417.74)
(ब)	व्यापारिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	**(1,38,634.24)**	(33,190.31)
(स)	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**4,380.20**	(115.25)
(द)	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	**96,465.03**	94,345.58
	संचालन से उत्पन्न नकद	**2,64,486.92**	2,52,597.43
	घटाया : करों का भुगतान	4,224.45	3,880.28
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (अ)	**2,60,262.47**	2,48,717.15
ब)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(अ)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कमी / (वृद्धि)	**(2,95,476.95)**	(2,84,647.16)
(ब)	पीपीई पर समायोजित / घटाया गया अवक्षयण कोष	**(10,789.01)**	(9,269.96)
(स)	अमूर्त सम्पत्ति में कमी / (वृद्धि)	**(2.99)**	–
(द)	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में कमी / (वृद्धि)	**(79,747.52)**	(72,492.69)
(य)	अन्य गैर चालू सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**(96.95)**	17.97
(र)	प्राप्त ब्याज	**3,210.18**	4,087.81
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद (ब)	**(3,82,903.24)**	(3,62,304.03)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
स)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(अ)	उधारियों से प्राप्ति (निवल)	**69,165.13**	13,940.90
(ब)	अंशपूंजी से प्राप्ति	**1,46,472.70**	1,10,091.50
(स)	अंश आवेदन से प्राप्त धनराशि	**5,121.68**	46,472.70
(द)	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	**(11,516.94)**	(2,243.76)
(य)	ब्याज और वित्त शुल्क	**(1,09,005.82)**	(1,02,908.15)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (स)	**1,00,236.75**	65,353.19
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि (अ+ब+स)	**(22,404.02)**	(48,233.69)
	वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य	**97,750.55**	1,45,984.24
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**75,346.53**	97,750.55

रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणियाँ :

(i) वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य :–

हस्तस्थ रोकड़	**17.16**	19.75
पारगमन में रोकड़	**–**	–
बैंको में अवशेष		
चालू और अन्य खातो में	**75,321.62**	97,721.73
सावधि जमा खाते में	**7.75**	9.07
योग	**75,346.53**	97,750.55

(ii) यह विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के पैरा 20 में प्रावधानित अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

(iii) नकद और नकद समतुल्यों में हस्तस्थ नकदी, चालू और अन्य खातों में बैंकों के अवशेष तथा बैंको के साथ सावधि जमा सम्मिलित है।

(iv) आवश्यकतानुसार पूर्व वर्ष के आकड़ों का पुनःसमूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/पुर्नआगणन किया गया है।

–ह०–
(एस०के० अवस्थी)
उपमहाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)

–ह०–
(ए.के० गुप्ता)
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

–ह०–
(बी०पी० महापात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01368109

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह०–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह०–
(सेन्थिल पाण्डियन सी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–08235586

–ह०–
(आर०पी० तिवारी)
साझीदार
स०सं० 071448
फर्म पंजी०सं० 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

टिप्पणी–1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (वित्तीय वर्ष 2019-20)

1) सामान्य/तैयार करने का आधार

(अ) शासी अधिनियम

कंपनी, लागू सीमा तक विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 में दिये गये प्रावधानों के अधीन शासित है।

(ब) अनुपालन का विवरण

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत लेखांकन के प्रोदभूत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये है, तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उसके बाद संशोधित भारतीय लेखांकन मानको, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक), कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों, विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान तथा लागू सीमा तक विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। जहाँ कहीं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विचलन है, विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के संगत प्रावधान प्रभावी है। लेखांकन नीतियों को कम्पनी द्वारा जब तक अन्यथा वर्णित न हो के अतिरिक्त समनुरूपता से लागू किया गया है।

(स) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतिकरण मुद्रा :–

यह वित्तीय लेखे भारतीय रूपये (₹) में प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा वर्णित न हो, सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रूपये के निकटतम ₹ लाख से पूर्णांकित (दो दशमलव तक) कर प्रस्तुत किया गया है।

(द) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण :–

(1) कम्पनी द्वारा चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को प्रस्तुत किया गया है।

एक परिसम्पत्ति चालू है जब उसकी –

- सामान्य परिचालकीय चक्र में वसूली होना या खपत होना अपेक्षित है;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली होना अपेक्षित है; या
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, जब तक प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह माह के लिए किसी दायित्व को चुकाने के लिए प्रयोग किये जाने अथवा आदान प्रदान किये जाने हेतु वर्जित न हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व चालू है जब –

- इसको सामान्य परिचालकीय चक्र में निस्तारित करना अपेक्षित हो।
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर इसका निस्तारण नियत हो।
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए दायित्व के निस्तारण को स्थगित करने का बिना शर्त का अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) अस्थगित कर आस्तियों/देनदारियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(य) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय प्रपत्रों को तैयार किए जाने हेतु प्राक्कलन एवं अभिकल्पना की भी आवश्यकता पड़ती है जिसका सम्बन्धित अवधि के आस्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों की प्रतिवेदित राशि पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कि ऐसे प्राक्कलन तथा अनुमान समस्त उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण विधि से तैयार किए जाते हैं परन्तु यह संगत मामलों में वास्तविक परिणामों से भिन्न भी हो सकते हैं तथा जिस अवधि में इस प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं उसी अवधि में इन अन्तरों को लेखों में अभिलिखित कर लिया जाता है।

2) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(I) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) ऐतिहासिक लागत पर संचयी अवक्षयण के पश्चात दर्शाये जाते है।

(ब) परिसम्पत्ति को प्रबन्धन द्वारा प्रयोजित तरीके से संचालित होने के लिए सक्षम होने की परिस्थिति एवं स्थान तक लाने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय लागत में सम्मिलित है।

(स) सम्पत्ति के प्रयोग में आने की स्थिति में, ऐसे प्रकरण जहाँ ठेकेदारों के बीजकों का अन्तिम निस्तारण होना शेष हो का अनन्तिम आधार पर पूंजीकरण समायोजन अन्तिम निस्तारण के वर्ष में कर दिये जाने के प्रतिबन्धाधीन किया जाता है।

(द) पारेषण तंत्र परिसम्पत्तियों को यूपीईआरसी टैरिफ विनियमन के संदर्भ में घोषित वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से उपयोग करने के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

(य) विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सम्पत्ति, संयत्र और उपकरण को पूनर्मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं है।

(II) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए सामग्री की लागत, निर्माण व्यय और अन्य खर्चों को पूँजीकरण की तारीख तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) कार्यात्मक इकाई की बहुलता के साथ–साथ इकाई विशेष में कार्यों की बहुलता के कारण, कर्मचारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत कार्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में निम्नवत् रोपित किया जाता हैः–

(1) पूँजीगत पारेषण कार्यों के लिए

(i) 132 एवं 220 के॰वी॰ उप–केन्द्रों एवं लाइनों पर 9%

(ii) 400 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 7%, और

(iii) 765 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों के मामलों में 5%

(2) अन्य पूँजीगत कार्यों पर 10%

(ग) जमा कार्यो पर पर्यवेक्षण व्यय पूंजीगत कार्य के कुल व्यय का 15% (टिप्पणियों के अन्तर्गत अन्यथा वर्णित को छोड़कर) की दर से रोपित है।

(घ) पीपीई के निर्माण के लिए आवंटित निर्माण के दौरान ब्याज को सीडब्लूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और संबंधित परिसम्पत्तियाँ जो पूंजीकृत होनी है में रोपित किया जाता है।

(ङ) सीडब्ल्यूआईपी के तहत आपूर्तिकर्ताओ/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत है।

(III) अवक्षयण

(क) संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण लागत वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक भाग पर अलग से ह्रास लगाया गया है।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ नियम तथा शर्ते) विनियम, 2019 के ''परिशिष्ट–I'' में दिये गए प्रावधानों के आधार पर अवक्षयण भारित किया गया है। उक्त विनियमावली दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए मान्य है।

(ग) उक्त बिन्दु (ख) के दृष्टिगत संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों के वास्तविक मूल्य का 10% अवशेष मूल्य मानते हुए अवक्षयण व्यय निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर भारित किया गया है। (लकड़ी के ढांचे जैसे अस्थायी निर्माण जहां अवक्षयण की दर 100% और आई॰टी॰ उपकरण और साफ्टवेयर के मामले में जहां मूल्यह्रास मूल्य 100% है और निस्तारण मूल्य शून्य को छोड़कर)।

(घ) वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिवर्धन मूल्य पर ह्रास व्यावसायिक संचालन के माह से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से घटौती की दशा में अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह तक लगाया जाता है जिस माह में परिसम्पत्ति निस्तारित की गयी है।

ङ) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में (अन्य परिसम्पत्तियों के विपरीत जहां मूल्यह्रास योग्य मूल्य 90% है), मूल्यह्रास पट्टे पर ली गई परिसम्पत्ति की लागत का 100% (पट्टा परिसम्पत्ति की पहचान के लिए नाममात्र मूल्य छोड़कर) अपलेखन सीधी रेखा विधि द्वारा प्रभारित किया जाता है।

(i) उपर्युक्त III (बी) के अनुसार या

(ii) पट्टे की अवधि के दौरान,

जो भी छोटा हो,

पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पट्टा समझौते में नवीनीकरण वाक्य, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया गया है।

(IV) उधारी लागत

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण सम्बन्धित उधारी लागत को वाणिज्यिक परिचालन की प्रभावी तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो

आवश्यक रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधारी लागत उस अवधि के लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात की जाती है जिस अवधि में वे उपगत होती हैं।

V) भण्डार एवं कलपुर्जे

(क) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत भण्डार एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर लागत (अर्थात लेन–देन मूल्य) पर किया जाता है, जो उन्हें प्रतिस्थापन लागत वर्तमान लागत, आदि में समायोजित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नही देता है।

(ख) इस्पात अवशिष्ट का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर तथा इस्पात के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट सामान को जब बेचा जाता है, लेखो में लेखांकित किया जाता है।

(ग) वर्ष के अन्त में यदि सामग्री में आधिक्य/कमी परिलक्षित होती है तो उसे ''जांच के अधीन लम्बित सामग्री आधिक्य/कमी'' मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा जांच के अन्तिम होने के पश्चात यदि कोई आधिक्य निर्धारित होती है तो उसे आय के मद में लेखांकित किया जाता है। इसी प्रकार जांचोपरान्त कमी निर्धारित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, या तो कार्मिकों से वसूली की जाती है अथवा लाभ/हानि खाते में भारित किया जाता है।

(घ) चोरी अथवा अन्य कारणों से हुई कमी/हानि को प्रथमतः ''कार्मिकों के विरूद्ध विविध अग्रिम'' मद में डेबिट किया जाता है तथा जांच/निपटारे के अन्तिम होने तक ''चालू आस्तियाँ'' के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

VI) राजस्व मान्यता

(अ) अन्तःराज्यीय के अन्दर ऊर्जा के पारेषण के राजस्व को लेखों में माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर समाविष्ट किया जाता है। माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ तथा सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रु–अप याचिका में प्रस्तुत टैरिफ में यदि कोई अन्तर हो तो उसे उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग के अन्तिम निर्णय के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) ''भारतीय लेखांकन मानक 115 –ग्राहक के साथ अनुबन्ध से राजस्व'' के प्रावधानों के अनुरूप, पूंजीगत सम्पत्ति की लागत के सापेक्ष प्राप्त उपभोक्ता अंशदान, जिसे प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में लेखांकित किया जाता है, को उपभोक्ता के साथ हुए अनुबन्ध के नियमों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अवधि को छोड़कर, निर्धारित समयावधि, जो विनियामक (अर्थात, सीईआरसी) द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 में दिये अधिकार का प्रयोग करते हुए, सी॰ई॰आर॰सी॰ विनियम के माध्यम से निर्धारित अवक्षयण की साधारण दर के आधार पर प्राप्त सम्बन्धित परिसम्पत्ति की उपयोगी जीवनकाल है, में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपभोक्ता योगदान संचय प्रारंभिक अभिमान्यता के वर्ष, जब समान वार्षिक आय का केवल 50% राजस्व के रूप में अभिज्ञात है, तथा उपरोक्त कथित अवधि के अंत में जब सम्पूर्ण शेष अभिज्ञात राशि को छोड़कर, उपरोक्त कथित अवधि में समान वार्षिक राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

स) अन्तर–राज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एन॰आर॰एल॰डी॰सी॰ के माध्यम से प्रभार की अग्रिम वसूली की नीति तथा अन्तःराज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एस॰एल॰डी॰सी॰ द्वारा जारी भुगतान अनुसूची के दृष्टिगत्, ओपेन एक्सेस से होने वाले राजस्व को वसूली के उपरान्त

सी॰ई॰आर॰सी॰/यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य लेखांकित किया जाता है।

अग्रेतर, भारतीय लेखांकन मानक 115–'उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध से राजस्व' के अनुसार, अग्रिम के रूप में प्राप्त राजस्व को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आने वाले लघु अवधि ओपेन एक्सेस अवधि के अनुपात मे तभी संज्ञान में लेना है जब या तो एक्सेस दे दिया गया हो या लघु अवधि ओपेन एक्सेस की समायवधि समाप्त हो गई हो एवं कोई कार्य शेष न हो या जब अनुबन्ध समाप्त हो गया हो। अपितु राजस्व के रूप में संज्ञान में लेने से पूर्व एस॰टी॰ओ॰ए॰उपभोक्ता से प्राप्त राशि को एक दायित्व के रूप में लेखांकित किया जाना है।

(द) सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में, अनुदान की प्राप्ति पर दायित्व के रूप में दर्शा कर लेखांकन किया जाता है तथा संचय में अस्थगित आय के रूप में केवल तभी अन्तरित किया जाता है जब उस से जुड़ी शर्तें पूरी हो चुकने का तर्कसंगत विश्वास हो। ऐसी अस्थगित आय लाभ–हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर एक अवधि में अभिज्ञात की जाती है जो अंतनिर्हित पूंजीगत सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल है जो कि अवक्षयण की सामान्य दर पर जैसा कि विनियामक (सी॰ई॰आर॰सी॰) द्वारा निर्धारित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निर्गत विनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

(य) जमा कार्यों पर पर्यवेक्षण प्रभार (लागू दरों के अनुसार) संबंधित अवधि के दौरान सम्बन्धित व्यय के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्य किये जाते है।

(र) बीमा और अन्य दावे, कस्टम ड्यूटी की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किये गये है। कर्मचारियों को दिये ऋण पर ब्याज का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर पूरा मूल धन वसूल होने के बाद किया गया है।

VII) पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियां :–

सभी पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियों के सुधार त्रुटि मिलने के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती प्रभाव से त्रुटि वाले वर्ष के दर्शाये गये तुलनात्मक आंकड़ो को बहाल कर किया गया है या जहाँ त्रुटि दर्शायी गयी सबसे पुरानी अवधि से भी पहले की हो तो सबसे पुराने दर्शायी गयी अवधि की परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर, जैसी भी परिस्थिति हो, किया गया है।

यदि सभी पूर्व अवधि त्रुटियों का अवधि–विशिष्ट प्रभाव/संचयी प्रभाव निर्धारित करना असम्भव है तो परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता/तुलनात्मक सूचनाओं को सबसे पुरानी सम्भव अवधि के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

VIII) कर्मचारी लाभ

(अ) कर्मचारियों की पेन्शन एवं उपादान सम्बन्धित दायित्वों का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है एवं इसका लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया गया है।

(ब) उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक परिभाषित लाभ योजना) हेतु प्रावधान का लेखांकन बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है।

(स) चिकित्सा लाभ एवं अवकाश यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰) का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए दावों तथा अनुमोदित किये गये दावों के आधार पर किया जाता है।

IX) प्रावधान, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य आस्तियाँ

(अ) प्रावधान का लेखांकन उस सीमा तक अनुमानित व्यय के आधार पर किया गया है, जहां तक संभव हो, वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक हो और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाए और जितना सम्भव हो अनुमानित खर्च को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।

(ब) जब तक आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना सुदूर नही है, तब तक खातों पर टिप्पणियों में सम्भाव्य दायित्वों का प्रकटन किया गया है। जबकि, जब तक आर्थिक लाभ का अंर्तप्रवाह संभावित नही हो जाता, तब तक खातों में सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन नहीं किया गया है।

(स) जहां किसी सम्भाव्य दायित्व या सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन करना व्यवहार्य नही है, उस तथ्य का प्रकटन किया गया है।

X) अस्थगित कर

भारतीय लेखा मानक–12 "आयकर" में कम्पनी का तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके अस्थगित करों का लेखांकन वांछित है, जो तुलन–पत्र और उसक कर आधार में सम्पत्ति या देयता की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर केन्द्रित है।

कटौती योग्य अस्थायी अंतर के सम्बन्ध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की अस्थगित कर सम्पत्ति और कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की अस्थगित कर देनदारियों को तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दी गई है।

XI) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण में भारतीय लेखांकन मानक–7 'रोकड प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

XII) वित्तीय सम्पत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप :

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्गमन सम्बन्धित लागत को जोड़ कर लेखांकित किया गया है क्योंकि कम्पनी इसे आर्मस लेन्थ मूल्य पर क्रय/अधिग्रहण करती है तथा आर्म्स लेन्थ मूल्य ही वह मूल्य है जिस पर परिसम्पत्ति का आदान–प्रदान हो सकता है।

बाद के माप :

(अ) ऋण अभिलेख :– एक ऋण अभिलेख भारतीय लेखा मानक–109 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा गया है।

(ब) समता अभिलेख :– संस्थाओं में सभी समता अभिलेख लाभ व हानि (एफ॰वी॰टी॰पी॰एल॰) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि इन्हे व्यापार के लिए धारण नही किया जाता है।

XIII) वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक मान्यता और माप :

वित्तीय दायित्वों का लेखांकन दस्तावेजों के अनुबन्धीय प्रावधानों में तब किया जाता है जब कंपनी एक पक्ष बन जाती है। सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। कंपनी की वित्तीय दायित्वों में व्यापारिक देयता, उधार और अन्य देयताएँ शामिल हैं।

बाद के माप :

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य पर उधारों को मापा गया है। प्रभावी ब्याज दर विधि एक वित्तीय साधन की परिशोधित लागत की गणना और प्रासंगिक अवधि में ब्याज और अन्य खर्चों को आवंटित करने की एक विधि है। चूंकि प्रत्येक ऋण पर ब्याज और जोखिम की अपनी अलग दर होती है, इसलिए जिस ब्याज दर पर उन्हें प्राप्त किया गया है उसे ईआईआर माना जाता है। व्यापार और अन्य देयता अनुबंध मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समापन हो जाता है।

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–	यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
(एस॰के॰ अवस्थी)	**(ए॰के॰ गुप्ता)**	**(बी॰पी॰ महापात्रा)**	**कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी**
उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन 01368109	

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(ऋषि टण्डन)	**(सेन्थिल पाण्डियन सी)**	**(आर॰पी॰ तिवारी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–08235586	स॰सं॰ 071448
		फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

टिप्पणी-'2' सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2019 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को अवशेष	31.03.2019 को अवशेष
भूमि एवं भूमि अधिकार										
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	14,197.16	131.27	4,383.64	9,944.79	-	-	-	-	9,944.79	14,197.16
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	125.60	9.33	129.38	5.55	-	-	-	-	5.55	125.60
योग (i+ii)	14,322.76	140.60	4,513.02	9,950.34	-	-	-	-	9,950.34	14,322.76
भवन	1,08,513.80	14,576.33	84.65	1,23,005.48	23,557.62	3,865.91	76.18	27,347.35	95,658.13	84,956.18
अन्य जानपदीय कार्य	9,163.22	1,190.83	-	10,354.05	3,281.80	371.58	-	3,653.38	6,700.67	5,881.42
संयंत्र एवं मशीनरी	12,82,218.94	1,43,539.35	28,892.35	13,96,865.94	3,70,844.27	64,457.29	9,053.89	4,26,247.67	9,70,618.27	9,11,374.67
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	11,31,473.69	1,70,737.09	2,061.07	13,00,149.71	3,77,369.93	53,896.77	1,650.46	4,29,616.24	8,70,533.47	7,54,103.76
वाहन	337.14	-	-	337.14	308.93	1.19	-	310.12	27.02	28.21
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	874.40	123.18	-	997.58	246.08	53.23	-	299.31	698.27	628.32
कार्यालय उपकरण	955.02	256.21	-	1,211.23	490.08	102.62	-	592.70	618.53	464.94
अन्य परिसम्पत्तियां	10,544.19	474.29	9.84	11,008.64	7,667.26	1,206.24	8.48	8,865.02	2,143.62	2,876.93
योग	25,58,403.16	3,31,037.88	35,560.93	28,53,880.11	7,83,765.97	1,23,954.83	10,789.01	8,96,931.79	19,56,948.32	17,74,637.19

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी-'3' प्रगतिशील पूँजीगत कार्य				
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य [1]	**3,63,643.11**		3,37,712.67	
घटाया : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की हानि के सापेक्ष प्रावधान (परित्याग या किसी अन्य कारण)	**192.26**	**3,63,450.85**	79.26	3,37,633.41
पूर्व वर्ष तक पूंजीकरण के लिए लम्बित ऋण लागत	**52,990.88**		51,846.80	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**16,819.70**		14,192.06	
घटाये : वर्ष के दौरान पूंजीकरण	**9,198.08**	**60,612.50**	13,047.98	52,990.88
निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों के साथ सामग्री	**3,14,632.66**		2,71,507.95	
घटाये : आपूर्तिकर्ताओं एंव ठेकेदारों को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजी)	**185.50**	**3,14,447.16**	–	2,71,507.95
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (सामग्री के अलावा अन्य)		**45,264.38**		42,008.14
योग		**7,83,774.89**		7,04,140.38

[1] ठेकेदारों को सामग्री और अन्य अग्रिमों एवं ऋण लागत को छोड़कर।

टिप्पणी–4 : अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2019 को	परिवर्धन	घटाव/ समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	परिवर्धन	घटाव/ समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को अवशेष	31.03.2019 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ साफ्टवेयर	426.58	**2.99**	-	**429.57**	218.61	**53.46**	-	**272.07**	**157.50**	207.97
योग	426.58	**2.99**	-	**429.57**	218.61	**53.46**	-	**272.07**	**157.50**	207.97

टिप्पणी-'5' : अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2020** को		31.03.2019 को	
शुद्ध अस्थगित कर सम्पत्ति		**16,655.16**		39,321.42
योग		**16,655.16**		39,321.42
डीटीएल एवं डीटीए का विवरण				
अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ				
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य प्रावधान / व्यय	**5,394.75**		8,917.52	
अप्रयुक्त कर हानियाँ	**1,41,636.88**		1,80,914.40	
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	**–**		–	
अन्य	**–**	**1,47,031.63**	**–**	1,89,831.92
अस्थगित कर दायित्व				
पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**(1,30,376.47)**		(1,50,510.50)	
अन्य	**–**	**(1,30,376.47)**	–	(1,50,510.50)
योग		**16,655.16**		39,321.42

टिप्पणी-'6' : अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां

अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)	**456.30**	359.34
योग	**456.30**	359.34

टिप्पणी-'7' : वस्तु सूची

भण्डार एवं उपस्कर		
(अ) भण्डार सामग्री–पूँजीगत कार्य	**1,28,359.57**	1,20,108.72
(ब) भण्डार सामग्री–ओ एण्ड एम	**28,005.85**	21,164.22
(स) अन्य सामग्री[1]	**6,347.11**	1,838.23
योग	**1,62,712.53**	1,43,111.17

1 अन्य भण्डार में निर्माणकर्ताओं को निर्गत सामग्री, अप्रचलित भण्डार, अवशिष्ट सामान, मरम्मत के लिए भेजे गए परावर्तक, भण्डार, सामग्री जाँच हेतु लम्बित आधिक्य / कमी एवं पारगमन भण्डार सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-'8' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–व्यापारिक प्राप्य **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2020** को		31.03.2019 को	
व्यापारिक प्राप्य सुरक्षित, शोध्य विचारित		–		–
व्यापारिक प्राप्य असुरक्षित, शोध्य विचारित		**5,60,055.86**		4,21,421.63
व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध		–		–
योग		**5,60,055.86**		4,21,421.63
व्यापारिक प्राप्य का विवरण :-				
मध्यांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, लखनऊ	**1,07,118.81**		79,769.25	
पूर्वांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, वाराणसी	**1,31,235.59**		97,367.37	
पश्चिमांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, मेरठ	**1,80,003.09**		1,37,977.14	
दक्षिणांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, आगरा	**1,32,055.64**		1,01,397.77	
केस्को, कानपुर	**5,601.08**		1,117.30	
अन्य	**4,041.65**	**5,60,055.86**	3,792.80	4,21,421.63

टिप्पणी-'9' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2020** को	31.03.2019 को
अ) हस्तस्थ रोकड़ (डाक टिकट को सम्मिलित करते हुए)	**17.16**	19.75
ब) बैंक में अवशेष		
चालू एवं अन्य खातो में (फ्लेक्सी अवशेष सम्मिलित)	**75,321.62**	97,721.73
सावधि जमा खातो में	**7.75**	9.07
योग	**75,346.53**	97,750.55

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी-'10' : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ				
असंरक्षित, शोध्य विचारित				
कर्मचारियों को अग्रिम		**6.82**		9.60
(वेतन से समायोजनीय/वसूली योग्य)				
स्रोत पर कर कटौती		**4,224.45**		3,914.65
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदार को अग्रिम (ओ एण्ड एम)		**1,555.83**		1,418.18
प्राप्य :				
कर्मचारियों	**859.16**		434.88	
अन्य	**9,200.82**		10,429.38	
	10,059.98		10,864.26	
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	**186.60**	**9,873.38**	186.60	10,677.66
सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही		**1.93**		3.64
पूर्वदत्त व्यय		**0.99**		1.27
अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)		**17.97**		17.97
अंतर इकाई अंतरण [1]		**25,289.61**		25,083.76
योग		**40,970.98**		41,126.73

[1] टिप्पणी 29 का संदर्भ बिन्दु (18) देखें।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
टिप्पणी-'11' : समता अंश पूंजी		
(अ) अधिकृत पूंजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 200000000 समता अंश	**20,00,000.00**	20,00,000.00
(पूर्व वर्ष सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 200000000 समता अंश)		
(ब) निर्गत, अभिदत्त एवं चुकता अंशपूँजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 150600668 पूर्ण प्रदत्त समता अंश	**15,06,006.68**	13,59,533.98
(पूर्व वर्ष में सममुल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 135953398 पूर्ण प्रदत्त समता अंश)		
योग	**15,06,006.68**	13,59,533.98

(अ) प्रतिवेदित अवधि के प्रारम्भ में तथा अन्त में अंशों की संख्या एवं बकाया धनराशि का समाधान :

	31.03.2020 को अंशों की संख्या	31.03.2020 को (₹ लाख में)	31.03.2019 को अंशों की संख्या	31.03.2019 को (₹ लाख में)
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	**13,59,53,398**	**13,59,533.98**	1,24,944,248	12,49,442.48
वर्ष के दौरान निर्गत अंश–नवीन निर्गमन	**1,46,47,270**	**1,46,472.70**	1,10,09,150	1,10,091.50
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**15,06,00,668**	**15,06,006.68**	13,59,53,398	13,59,533.98

(ब) समता अंशों में सन्निहित शर्त/अधिकारः

(i) कम्पनी में केवल एक श्रेणी के समता अंश है जिसका सममूल्य ₹ 1000 प्रति अंश है।

(ii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, कम्पनी द्वारा 14647270 अंश निर्गत किये गये हैं।

(iii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, भारी संचयी हानियों के कारण निदेशक मण्डल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

(स) 5% से अधिक अंश धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा धारित अंशों का विवरणः

अंश धारक का नाम	31.03.2020 को अंशों की संख्या	31.03.2020 को % धारण	31.03.2019 को अंशों की संख्या	31.03.2019 को % धारण
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार	**12,84,67,316**	**85.30%**	11,38,20,046	83.72%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि॰	**2,21,32,752**	**14.70%**	2,21,32,752	16.28%

अंश आवेदन धनराशि का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 को अंश आवेदन धनराशि	वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटन	31.03.2020 को अंश आवेदन धनराशि
अंश आवेदन धनराशि	**46,472.70**	**1,51,594.38**	**1,46,472.70**	**51,594.38**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
टिप्पणी-'12' : गैर–चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ		
सरंक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**12,96,403.46**	11,83,074.32
(पीएफसी एवं आरईसी योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अनन्य प्रभारों से संरक्षित)		
असंरक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**2,300.21**	5,565.18
(उ०प्र० सरकार द्वारा उपरोक्त सभी ऋण प्रत्याभूतित हैं)		
उप–योग सुरक्षित / असुरक्षित ऋण	**12,98,703.67**	11,88,639.50
घटाया : दीर्घकालिक उधारियों की चालू परिपक्वता (सन्दर्भः अनुलग्नक–अ)	**1,39,368.27**	98,469.23
योग	**11,59,335.40**	10,90,170.27

1) उधार की शर्तों आदि का विवरण अनुलग्नक–अ में संलग्न किया गया है।

2) उधारियों को चुकता करने में हुई चूक का उल्लेख अनुलग्नक–ब पर संलग्न किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित ऋण की शर्तों आदि का प्रकटन

टिप्पणी '12' अनुलग्नक अ

(₹ लाख में)

ऋण	प्रतिभूति एवं गारण्टी का विवरण	ब्याज दर	चुकता करने के नियम	31.03.2019 को अवशेष (अ)	31.03.2019 को दीर्घकालिक उधारियों के लिए चालू परिपक्वता (ब)	31.03.2019 को दीर्घकालिक उधारी स=(अ–ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण (वि.व. 19-20) (द)	वर्ष के दौरान चुकता ऋण (वि.व. 19-20) (य)	31.03.2020 को अवशेष र=(अ+द–य)	31.03.2020 को दीर्घकालिक ऋणों के लिए चालू परिपक्वता (ल)	31.03.2020 को दीर्घकालिक ऋण व=(र-ल)
(अ) संरक्षित											
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि॰ (हाइपो)	पीएफसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	9.00% से 13.25%	चालीस से साठ समान त्रैमासिक किस्त	5,07,728.02	30,706.52	4,77,021.50	91,625.09	33,423.18	5,65,929.93	61,237.56	5,04,692.37
(ii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पारोषण)	आरईसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	11% से 13%	दस समान वार्षिक किस्ते / एक सौ बीस समान मासिक किस्तों में	6,75,346.30	64,497.74	6,10,848.56	1,24,830.98	69,703.75	7,30,473.53	77,335.89	6,53,137.64
			योग [अ]- (i+ii)	11,83,074.32	95,204.26	10,87,870.06	2,16,456.07	1,03,126.93	12,96,403.46	1,38,573.45	11,57,830.01
(ब) असंरक्षित											
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन (सरकारी जमानत)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	9.00% से 13.25%	चालीस से साठ समान त्रैमासिक किस्त	913.70	913.70	–	–	913.70	–	–	–
(ii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पुर्नअनुसूचित)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	10.11%	एक सौ अस्सी समान मासिक किस्ते (ई.एम.आई.)	3,021.94	721.73	2,300.21	–	721.73	2,300.21	794.82	1,505.39
(iii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पारेषण)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	11% से 13%	एक सौ बीस समान मासिक किस्ते	907.63	907.63	–	–	907.63	–	–	–
(iv) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	11% से 12.50%	एक सौ बीस समान मासिक किस्ते	721.91	721.91	–	–	721.91	–	–	–
			योग [ब]- (i+ii+iii+iv)	5,565.18	3,264.97	2,300.21	–	3,264.97	2.300.21	794.82	1,505.39
			महायोग (अ + ब)	11,88,639.50	98,469.23	10,90,170.27	2,16,456.07	1,06,391.90	12,98,703.67	1,39,368.27	11,59,335.40

टिप्पणी '12' अनुलग्नक–ब

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित उधारी चुकता करने में चूक का प्रकटन

(₹ धनराशि में)

ऋण	पूर्नभुगतान की शर्तें				31.03.2019 को चुकता करने में चूक				31.03.2020 को चुकता करने में चूक			
	पुनर्संरचना तिथि	किस्ते	पुर्नभुगतान देयता	ब्याज की दर (%)	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से
संरक्षित (i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि० (ii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि०												
योग (अ)												
असंरक्षित (i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि० (ii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि० (पुनर्अनुसूचित) (iii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि० (पारेषण) (iv) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि० (पीसीएल)						शून्य						
योग (ब)												
महायोग (अ+ब)												

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
टिप्पणी-'13' : अन्य वित्तीय दायित्व		
उधार पर प्रोद्भूत ब्याज, किन्तु देय नहीं	**2,470.95**	13,987.89
योग	**2,470.95**	13,987.89
टिप्पणी-'14' : गैर चालू प्रावधान		
उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**20,714.65**	17,064.10
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कर्मचारी)	**7,734.39**	5,206.33
योग	**28,449.04**	22,270.43
टिप्पणी-'15' : अन्य गैर चालू दायित्व		
अस्थगित आय	**103.27**	–
योग	**103.27**	–
टिप्पणी-'16' : चालू वित्तीय दायित्व		
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वताए[1]	**1,39,368.27**	98,469.23
ऋण पर प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नहीं	**24,273.54**	14,363.84
योग	**1,63,641.81**	1,12,833.07

[1] दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता का विवरण (सन्दर्भ अनुलग्नक–'अ') टिप्पणी संख्या 12 के साथ संलग्न किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी-'17' : अन्य चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्ति/कार्यों हेतु दायित्व		**1,50,957.73**		1,46,379.68
अनुरक्षण एवं मरम्मत आपूर्ति/कार्यों हेतु दायित्व		**18,655.66**		11,136.82
कर्मचारियों से सम्बन्धित दायित्व		**16,267.21**		15,637.30
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से निक्षेप एवं प्रतिधारण		**1,32,004.12**		1,18,297.26
विद्युत वितरण निगमों के निक्षेप कार्य		**10,438.38**		9,610.78
विद्युतीकरण कार्यों हेतु निक्षेप		**2,16,891.74**		1,99,565.79
पीएसडीएफ के लिए निक्षेप (केन्द्र सरकार का अंशदान)		**12,163.21**		12,711.93
अन्तर निगमीय अवशेष		**18,988.02**		17,414.64
विविध दायित्व		**8,011.33**		10,399.22
व्ययों हेतु दायित्व		**4,599.82**		3,629.99
अस्थगित आय		**6.05**		–
यू.पी. पावर सेक्टर कर्मचारी ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व (मूल राशि)	**3,829.02**		3,776.90	
जोड़े : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**8,070.46**		7,195.55	
	11,899.48		10,972.45	
पेन्शन एवं उपादान दायित्व	**5,751.40**	**17,650.88**	5,619.45	16,591.90
उ.प्र.पा.का.लि. सी.पी.एफ. ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
सीपीएफ दायित्व - (मूल अदत्त राशि)	**1,068.95**		803.85	
जोडे : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**959.00**	**2,027.95**	826.64	1,630.49
योग		**6,08,662.10**		5,63,005.80

टिप्पणी-'18' : चालू प्रावधान		
उपार्जित अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	**1,580.61**	1,741.08
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कार्मिक)	**116.81**	80.35
योग	**1,697.42**	1,821.43

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'19' : परिचालन से राजस्व		
सेवाओं की बिक्री		
पारेषण प्रभार	**3,45,333.67**	2,30,073.04
ओपेन एक्सेस प्रभार	**3,940.22**	5,914.60
उप–योग[1]	**3,49,273.89**	2,35,987.64
एसएलडीसी प्रभार[2]	**535.51**	449.17
प्रचालन से राजस्व (निवल)	**3,49,809.40**	2,36,436.81

1 विद्युत वितरण निगमों, केस्को, एनपीसीएल तथा राज्य के अन्दर पारेषण से सम्बन्धित पारेषण प्रभार माननीय उ.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर ₹ 0.1905 प्रति किलोवाट घण्टा (01.04.2019 से 10.09.2019/30.09.2019 तक) एवं ₹ 0.1848 प्रति किलोवाट घण्टा (11.09.2019/01.10.2019 से 31.03.2020 तक)। वित्तीय वर्ष के दौरान पारेषित/चक्रीय ऊर्जा 116731.808341 एमयू. (पूर्व वर्ष-111745.034547 एमयू) थी।

अवधि	पारेषित ऊर्जा (केडब्लूएच)	दर	राशि
डिस्काम्स 01.04.2019 से 30.09.2019	66,50,24,01,000.000	0.1905	1,26,687.07
डिस्काम्स 01.10.2019 से 31.03.2020	45,72,25,23,000.000	0.1848	84,495.22
डिस्काम्स के अलावा 01.04.2019 से 10.09.2019	1,42,79,56,216.758	0.1905	2,720.26
डिस्काम्स के अलावा 11.09.2019 से 31.03.2020	1,67,38,85,658.787	0.1848	3,093.34
पूरक बीजक एवं अन्य एजेन्सीज	1,40,50,42,465.478		3,927.11
वित्तीय वर्ष 2017-18 का ट्रु–अप अंतर	–		46,204.00
वित्तीय वर्ष 2018-19 का ट्रु–अप अंतर	–		81,360.00
योग	1,16,73,18,08,341.023		**3,48,487.00**
जोड़ें: पी.जी.सी.आई.एल. के पी.ओ.सी क्रियाविधि के अन्तर्गत पारेषण प्रभार			**786.89**
शुद्ध पारेषण प्रभार			**3,49,273.89**

2 एस॰एल॰डी॰सी॰ के स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा एस॰एल॰डी॰सी॰ के लेखे अलग से तैयार कराये जा रहे है। एस॰एल॰डी॰सी॰ से सम्बन्धित प्रभार का ब्यौरा निम्नवत है:–

वार्षिक प्रभार	**127.00**	**102.20**
आवेदन शुल्क/सहमति शुल्क/ एस॰एल॰डी॰सी॰ प्रभार	**408.51**	**346.97**
योग	**535.51**	449.17

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'20' : अन्य आय				
ब्याज से आय :				
सावधि जमा	**0.37**		2,722.55	
कर्मचारी को ऋण	**0.01**		0.01	
अन्य	**3,209.80**	**3,210.18**	1,365.26	4,087.82
अनुरक्षण एवं शटडाउन प्रभार		**1,889.50**		2,695.92
अन्य गैर–परिचालन आय				
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से आय		**43,02.38**		1,309.77
उपभोक्ता अंशदान संचय से आय		**10,292.25**		8,303.07
पर्यवेक्षण प्रभार		**4,440.08**		13.56
कार्मिकों से किराया		**13.45**		15.93
विविध प्राप्तियाँ		**372.61**		157.31
सब्सिडी और अनुदान से आय (ऋण मूलधन का पुनर्भुगतान)		**8,103.00**		–
योग		**32,623.45**		16,583.38

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'21' : कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन एवं भत्ते	**41,230.27**	37,321.55
महंगाई भत्ता	**6,351.48**	3,569.29
बोनस/अनुग्रह भत्ता	**278.02**	0.96
अन्य भत्ते	**2,146.77**	1,823.54
पेंशन एवं उपादान[1]एवं[2]	**4,387.16**	4,163.13
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)[3]	**184.14**	251.43
अवकाश यात्रा सहायता[3]	**–**	0.30
उपार्जित अवकाश नकदीकरण[4]	**5,299.70**	4,158.72
क्षतिपूर्ति	**16.06**	5.00
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	**2,533.27**	2,026.84
ट्रस्ट पर व्यय	**499.01**	30.01
कर्मचारी कल्याण व्यय	**82.49**	12.89
उभयनिष्ट व्यय (उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा भारित)	**1,012.67**	2,101.53
उप–योग	**64,021.04**	**55,465.19**
घटायें : पूंजीकृत व्यय	**25,520.77**	28,181.58
योग	**38,500.27**	**27,283.61**

1 चूंकि उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आमेलन अभी तक उ॰प्र॰ सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अन्तिम नहीं किया गया है अतएव उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों में पेंशन एवं उपादान मद में किए जा रहे प्राविधान की अनुरूपता में पेंशन एवं उपादान मद में प्रावधान करने के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 09.11.2000 (उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत) को मानते हुए मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के योग पर क्रमशः 16.70% एवं 2.38% की दर से लेखों में प्रावधान किया गया है एवं तदनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों के आमेलन की प्रक्रिया स्थगित रहने तक अग्रेतर उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नया बीमांकक मूल्यांकन कराये जाने की दशा में यथा आवश्यकतानुसार लेखों में प्रावधान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

2 भारतीय लेखांकन मानक 19 की आवश्यकता के अनुसार, कम्पनी ने बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सी॰पी॰एफ॰ योजना द्वारा आवरित कार्मिकों की ग्रेच्युटी से उत्पन्न अपनी देयता को मापा और लेखांकन किया है।

3 चिकित्सा लाभ तथा अवकाश यात्रा रियायत का लेखांकन वर्ष में प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है।

4 चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर बनाये गये उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक लाभ) हेतु प्रावधान सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'22' : वित्तीय लागत				
(अ) ब्याज व्यय				
दीर्घकालिक ऋण				
पीएफसी	**56,778.01**		48,245.44	
घटाया : ब्याज में छूट	**9,377.36**		9,636.74	
	47,400.65		38,608.70	
आरईसी	**78,416.37**	**1,25,817.02**	78,447.92	1,17,056.62
(ब) अन्य उधारी लागत				
गारंटी प्रभार		**2.44**		15.16
बैंक प्रभार		**6.06**		28.43
उप योग		**1,25,825.52**		1,17,100.21
घटायेः पूंजीकृत ब्याज/कार्यशील पूंजीगत कार्य को अन्तरण		**16,819.70**		14,192.06
योग		**1,09,005.82**		1,02,908.15

टिप्पणी-'23' : अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय

स्थावर आस्तियों पर अवक्षयण एवं अपाकरण		
भवन	**3,865.91**	3,406.21
अन्य जानपदीय कार्य	**371.58**	348.11
संयंत्र एवं मशीनरी	**64,453.58**	57,492.00
लाईन, केबिल नेटवर्क आदि	**53,900.45**	45,880.59
वाहन	**1.20**	1.03
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	**53.23**	45.83
साफ्टवेयर	**53.47**	44.95
कार्यालय उपस्कर	**102.63**	65.43
अन्य आस्तियाँ	**1,206.24**	560.27
योग	**1,24,008.29**	**1,07,844.42**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'24' : प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय				
लेखा परीक्षक को भुगतान				
(अ) वैधानिक सम्प्रेक्षक				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**12.98**		12.98	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**2.38**	**15.36**	3.89	16.87
(ब) अन्य सम्प्रेक्षक				
(आंतरिक सम्प्रेक्षा, लागत सम्प्रेक्षा कर सम्प्रेक्षा एवं सचिवीय सम्प्रेक्षा)				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**57.74**		85.55	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**4.67**	**62.41**	9.58	95.13
विज्ञापन व्यय		**475.78**		358.12
संचार व्यय		**243.11**		265.17
परामर्श व्यय		**502.37**		100.21
टैरिफ मूल्यांकन और लाइसेंस शुल्क		**653.57**		735.15
विद्युत व्यय		**249.42**		234.42
मनोरंजन		**–**		0.03
न्यास पर व्यय		**14.03**		3.06
बीमा		**3.73**		6.55
जीपीएफ एवं सीपीएफ अवशेष पर ब्याज		**1,008.41**		998.18
विधिक व्यय		**327.09**		251.87
प्रशासनिक के लिए आउटसोर्स श्रमिक शक्ति		**1,646.35**		1,151.49
विविध व्यय		**403.65**		482.07
छपाई एवं लेखन सामग्री		**154.88**		173.72
दर एवं शुल्क		**169.60**		267.20
किराया		**1.28**		3.98
तकनीकी शुल्क एवं प्रोफेशनल प्रभार		**145.00**		68.49
यात्रा एवं अनुगमन		**645.17**		630.40
जल प्रभार		**0.36**		0.26
उभयनिष्ट व्यय (यूपीपीसीएल द्वारा प्रभारित)		**9.56**		–
क्षतिपूर्ति (कार्मिकों के अलावा)		–		3.67
अन्य व्यय एवं हानियाँ		**15.20**		10.30
योग		**6,746.23**		5,856.34

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'25' : मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय				
संयंत्र एवं मशीनरी		**37,263.35**		32,503.18
भवन		**1,781.17**		1,717.76
अन्य जानपदीय कार्य		**22.87**		43.15
लाईन्स, केबिल नेटवर्क आदि		**6,878.11**		7,739.14
वाहन व्यय	**1,605.09**		1,418.47	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत/ओ एण्ड एम	**1,605.09**	**–**	1,418.47	–
कार्यों/प्रशासनिक व्ययों में अन्तरित				
संविदा कार्मिको पर व्यय	**4,779.89**		4,173.61	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत तथा ओ एण्ड एम/	**4,779.89**	**–**	4,173.61	–
प्रशासनिक व्यय में अन्तरित				
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		**0.11**		0.24
साफ्टवेयर		**39.83**		53.10
कार्यालय उपकरण		**33.13**		23.17
योग		**46,018.57**		**42,079.74**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'26' : अशोध्य ऋण एवं प्रावधान		
पूंजीगत व्यय पर हानि के लिए प्रावधान	**113.00**	–
हानि का प्रावधान–आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम	**185.50**	–
योग	**298.50**	–
टिप्पणी-'27' : अस्थगित कर		
आस्थगित कर व्यय / (आय)	**22,666.27**	–
योग	**22,666.27**	–
टिप्पणी-'28' : अन्य व्यापक आय		
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुर्नवर्गीकृत नही किया जाएगा।		
बीमांकिक (लाभ) / हानि–सी.पी.एफ.	**1,553.67**	227.98
कर्मचारी उपादान हेतु प्रावधान[1]		
योग	**1,553.67**	227.98

[1] चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन आख्या के आधार पर उपादान को लेखों में मान्य किया गया।

टिप्पणी संख्या–29

दिनांक 31.03.2020 के तुलन पत्र एवं तद्दिनांक को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के के साथ संलग्न तथा अंगभूत लेखों पर टिप्पणियाँ

1) (अ) उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि॰ (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ अथवा 'कम्पनी') कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में अधिवासित एवं गठित एक कम्पनी है एवं अंशों द्वारा सीमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के माध्यम से कम्पनी को एक राज्य पारेषण उपयोगिता अधिसूचित किया गया हैं।

(ब) जब उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 293 दिनांक 16.05.2006 के अनुपालन में तत्कालीन उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (31.05.2004 को गठित) के पार्षद सीमा नियम के नाम और उद्देश्य वाक्य को 13.07.2006 को बदल दिया गया था, तब कम्पनी अस्तित्व में आयी। कंपनी ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू किया।

(स) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) योजना, 2010 के अधीन दिनांक 01.04.2007 से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ को अलग–अलग कम्पनी के रूप में क्रमशः थोक विद्युत क्रय/विक्रय एवं पारेषण कार्यों को अलग–अलग किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गई योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पारेषण की गतिविधियाँ, आस्तियाँ, दायित्वों और सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित और निबन्धन एवं शर्तों की अवधारणा के लिए अन्तरण योजना जारी की गयी जिसके अनुसार पारेषण उपक्रम (उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰) में राज्य सरकार तथा/या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जब तक अन्यथा विर्निदिष्ट न किया जाए, सम्पूर्ण आस्तियां, दायित्व व कार्यवाहियां अनन्तिम रूप से पारेषण उपक्रम में निहित होंगी। यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से कार्य/परिचालन करना आरम्भ कर दिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

(द) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014 लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 (अधिसूचना सं॰ 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010) के खण्ड–7 सपठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) की धारा 131 की उप धारा 4 और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उप धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियों के अंतरण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 की अनुसूची के स्थान पर अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014, 3 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न अनुसूची के प्रतिस्थापन द्वारा इस अधिसूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 की निबन्धन एवं शर्तों में उपान्तरण, फेरबदल और अन्यथा परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 सभी अभिप्रायों एवं प्रयोजनों के लिए यथा इंगित संशोधनों के साथ अन्तरण स्कीम को अन्तिम कर दिया गया है।

(य) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2974/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 133 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गयी योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पारेषण उपक्रम के कार्मिकों एवं उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों के अन्तरण के प्रयोजनार्थ तथा उन निबन्धन एवं शर्तों जिन पर ऐसा अन्तरण किया जाना प्रभावी होगा को अवधारित करने के लिए अनन्तिम अन्तरण योजना जारी की गयी जिसमें अनन्तिम वर्गीकरण व अन्तरण, कार्मिकों के अन्तिम हस्तांतरण को उ॰प्र॰ सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है।

2) मूर्त आस्तियों को उपयोग से हटाये जाने/उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने/अप्रयोज्य होने पर जबकि उनका ऐतिहासिक मूल्य ज्ञात न हो, ऐसी आस्तियों को अनुमानित मूल्य एवं अवक्षयण लागत के आधार पर लेखों में समायोजित/लेखांकित किया गया है।

3) समग्र आधार पर अचल आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों का मूल्य जो तुलनपत्र में दर्शाया गया है वह कम से कम सामान्यतः वाणिज्यिक गतिविधियों में आस्ति के वसूली मूल्य के बराबर है।

4) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा में आय/व्यय शून्य है।

5) चूंकि कम्पनी सैद्धान्तिक रूप से ऊर्जा के पारेषण का व्यवसाय कर रहा है और भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार अन्य कोई सूचनीय खण्ड नहीं है इसलिए, सेगमेन्ट रिपोर्टिंग पर भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार प्रकटन आवश्यक नहीं है। हांलाकि, एसएलडीसी के लेन–देनों से सम्बन्धित पृथक क्रियाकलापों का प्रकटन विशेष रूप से टिप्पणी 19 में किया गया है।

6) <u>पूँजीगत प्रतिबद्धता, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य परिसम्पत्तियां</u>

(निर्धारणीय तथा गैर प्रावधानित सीमा तक) (₹ लाख में)

	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	सम्भाव्य दायित्व एवं पूँजीगत प्रतिबद्धता		
(i)	पूँजीगत कार्यों के विरूद्ध कार्य कराये जाने हेतु शेष बचे ठेके का अनुमानित मूल्य जिनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया	**1,89,887**	1,84,839
(ii)	कम्पनी के विरूद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया	**1923**	3,715
	योग	**1,91,810**	1,88,554
	सम्भाव्य परिसम्पत्तियां		
(i)	कम्पनी द्वारा दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया.	**71,734**	–
(ii)	अन्य	–	–
	योग	**71,734**	–

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए ट्रू–अप आदेश में ₹ 717.34 करोड़ के राजस्व अंतर की अस्वीकृति करने के विरूद्ध एक समीक्षा याचिका दायर की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दायित्व, निगम के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये दावों के साथ–साथ अन्य पक्षों द्वारा दायर दावों, यदि कोई हों, जिनका अभिनिश्चय न किया जा सके, का निस्तारण उनके उद्भूत होने पर किया जाता है।

7) एमएसएमईडी एक्ट, 2006 से आवरित इकाईयों के भुगतान हेतु लम्बित दायित्वों एवं उस पर ब्याज हेतु अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न तो यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ की क्षेत्रीय इकाईयों और न ही अधिनियम से आवरित सम्बन्धित पक्षों द्वारा सूचित है।

8) <u>सम्बन्धित पक्ष की सूचना</u> :–

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार, कम्पनी से सम्बन्धित पक्ष निम्नलिखित है–

(क) <u>सम्बन्धित पक्षों की सूचना (शीर्ष प्रबंधन कार्मिक)</u> :

1. शीर्ष प्रबंधन कार्मिक एवं उनके सम्बन्धी :

नाम	पदनाम	कार्यकाल (वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए)	
		नियुक्ति	सेवानिवृत्ति / समाप्ति 31.03.2020 को
श्री आलोक कुमार	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष	25.01.2018	09.11.2019
श्री अरविन्द कुमार	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष	09.11.2019	कार्यरत
डा॰ सेंथिल पांडियन सी॰	प्रबन्ध निदेशक	10.09.2018	कार्यरत
श्रीमती अपर्णा यू॰	प्रबन्ध निदेशक, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं निदेशक	26.10.2017	05.11.2019
श्री एम॰ देवराज	प्रबन्ध निदेशक, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं निदेशक	05.11.2019	कार्यरत
श्री सुमन गुछ	निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन)	14.08.2017	28.10.2019
श्री रवि प्रकाश दुबे	निदेशक (कार्य और परियोजना)	16.01.2018	कार्यरत
श्री राम स्वारथ	निदेशक (एस॰एल॰डी॰सी॰)	13.02.2015	कार्यरत
श्री सुधांशु द्विवेदी	निदेशक (वित्त)	28.02.2019	30.06.2019
श्री बिभु प्रसाद महापात्रा	निदेशक (वित्त)	16.12.2019	कार्यरत
श्री ब्रजेश कुमार खरे	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	30.06.2016	30.06.2019
श्री विनोद कुमार खरे	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	16.09.2019	कार्यरत
श्री चन्द्र मोहन	निदेशक (आपरेशन)	30.06.2016	29.06.2019
श्री राकेश कुमार सिंह	निदेशक (आपरेशन)	15.07.2019	कार्यरत
श्री नील रतन कुमार	निदेशक	06.10.2010	कार्यरत
श्रीमती देबजनि चक्रवोर्ती	नामित निदेशक (आर॰ई॰सी॰)	30.08.2018	कार्यरत
श्री राकेश कुमार सिंह	नामित निदेशक (पावर ग्रिड)	16.07.2018	30.06.2019
श्री संजय गुप्ता	निदेशक (पावर ग्रिड)	10.02.2020	कार्यरत
श्रीमती मंजू शंकर	निदेशक (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो)	10.12.2015	31.12.2019

(ख) <u>सम्व्यवहारों :–</u> (धनराशि ₹ में)

विवरण	2019-20	2018-19
	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित
वेतन एवं भत्ते	**1,11,68,934**	1,29,16,323
ग्रेच्युटी/पेन्शन/भविष्य निधि के लिए अंशदान	**7,63,917**	15,53,289
निदेशकों से प्राप्य ऋण	–	–

(ग) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशक जिनकी नियुक्ति/मनोनयन उ०प्र० शासन द्वारा उ०प्र०पा०का०लि० के लिए किया गया है तथा उनके पास उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० का अतिरिक्त कार्यभार भी है, ने अपना पारिश्रमिक पात्रतानुसार उ०प्र०पा०का०लि० से प्राप्त किया है।

(घ) कम्पनी के पास राज्य नियन्त्रित उद्यम के अतिरिक्त कोई अन्य सम्बन्धित पार्टी उद्यम नहीं है जिस कारण भारतीय लेखंकन मानक–24 "रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर" के प्रस्तर–25 के दृष्टिगत विवरणों/सम्व्यवहारों का प्रकटीकरण नहीं किया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमो को अन्य सम्बन्धित पक्ष जो स्वयं भी राज्य नियंत्रित उद्यम है के साथ सम्व्यवहारों के प्रकटन से मुक्त करता है। ऐसे राज्य नियंत्रित उद्यमों (आमतौर पर डिस्कॉम्स) के साथ लेन–देन की प्रकृति में व्यापार के सामान्य अवधि में व्हीलिंग शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल है।

9) ₹ 5,627.66 करोड़ अनवशोषित मूल्यह्रास से उत्पन्न अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत चालू वर्ष के लिए लेखांकन लाभ और भविष्य के लिए बढ़ी हुई टैरिफ दर को देखते हुए, यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध ऐसे अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

10) आधारभूत एवं तनुकृत प्रति अंश आय को लाभ–हानि खाते में भारतीय लेखांकन मानक–33 (ईपीएस) के अनुसार दर्शाया गया है। आधारभूत प्रति अंश आय हेतु वर्ष में कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि को समता अंशों के भारित औसत से विभाजित करके आगणित किया गया है। प्रति समता अंश तनुकृत आय की गणना करने में समता अंशों की संख्या निर्धारित करने के लिए अंश आवेदन धनराशि (आबंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित हैं।

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(I) <u>आधारभूत ई०पी०एस०</u>	(धनराशि ₹ में)	(धनराशि ₹ में)
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**35,189**	(32,952)
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**14,70,59,001**	12,71,26,103
आधारभूत प्रति अंश आय उपार्जन (अ/ब)	**23.93**	(25.92)
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000
(II) <u>तनुकृत ई०पी०एस०</u>		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**35,189**	(32,952)
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**14,72,16,685**	12,84,93,435
तनुकृत प्रति अंश आय (अ/ब)	**23.90**	(25.92)
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000

11) बीमांकिक मूल्याकन प्रतिवेदन के आधार पर 01/04/2019 से 31/03/2020 की अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण।

(धनराशि ₹ लाख में)

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	6,42,35,302	5,53,42,008
शुद्ध ब्याज लागत	4,11,30,350	3,30,34,941
पूर्व सेवा लागत	–	–
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	–	–
कटौती और समाधान पर (लाभ)/हानियां	–	–
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	–	–
मान्य व्यय	10,53,65,652	8,83,76,949

ब) वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानियां	15,53,66,849	2,27,97,753
ब्याज आय को छोडकर, योजनगत सम्पत्तियों पर वापसी	–	–
सम्पत्ति की सीमा में बदलाव	–	–
अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय ओसीआई में स्वीकृत	15,53,66,849	2,27,97,753

स) तुलन–पत्र में स्वीकृत राशि

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	(78,51,19,904)	(52,86,67,743)
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	–	–
वित्त पोषित स्थिति (अधिक्य/(कमी))	(78,51,19,904)	(52,86,67,743)
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवत (दायित्व)/परिसम्पत्ति	(78,51,19,904)	(52,86,67,743)

12) <u>प्रावधानों में संचालन का प्रकटन :</u>

(धनराशि ₹ लाख में)

विवरण	प्रावधानों का संचलन			
	01.04.2019 को अवशेष	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	वर्ष के दौरान समायोजित किये गए प्रावधान	31.03.2020 को अवशेष
संदिग्ध प्राप्यों हेतु प्रावधान	187	0	0	187
सी॰डब्ल्यू॰आई॰पी॰ हानि हेतु प्रावधान (परित्याग या अन्यथा के कारण)	79	113	0	192
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजीगत)	0	186	0	186
योग	**266**	**299**	**0**	**565**

13) ठीक पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों में लगातार हानियां हुई है। इसके दृष्टिगत, कम्पनी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अर्जित किया गया औसत लाभ ऋणात्मक था। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कोई भी धनराशि सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों में नहीं व्यय की गयी।

14) वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त ₹ 5,15,94,38,000 के अंश आवेदन राशि के प्रति समता अंश वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटित किये गये है।

15) i) कम्पनी ने राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/कम्पनियों को निम्नलिखित भूमि हस्तगत की है :

अ) ताजमहल ईस्ट गेट रोड, आगरा में स्थित पर्यटन विभाग को मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए 5.9 एकड़ भूमि,

ब) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132/33 केवी जीआईएस उपकेन्द्र, नीबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि,

स) पर्यटन विभाग, इटावा को 2.2250 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा।

ii) कम्पनी ने उपयोग के अधिकार के आधार पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132 केवी एसजीपीजीआई उपकेन्द्र पर स्थित 2380 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है।

16) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

अ) सीईआरसी विनियम, 2019 के अन्तर्गत आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है। इसके दृष्टिगत वर्ष के लिए समग्र मूल्यह्रास में ₹ 5.93 करोड़ की वृद्धि हुई है।

ब) जमा कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क से आय की पहचान के लिए लेखांकन नीति में भी परिवर्तन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण शुल्क से आय में ₹ 44.4 करोड़ की वृद्धि हुई है और कर्मचारी लागत के पूंजीकरण में समरूप धनराशि की कमी हुई है।

स) अस्थगित कर परिसम्पत्ति/दायित्व की स्वीकृति के लिए लेखांकन नीति को चालू वर्ष के लेखांकन लाभ और भविष्य के लिए बढ़ी हुई टैरिफ दर के लेखांकन के दृष्टिगत बदल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹ 393.21 करोड़ की प्रारम्भिक अस्थगित कर परिसम्पत्तियां और ₹ 226.66 करोड़ का प्रारम्भिक अस्थगित कर व्यय है।

17) अंतर कम्पनी अवशेषों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों से देय ₹ 300 करोड़ और ₹ 110 करोड़ प्राप्य की राशि शामिल है तथा अंतरों के समाधान के अधीन है, जो एक सतत प्रक्रिया है और उसी के लिए लेखांकन किया जाता है एवं जब किसी कम्पनी के लेखों में जैसा भी मामला हो, किया जाता है।

18) वि॰व॰ 2017–18 से सम्पूर्ण कम्पनी के आई॰यू॰टी॰ सम्व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावशाली नई प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। परिणामतः, वित्तीय वर्ष 2017–18 के पश्चात कोई भी असमाधानित सम्व्यवहार नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व के अन्तर इकाई अवशेष अन्तरों के समाधान के अधीन है जो कि एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका लेखांकन तभी किया जाता है जब कभी सम्बन्धित इकाइयों में से किसी एक की पुस्तकों में, जैसा मामला हो, यह पाया जाता है।

19) कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा 115बीएए का विकल्प चुना है, जहां कम्पनी की कुल आय के सम्बन्ध में देय आयकर की गणना बाईस प्रतिशत की दर से लागू अधिभार और उपकर को जोड़कर की जायेगी, जबकि इस तरह के विकल्प को अपनाने से पहले निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर की दर तीस प्रतिशत तथा लागू अधिभार और उपकर जोड़कर था।

20) पूर्व वर्ष के आंकड़ो का यथोचित पुर्नसमुहीकरण/पुर्नवर्गीकरण/पुर्नआगणन किया गया है।

21) तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा लेखों पर टिप्पणियों में दिखाए गए आंकडे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निकटतम लाख ₹ में पूर्णांकित किये गये है।

22) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ विशिष्ट रूप से पहली बार अभिग्रहण हेतु उपयुक्त रूप से संशोधित की गई है, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है।

23) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल द्वारा 16 फरवरी, 2021 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

24) वैश्विक स्तर पर और भारत में कोविड–19 के प्रकोप के कारण कम्पनी प्रबंधन ने व्यवसाय और वित्तीय जोखिम पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया है और यह मानता है कि प्रभाव अल्पकालिक प्रकृति का होने की संभावना है। प्रबंधन को कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में जारी रखने और अपनी देनदारियों जब भी वे देय होती है, को पूरा करने की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है।

25) 31.03.2020 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2019 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
<u>परिसम्पत्तियाँ</u>					
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	17,78,010.99		–		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(9.33)		
		कार्मिक लागत	(0.52)		
		ह्रास	(3,363.95)		
			–	(3,373.80)	17,74,637.19
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	6,80,505.00		–		
		अन्य आय	547.95		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(18.31)		
		कार्मिक लागत	261.93		
			22,843.81		
			–	23,635.38	7,04,140.38
अन्य अमूर्त सम्पत्ति	207.97		–		
			–	–	207.97
अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	–		39,321.42		
			–	39,321.42	39,321.42
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	359.34		–		
			–	–	359.34
2. चालू परिसम्पत्तियाँ					
सूचियाँ (भण्डार एवं संयंत्र)	1,43,111.17		–		
			–	–	1,43,111.17
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ					
व्यापारिक प्राप्तियाँ	4,21,421.63		–		
			–	–	4,21,421.63
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	97,729.13	विद्युत बिक्री से राजस्व	31.00		
		अन्य आय	21.32		
		मरम्मत और अनुरक्षण	1.50		
		कार्मिक लागत	(47.98)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	15.50		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	0.08	21.42	97,750.55
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	39,972.49	विद्युत बिक्री से राजस्व	0.44		
		अन्य आय	1,152.61		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(1.67)		
		कार्मिक लागत	2.82		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	0.04		
			–	**1,154.24**	**41,126.73**

25) 31.03.2020 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2019 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
समता एवं दायित्व					
समता					
समता अंश पूंजी	13,59,533.98		–		
			–	–	13,59,533.98
अन्य समता (एसओई देखे)	(6,704.90)		–		
		01-04-2019 को पुर्नस्थापन का प्रभाव	62,483.50		
		लाभ / (हानि) का शुद्ध पुर्नस्थापन	2,674.91	65,158.41	58,453.51
दायित्व			–		
1. गैर चालू दायित्व					
वित्तीय दायित्व			–		
उधारियाँ	10,90,170.27		–		
			–	–	10,90,170.27
अन्य वित्तीय दायित्व	13,987.89		–		
			–	–	13,987.89
प्रावधान	22,270.43		–		
			–	–	22,270.43
अन्य गैर चालू दायित्व	–		–		
2. चालू दायित्व					
वित्तीय दायित्व	1,12,833.07		–		
			–	–	1,12,833.07
अन्य चालू दायित्व	5,67,405.55		–		
		अन्य आय	(53.85)		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(951.29)		
		कार्मिक लागत	(3,316.84)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(77.77)		
			–	(4,399.75)	5,63,005.80
प्रावधान	1,821.43		–		
			–	–	1,821.43
पुर्न स्थापन का शुद्ध प्रभाव			**–**	**0**	**0.00**

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह॰—

(एस॰के॰ अवस्थी)

उपमहाप्रबन्धक

(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—

(ए॰के॰ गुप्ता)

अधिशासी निदेशक

(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—

(बी॰पी॰ महापात्रा)

निदेशक (वित्त)

डीआइएन 01368109

—ह॰—

(ऋषि टण्डन)

कम्पनी सचिव

—ह॰—

(सेन्थिल पाण्डियन सी)

प्रबन्ध निदेशक

डीआइएन–08235586

—ह॰—

(आर॰पी॰ तिवारी)

साझीदार

स॰सं॰ 071448

फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 27.05.2021

आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालय : 4/10, विशाल खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010 (भारत)
दूरभाष : +91 522 4043793, 2304172
ईमेल : आरएमएलएएलएलसीओ@आरएमएलएएलएलसीओ.काम

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन,
लखनऊ।

एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

मर्यादित अभिमत :

हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (''एकल वित्तीय विवरणों'') जिसमें चार पारेषण परिक्षेत्रों (''परिक्षेत्रों'') के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और लाभ, अन्य व्यापक आय सहित, इसके हानि, इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समता में परिवर्तन को अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।

परिमित अभिमत का आधार :

हम अनुलग्नक 'I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए॰आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आइ॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे एकल वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले :

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' के अलावा इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी सम्प्रेक्षा में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

विषय का महत्व अनुच्छेद :

जैसा कि विश्व स्तर पर और भारत में कोविड–19 के प्रकोप के कारण, टिप्पणी–29 ''लेखो पर टिप्पणियाँ'' के अनुच्छेद 24 में बताया गया है, कंपनी के प्रबंधन ने व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है और यह मानता है कि प्रभाव स्वरूप अल्पकालिक होने की संभावना है। प्रबंधन को कंपनी के सतत व्यवसाय के रूप में जारी रखने और अपनी देनदारियों, जब वे देय होती है, को पूरा करने की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है। इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें :

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाए सम्मिलित हैं किन्तु एकल वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन को इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उपर्युक्त अभिज्ञात अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा में प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है।

जब हम उपरोक्त अभिज्ञात प्रतिवेदन को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारित लोगों से संप्रेषित करने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करेगें।

एकल वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व :

अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन एकल वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, रोकड़ प्रवाह एवं समता में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन; ऐसे अनुमान एवं निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो; हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।

ऐसे शासन प्रभारित लोग कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।

एस॰ए॰ के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :–

- एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी सम्प्रेक्षा प्रकिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है,

प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।

- ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या दशाओ से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटन समेत एकल वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।

एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्व मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में; एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में ।

हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।

हम नियंत्रण प्रभारियों को विवरण प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।

नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन में इन मामलों को सम्मिलित करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवदेन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।

अन्य मामले :

कम्पनी के एकल वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र (एल॰सी॰:100, 250), लखनऊ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 300, 400 और 450), मेरठ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 500, 600) और आगरा परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 700, 800) में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एंव प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III(ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।
3. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, और अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर सूचित करते है कि :
   अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

   ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।

स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।

द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों तथा परिक्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों जहाँ हमारे द्वारा यात्रा व सम्प्रेक्षा नहीं की गई से मेल खाते है।

य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सपठित निर्गत संगत नियम का अनुपालन करते हैं।

र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में सरकारी कम्पनी होने के नाते अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।

व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–

i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी।

iii. कोई राशि नहीं थी जिसे निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएएवाई6080

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

अनुलग्नक–I

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

ऐसी जांचें जो हमनें उपयुक्त मानी हैं के आधार पर तथा हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं किः

1. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अर्न्तगत अधिसूचित अधोलिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया हैः

   अ. व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), अन्य चालू आस्तियां (टिप्पणी–10) और अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी–17) को चालू आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका नकदीकरण एवं निस्तारण गत वित्तीय वर्षों से लम्बित है तथा पर्याप्त जानकारी के आभाव में वसूली/निपटान के लिए बकाया शेष राशि वर्ष की समाप्ति के बाद, बारह महीनों के अन्दर उन्हें गैर–वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के कारण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानक 1 के साथ असंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित मौजूदा चालू आस्तियाँ/देनदारियाँ अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ अवमूल्यित है।

   ब. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्ष के दौरान वृद्धि में टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखीय नीति संख्या 2 (II) (बी) के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक अतिरिक्त लागत पर एक निश्चित प्रतिशत पर अधिष्ठान लागत शामिल है। ऐसी अधिष्ठान लागत सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण तथा/अथवा स्थापना पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य न होने की सीमा तक भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ असंगत है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों, ह्रास तथा लाभ का अधिमूल्यन तथा अधिष्ठान लागत का अवमूल्यन किया गया है।

   स. सामग्री का भण्डार – पूंजीगत कार्य (टिप्पणी–7 (अ)) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंश के रूप में वर्गीकृत तथा भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त, मापित और उद्घाटित नहीं किया गया है।

   द. टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या–2 (VI)(एफ) द्वारा आवरित बीमा और अन्य दावों की मान्यता, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज, कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज और आय के अन्य मद को नकद आधार पर शामिल किया गया है। यह वित्तीय विवरणों भारतीय लेखांकन मानक 1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

   य. कर्मचारी लाभ का लेखांकन : जी॰पी॰एफ॰ योजना से आवरित कर्मचारियों के उपादान दायित्व का बीमांकक मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया गया है (संदर्भ टिप्पणी 21 का नितल टिप्पणी 1)। यह भारतीय लेखांकन मानक–19 के साथ असंगत है।

   र. कंपनी द्वारा सम्पत्ति के क्षरण का आकलन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक–36 की सम्पत्ति के क्षरण के साथ असंगत है।

   ल. वित्तीय परिसंपत्तियाँ– व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰), प्राप्य (टिप्पणी– 10) को भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित

उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है (अनुच्छेद 2) (XII) टिप्पणी –1 ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ'' देखें) और भारतीय लेखांकन मानक 107 वित्तीय साधनों में आवश्यक उचित प्रकटीकरण इसके लिए नहीं किया गया है। (टिप्पणी–29 का अनुच्छेद 3 ''लेखों पर टिप्पणियाँ'' देखें)

2. स्वामित्व/भूमि के स्वामित्व, भूमि अधिकार और भवनों के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए स्वामित्व के साथ–साथ अवशेषों की सटीकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3. अचल संपत्तियों के ऊर्जीकरण/पूंजीकरण की तिथि के संबंध में आवश्यक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, हम पूंजीकृत ऋण लागत की राशि और उस पर लगाए गए ह्रास की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनी 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को हस्तांतरित की है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।

5. कंपनी ने ताजमहल, ईस्ट गेट रोड पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।

6. कंपनी ने 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नींबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर की अपनी भूमि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।

7. ₹ 252.90 करोड़ की राशि के अंतर इकाई अंतरण, (टिप्पणी–10 और 29 के अनुच्छेद 18 देखें) समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।

8. उभयनिष्ठ व्यय (उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा प्रभारित) की राशि ₹ 10.13 करोड़ (टिप्पणी–21 देखें) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के अधीन है, जिसे कंपनी द्वारा नहीं काटा गया है।

9. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (टिप्पणी–3), व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰) और कर्मचारियों और अन्य से प्राप्तियां (टिप्पणी–10), पूंजी के लिए देयता/ओ॰ एंड एम॰ आपूर्तिकर्ता/कार्य, आपूर्तिकर्ताओं से जमाए, डिस्कॉम्स, विद्युतीकरण कार्य, पीएसडीएफ, अंतर कम्पनी अवशेष (टिप्पणी–17) पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

10. यह देखा गया कि पक्षवार सहायक बहीखातों का रखरखाव और खातों की प्राथमिक पुस्तकों यानी रोकड़ बही और अनुभागीय जर्नल के साथ इसका मिलान उचित और प्रभावी नहीं है।

11. टिप्पणी– 29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के अनुछेच्द 6 में प्रकट समभाव्य दायित्व के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त अभिलेखीय लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्रदान नहीं किए गए।

12. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी–1 के अनुच्छेद 2(II)(सी) और लेखों पर टिप्पणियां (टिप्पणी–29 के अनुच्छेद 16(बी)) में जमा कार्य के लिए प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को आयगत आय (गैर टैरिफ आय) के रूप में माना गया है और दूसरी ओर इसे पूंजी संचय में जमा करके पूंजी प्राप्ति के रूप में भी माना गया है। सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, जब प्राप्ति और संबंधित खर्चों को आयगत प्रक्रति के रूप में माना गया है, तो इसे फिर से पूंजी प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए, पूंजी संचय और पूंजीगत व्यय दोनों को ₹ 44.40 करोड़ से अधिमूल्यित है।

13. परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसीः 100, 250), लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 300, 400, और 450), मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 500, 600) और आगरा परिक्षेत्र (एलसीः 700, 800) के 31 मार्च, 2020 के तल पर परिक्षेत्र सम्प्रेक्षक ने सम्प्रेक्षा अभिमत व्यक्त की है और इन्हें कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचारित किया गया है। वर्तमान प्रचलन के अनुसार, परिक्षेत्रो के वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।

14. परिक्षेत्रों की लेखापरीक्षा अंकेक्षणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उन्हें छोड़कर जिन्हें अंकेक्षण में कहीं और उचित रूप से निपटाया गया है :

I) प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसीः 100 और 250)

अ. अनुपयोगी संयंत्र और मशीनरी, वाहन, फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण और लाइन केबल नेटवर्क का क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों द्वारा कोई पहचान नहीं की जाती है। इसलिए, ऐसी अनुपयोगी और अप्रचलित संपत्तियों के लिए क्षेत्र/इकाइयों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ब. सामग्री भण्डार में एजी–16 से लाई गई संपत्तियों का अपलिखित मूल्य शामिल है और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य एजी –14 में पुरानी परित्यक्त परियोजनाओं पर काम की लागत शामिल है जिन्हें अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है। एजी–14 और एजी–16 शीर्ष के अंतर्गत पड़ी ऐसी परिसम्पत्तियों/सामग्री के वसूली योग्य मूल्य में प्रत्याशित कमी का लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न पदधारियों से प्राप्त भौतिक रूप से सत्यापित रहतियाँ/सामग्री भण्डार का मूल्यांकन और खातों के साथ मिलान नहीं किया गया है। संपूर्ण विवरण और जानकारी के अभाव में, हम तल पर पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा निर्धारित नहीं कर सके।

स. भण्डार सामग्री एजी–22 में ''भण्डार सामग्री आधिक्य/कमी लंबित जांच'' शामिल है जो समाधान और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के लिए पुराने लंबित पड़े हैं।

द. दैनिक नकद/बैंक अवशेष नहीं निकाला गया इसलिए किसी विशेष तिथि पर नकदी/बैंक की शेष राशि रोकड़ पंजिका से उपलब्ध नहीं है।

य. पहले के वर्षों से संबंधित प्रविष्टियाँ अभी भी विभिन्न इकाइयों के बैंक समाधान विवरणों में दिखाई दे रही हैं जो असमायोजित पड़ी हैं।

र. ठेकेदारों आदि के पास पड़ी सामग्री की तुलना में प्रगतिशील कार्य अवशेष, पूर्ण विवरण, पुष्टिकरण, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, की तैयारी के अधीन हैं।

ल. सामग्री शीर्ष अन्तर्गत कुछ इकाईयों में भण्डार (पूंजी) और भण्डार (ओ॰ एंड एम॰) में जमा अवशेष और सहलग्नता ह्रास के लिए प्रावधान शीर्ष अन्तर्गत के नामे शेष सुधार और परिणामी समायोजन के लिए लंबित हैं। शीर्ष के अंतर्गत पुराने अवशेष–धारित आय और बयाना राशि आदि, पुष्टि और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

व. लोकेशन कोड 106 ई॰एफ॰यू॰ नैनी में संरचना के लिए कार्यशाला उचित सामग्री के लिए लेखा कोड एजी 22.710 अन्तर्गत ₹ 2,20,05,776.97 तथा अवशिष्ट सामग्री से सम्बन्धित लेखा कोड एजी 22.770 अन्तर्गत ₹ 1,35,64,921.70 का नामे अवशेष पूर्ण सामग्री लेखांकन तथा समायोजन के अधीन है।

इसके अलावा, भण्डार सामग्री (एजी–22.60 और 22.61) कुल ₹ 10,43,67,648.53 के मूल्यांकन के संबंध में पूर्ण और पारदर्शी विवरण हमें सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।

श. इकाई संख्या 106 में लेखाकोड–22.770 अन्तर्गत 06/2019 के अवशिष्ट बिक्री पर दर मूल्यांकित स्टील जिंक ड्रॉस, जिंकैश एवं जिंक ओल्ड की अवशिष्ट सामग्री सम्मिलित है जैसाकि नीति संख्या (V)(ब) जो बताता है कि स्टील अवशिष्ट वसूली मूल्य पर तथा स्टील के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट जैसा एवं जब बिक्री के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है के प्रतिकूल है।

ष. लोकेशन कोड 251 वाली इकाई के मामले में फ्लैक्सी स्थायी जमा के सम्बन्ध में न तो बैंक अवशेष प्रमाणपत्र और न ही बैंक विवरण में उपलब्ध कराया गया अतएव इकाई में किये गये वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक लेन–देनों पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।

II) लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 300, 400, और 450)

अ. अनुपयोगी मदों का विवरण स्क्रैप सामग्री और भण्डार से संबंधित खातों का पता लगाने के लिए आवश्यक है (एजी कोड– 22, धनराशि ₹ 325.53 करोड़ सामग्री में शामिल (टिप्पणी–7))। चूंकि, अनुपयोगी मदों का विवरण मूल्य सहित लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका, इसलिए परिमत की मात्रा का निर्धारण संभव नहीं है।

ब. प्रगतिशील खाते में पूंजीगत व्यय का आयुवार विश्लेषण (एजी कोड– 14, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में शामिल ₹ 623.8 करोड़ (टिप्पणी–3) जेड॰ए॰ओ॰ कार्यालय में सहजता उपलब्ध नहीं है। इस कारण से पूंजीगत व्यय के गैर पूंजीकरण के साथ पुरानी प्रविष्टियाँ निर्धारण योग्य नहीं है।

III) मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 500 और 600)

अ. कुछ इकाइयों के बैंक समाधान विवरण में पुरानी बकाया प्रविष्टियां हैं जिनमें अप्रचलित चेक निर्गत किन्तु प्रस्तुत न किये गये अन्य जमाए शामिल हैं।

ब. अनुपयोगी/धीमी गति से चलने वाले/नान–मूविंग भण्डार की पहचान करने और उन्हें अलग करने की कोई प्रणाली नहीं है। ऐसे भण्डार अन्य भण्डार के साथ मिश्रित होते हैं और सामान्य भण्डार के रूप में मूल्यांकित किये गये है।

15. पूरी जानकारी के अभाव में, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 14 तक और इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–II में आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय पर हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएएवाई6080

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

1. अ) कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

   ब) कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बंध कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही।

   स) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं या नहीं।

2. भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है। आगरा परिक्षेत्र को छोड़कर सभी परिक्षेत्रों के सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध नही करायी गयी है। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप व्यवहारित किया गया है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत आवश्यक पंजिका में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iii) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानानुसार कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति नहीं प्रदान की है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iv) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।

5. कंपनी द्वारा जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया गया है, अस्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य संबंधित प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराए गए है।

7. अ) अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित दयों को छोडकर कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और किसी भी अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है :–

अधिनियम का नाम	देयकों की प्रकृति	धनराशि (₹)	अवधि जिससे धनराशि सम्बन्धित है (वि.व.)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर–टीडीएस*	परिमाणित नहीं	2019-2020
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर–टीडीएस (कार्मिक)	319.00	2012-13
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर–टीडीएस (कार्मिक)	6,500.00	2016-17
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर–टीडीएस (ठेकेदार)	31,129.79	2015-16
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर–टीडीएस (ठेकेदार)	34,256.00	2006-07
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	1,48,089.50	2017-18
भविष्य निधि	सामान्य भविष्य निधि और उस पर ब्याज	1,18,99,48,665.00	2019-20, 2018-19 और पूर्व वर्ष
भविष्य निधि	अंशदायी भविष्य निधि और उस पर ब्याज	20,27,95,266.00	2019-20, 2018-19 और पूर्व वर्ष

ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, माल और सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपयुक्त प्राधिकारियो का कोई अन्य वैधानिक देयताएं, सिवाय निम्नलिखित बकाये को छोडकर बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किये गये है:

अधिनियम का नाम	बकाये की प्रकृति	धनराशि (₹)	अवधि जिससे राशि सम्बन्धित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	टिप्पणी, यदि कोई
उ.प्र., मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,73,045	2011-12	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ.प्र., मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,42,678	2012-13	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ.प्र., मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	47,75,873	2014-15	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ.प्र., मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	46,91,721	2015-16	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर टीडीएस	3,32,270	2018-19	टीडीएस वार्ड, आयकर विभाग	
श्रम उपकर	श्रम उपकर	2,60,00,000	2015-16	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मंडल शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा देखा जा रहा है।

8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार की उधार या ऋणों की अदायगी अथवा ऋण पत्र धारकों को देय राशि में चूक नहीं की है।

9. उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी गयी। कंपनी ने सावधि ऋणों के माध्यम से धन जुटाया है और उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए उन्हें उठाया गया था।

10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

11. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं॰ जी॰एस॰आर॰ 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. कंपनी चिट फंड या निधि/म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है, इसलिए आदेश का खण्ड 3(xii) लागू नहीं है।

13. हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 जहाँ भी लागू है के अनुपालन में हैं, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण भारतीय लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या अंशो का प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो पूर्णतः या अंशतः रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र में परिवर्तित किया गया है।

15. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

16. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आइ॰ए॰ के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएएवाई6080

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र. सं.	निर्देश	अभ्युक्ति
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	आई॰टी॰ प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है। सेक्शनल जर्नल्स अन्तर्गत एस॰जे॰1, एस॰जे॰2, एस॰जे॰3 और एस॰जे॰4 तथा रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है, लेकिन बहीखातों/उप बहीखातों का रखरखाव नहीं किया जाता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/छूट/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय आरोपण के बारे में बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना/ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र लेखापरीक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएएवाई6080

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट में सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश –

क्र. सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कारपोरेशन के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा कि क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वि॰व॰ 2019-20 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.560% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ ने वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.434% की है जो कि तुलना में कम तथा राज्य आयोग द्वारा वि॰व॰ 2019-20 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत है।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि

क्र स.	उपनिर्देश	टिप्पणी
	उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार उदित हुए क्रय व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएएवाई6080

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

अनुलग्नक–IV

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के वाक्य (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण पर प्रतिवेदन।

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी सम्प्रेक्षा के साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये उ॰प्र॰ पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणो का सम्प्रेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश लेख टिप्पणी में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चत करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।

सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर (दिशानिर्देश लेख) तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हुए माने गये है तथा आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू सीमा तक दोनों ही आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा दोनो ही भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत किये गये हैं। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।

हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्यसाधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य

कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय प्रपत्रों की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

प्रबन्धकीय कमियों, नियंत्रण के लंघन तथा आपसी साँठ–गाँठ की सम्भावनाओं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण ऐसा सम्भव है कि त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण सारभूत मिथ्याकथन विद्यमान हों जिनका पता न लग पाया हो। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आंकलन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियो या कार्यप्रणालियों के अनुपालन की कोटि/श्रेणी विकृत कर सकता है।

अभिमत

हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2020 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएएवाई6080

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 27.05.2021

भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षक–II), उ॰प्र॰
''आडिट भवन'', टीसी–35-V-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

सत्यमेव जयते

पत्रांकः प्र म॰ले॰ (आडिट–II)/ए॰एम॰जी॰–II/लेखा/यू॰पी॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ 2019-20/249 दिनांक : 22.11.2021

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

यह रिपोर्ट लेखापरीक्षिती द्वारा दी गयी एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर बनायी गयी है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), उत्तर प्रदेश लेखापरीक्षिती की किसी भी गलत सूचना और/अथवा गैर जानकारी के लिए किसी भी जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

–ह॰–

संलग्नक : यथोपरि

(उत्सव पराशर)
उपमहालेखाकार

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 27 मई, 2021 के माध्यम से किया गया होना इंगित है।

मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है।

मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :

अ. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय (नोट–21) : ₹ 385.00 करोड़

1. उपरोक्त में 01.08.2016 से 31.12.2016 की अवधि का ₹ 24.41 करोड़[1] 7वें वेतन आयोग का अवशेष सम्मिलित है जिसके लिये लेखा पुस्तकों में पूर्व वर्षों में दायित्व/प्रावधान पहले ही सृजित किया जा चुका है। विद्यमान प्रावधान को समायोजित करने के बजाय, कम्पनी ने भुगतान करते समय इसे कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में चालू वर्ष में प्रभारित किया। इसका परिणाम कर्मचारी लाभ व्यय व अन्य चालू दायित्व प्रत्येक का ₹ 24.41 करोड़ से अधिकथन रहा। परिणामतया, वर्ष का लाभ इस धनराशि से कम दर्शाया गया है।

[1] जीपीएफ कार्मिक ₹ 12.89 करोड़, सीपीएफ कार्मिक ₹ 8.41 करोड़, पेन्शन अंशदान ₹ 1.95 करोड़, ग्रेच्युटी अंशदान ₹ 0.28 करोड़, और सीपीएफ अंशदान–नियोक्ता का अंश ₹ 0.88 करोड़।

ब. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

गैर चालू परिसम्पत्तियां

प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (नोट–3) : ₹ 7837.75 करोड़

2. कम्पनी ने इंड एएस 23 (उधार की लागत) के प्रावधान के अतिक्रमण में उधार देने वाली एजेन्सी को 2016–17 में भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज के भुगतान में देरी के कारण ₹ 4.88 करोड़ दण्डनीय ब्याज को लाभ हानि खाते में प्रभारित करने के बजाय प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में दर्ज किया।

इस प्रकार, दण्डनीय ब्याज के पूंजीकरण के कारण, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य व अन्य समता प्रत्येक ₹ 4.88 करोड़ से अधिकथित हैं।

वर्ष 2016–17, 2017–18 व 2018–19 के लेखों में टिप्पणी के बावजूद, प्रबन्धन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

स. अन्य टिप्पणियाँ

3. व्यापारिक प्राप्य के अन्तर्गत, कम्पनी ने अतिरिक्त राज्य उपभोक्ताओं (मध्य प्रदेश व हिमांचल प्रदेश) से वर्ष 2010–11 से 2015–16 से सम्बन्धित ₹ 19.62 करोड़ की धनराशि का असंरक्षित प्राप्य दर्ज किया है। ये प्राप्य 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा इन पक्षों के विरुद्ध अवशेषों की पुष्टि भी कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी, किन्तु इन प्राप्यों के विरुद्ध अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिये लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक
की ओर से
–ह०–
(राजकुमार)
प्रधान महालेखाकार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 22.11.2021

दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

फार्म नं॰ एम आर–3
सचिवीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए अवधि के लिए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं॰–9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,
उ॰प्र॰ पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कम्पनी सी॰आई॰एन॰– यू40101यूपी2004एसजीसी028687
पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन,
14–ए, अशोक मार्ग, लखनऊ
उत्तर प्रदेश 226001 भारत
ईमेल आईडी : सीएस@यूपीपीटीसीएल.ओआरजी

1) मेरे द्वारा उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ (एतद्वारा कम्पनी से सम्बोधित) में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कम्पनी में अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय सम्प्रेक्षण किया गया है। सचिवीय सम्प्रेक्षण इस ढंग से किया गया है जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उक्त मूल्यांकन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु यथोचित आधार प्राप्त हुआ।

2) हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा अनुरक्षित पंजिकाओं, अभिलेखों, पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं फाईल की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों का निम्न प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया है:–

i) कम्पनी अधिनियम 2013 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम और विभिन्न सम्बन्धित अधिनियमों का अनुपालन;

ii) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1948;

iii) कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं पार्षद अन्तर्नियम;

दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

3) सचिवीय सम्प्रेक्षण के दौरान, कम्पनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, अभिलेखों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं फाईल की गयी विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों का मेरे सत्यापन एवं कम्पनी, इसके प्राधिकारी, एजेन्ट्स और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर, मेरे द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है कि मेरे अभिमत के अनुसार, कम्पनी ने मार्च 2020 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को अंकेक्षण अवधि में आवरित करते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न टिप्पणियों के प्रतिबन्धाधीन निम्नवत् सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है;

i) विभिन्न सांविधिक पंजिकाओं एवं दस्तावेजों का अनुरक्षण तथा उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;

ii) कम्पनी के पंजीयक के पास आवश्यक प्रपत्र, विवरणी, दस्तावेजों एवं प्रस्तावों का दाखिल होना;

iii) कम्पनी द्वारा उसके सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कम्पनी के पंजीयक को दस्तावेजों का सौंपना;

iv) बोर्ड तथा निदेशक समितियों की विविध बैठकों की सूचना;

v) निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियाँ की बैठकें और परिपत्रीय प्रस्तावों को पारित करना;

vi) वार्षिक साधारण सभा हेतु बैठक की सूचना एवं आयोजन;

vii) मण्डल, समिति एवं सदस्यों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त;

viii) निदेशक मण्डल, निदेशक समितियों, सदस्यों तथा सरकारी प्राधिकरणों का अनुमोदन, जब कभी आवश्यक हो;

ix) निदेशक मण्डल, निदेशकों एवं निदेशकों की नियुक्ति एवं पुनः नियुक्ति की समितियों का गठन;

x) निदेशको, प्रबन्ध निदेशक एवं प्रमुख प्रबन्धकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक भुगतान;

xi) वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक;

xii) कम्पनियों के अंशों का अन्तरण, अंश निर्गमन एवं आवंटन;

xiii) संविदायें, पंजीकृत कार्यालय और कम्पनी के नाम का प्रकाशन;

xiv) निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन;

xv) कम्पनी की निधि का निवेश;

xvi) सामान्यतः, अधिनियम तथा उसके नियमों में निहित समस्त अन्य लागू प्रावधान;

xvii) कंपनी ने, हमारी अभिमत में, उपरोक्त इंगित, उचित मण्डल–प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र और लागू सांविधिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, लागू सचिवीय मानक, आदि के साथ अनुपालन किया है, एवं जैसाकि कंपनी के पार्षद सीमानियम एवं पार्षद अन्तनिर्गम के तहत निर्धारित है।

दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

4) मुझे अग्रेतर यह प्रतिवेदित करना है कि अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं अभिवेदन के अनुसार, निम्नवत् संलग्न टिप्पणियों के प्रतिबन्धाधीन कम्पनी द्वारा लागू अन्य प्रभावी विधियों की सीमा तक का अनुपालन किया गया है :–

1– कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम;

2– उपदान संदाय अधिनियम, 1972;

3– बोनस संदाय अधिनियम, 1965;

4– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;

5– कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923;

6– औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;

7– व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926;

8– कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन निर्मित नियम;

5) **मै अग्रेतर प्रतिवेदित करता हूँ किः**

(i) अनुबन्धों एवं व्यवस्थाओं में हित एवं दिलचस्पी, अन्य कम्पनियों में अंशधारिता तथा निदेशकता एवं अन्य संस्थाओं में हितों हेतु प्रकटन दिये जाने की आवश्यकता का निदेशकगणों द्वारा अनुपालन किया गया है।

(ii) निदेशकों द्वारा नियुक्ति पात्रता, उनकी स्वतन्त्रता, निदेशकों व वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों हेतु आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध हेतु प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और

(iii) कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के विविध प्रावधानों की आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं।

(iv) कम्पनी अधिनियम 2013 तथा अधिनियम के अधीन नियम, विनियमावली तथा दिशानिर्देशों के अन्तर्गत समीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी द्वारा न तो कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त की गई और न ही कोई अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

6) **मै अग्रेतर प्रतिवेदित करता हूँ कि वर्ष के दौरान :**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों, कंपनी के पार्षद अन्तर्नियम और संबंधित नियामक निकाय और सरकार द्वारा जारी किए गए इस संबंध में लागू आदेशों के अनुपालन में किए गए थे।

मण्डल की बैठक निर्धारित करने के लिए, समुचित सूचना सभी निदेशको को दे दी गयी थी, कार्यसूची तथा कार्यसूची का विस्तृत विवरण अग्रिम रूप से अधिकांश बैठकों में भेज दिया गया था हांलाकि, जबकि सभा हेतु सूचना वैधानिक

दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

तय समय सीमा से कम अवधि के लिए प्रसारित पाई गई फिर भी कार्यसूची व बिन्दुओं पर और अधिक सूचना और सुस्पष्टता प्राप्त करने एवं बैठक में यथार्थ रूप से प्रतिभोग करने हेतु एक प्रणाली विद्यमान है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से दर्ज और हस्ताक्षरित बैठकों के कार्यवृत्तों के लिए बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मत थे और कोई भी असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किये गये थे।

हमें अग्रेतर यह प्रतिवेदित करना है कि कम्पनी के आकार एवं परिचालनों की अनुरूपता में प्रभावी अधिनियमों, नियमों, विनियमो तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा उसकी देखरेख हेतु कम्पनी में समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है।

हमें अग्रेतर यह प्रतिवेदित करना है कि हमारी सम्प्रेक्षा में वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर कानूनो की पूर्णता में समीक्षा नही की गई है क्योंकि यह सांविधिक सम्प्रेक्षक तथा अन्य नामित प्रोफेशनल की समीक्षा के अन्तर्गत आता है, एवं हम सांविधिक सम्प्रेक्षक एवं अन्य नामित विशेषज्ञ प्रोफेशनल की प्रतिवेदन पर भरोसा करते है।

हमने निम्नलिखित प्रभावी वाक्यों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन हैं :–

अनुच्छेदवार प्रतिवेदन पर प्रभावी अधिनियमों के सम्बन्ध में विशिष्ट टिप्पणियों/आडिट क्वालिफिकेशन, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी इस रिपोर्ट (रिपोर्ट का अभिन्न अंग बनाने) के साथ **''अनुलग्नक–अ''** में संलग्न की जाती है।

यूडीआईएन : एफ006244सी001578067
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 29.11.2021

कृते मेसर्स दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
–ह०–
दिलीप कुमार दिक्षित
एफ०सी०एस० सं० 6244
सी०पी० सं० 6770

दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

अनुलग्नक–अ

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण व निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2020 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वि॰व॰ 2019–20 के लिये वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की नियत तिथि 31.12.2020 तक बढ़ा दी है जिसके प्रभाव में कंपनी की वार्षिक साधारण सभा 08.12.2020 को आहूत की गई थी। किन्तु कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) सम्प्रेक्षित नहीं थे एवं परिणामतया निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन तैयार नहीं हो पाया तथा इसलिये इस वार्षिक साधारण सभा में ये अंगीकृत नहीं कराये जा सके तथा जिसे अंततः स्थगित कर दिया गया। अग्रेतर, सम्प्रेक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों को 07.11.2020 को आहूत स्थगित वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत किया गया हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान सपठित नियम (5) कम्पनीज़ (लागत एवं सम्प्रेक्षा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से 180 दिनों के भीतर लागत सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक है और इन नियमों के नियम (6) उपनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक लागत सम्प्रेक्षक वित्तीय वर्ष के समापन से 180 दिनों के भीतर, जिस वर्ष से यह सम्बन्धित हो, अपना प्रतिवेदन कम्पनी के निदेशक मण्डल को अग्रसारित करेगा। अग्रेतर, सम्प्रेक्षा के दौरान यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 का लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निदेशक मण्डल के सम्मुख विलम्बतम 30.09.2019 तक प्रस्तुत किया जाना था किन्तु इसे वित्तीय वर्ष के समापन से 180 दिनों के भीतर अर्थात 30.09.2019 तक नहीं प्रस्तुत किया गया जो उपरोक्त नियमों के नियम (6) उपनियम (5) के अनुसार आवश्यक था। अतः, इस सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के उपरोक्त प्रावधानों तथा सम्बन्धित नियमों का अनुपालन नही किया गया है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमिय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचनो में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।

यूडीआईएन : एफ006244सी001578067
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 29.11.2021

कृते मेसर्स दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
–ह॰–
दिलीप कुमार दिक्षित
एफ॰सी॰एस॰ सं॰ 6244
सी॰पी॰ सं॰ 6770

दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

सेवा में,

सदस्यगण,
उ॰प्र॰ पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कम्पनी सी॰आई॰एन॰– यू40101यूपी2004एसजीसी028687
पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन,
14–ए, अशोक मार्ग, लखनऊ
उत्तर प्रदेश 226001 भारत
ईमेल आईडी : सीएस@यूपीपीटीसीएल.ओआरजी

हमारी यहां तक की तारीख की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सम्प्रेक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2) हमने सम्प्रेक्षा क्रिया एवं प्रक्रिया का पालन किया है जो कि सचिवीय अभिलेखों की अर्न्तवस्तु की शुद्धता को उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। सचिवीय अभिलेखों में तथ्यों की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा पालन की गई क्रिया एवं प्रक्रिया, हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है जो कि हमारे सम्प्रेक्षा विषयवस्तु से संबंध नहीं रखता है।

4) जहां आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5) निगमीय एवं अन्य प्रभावी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण प्रक्रिया का सत्यापन परीक्षण आधार तक सीमित था।

6) सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति एक आश्वासन है और न ही कम्पनी की प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता से जिससे प्रबन्धन ने कम्पनी के मामलों को संचालित किया है।

कृते मेसर्स दिलीप दिक्षित एण्ड कम्पनी

–ह॰–
दिलीप कुमार दिक्षित
एफ॰सी॰एस॰ सं॰ 6244
सी॰पी॰ सं॰ 6770

यूडीआईएन : एफ006244सी001578067
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 29.11.2021